हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक वीरवार, दिनांक 10 मार्च, 2022 को माननीय अध्यक्ष, श्री विपिन सिंह परमार की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

10/03/2022/1100/केएस/डीसी/1

प्रश्न संख्याः5014

श्री हर्षवर्धन चौहानः माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो सूचना सभा पटल पर रखी है, ट्रांसगिरी क्षेत्र को जनजातीय घोषित करने का जो मसला बहुत लम्बे अरसे से चला हुआ है। चार विधान सभा क्षेत्रों शिलाई, श्रीरेणुकाजी, पांवटा साहिब और पच्छाद की 144 पंचायतें हैं और ट्रांसगिरी क्षेत्र जौनसार बाबर का क्षेत्र है जो उत्तराखंड का हिस्सा है वह वर्ष 1967 में ट्राईबल डिक्लेयर हुआ था। उसके बाद से इस क्षेत्र के लोग इसको ट्राईबल डिक्लेयर करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें दो पैरामीटर्ज़ हैं। एक ट्राईबल डिपार्टमैंट की नोडल एजेंसी है, हिमाचल युनिवर्सिटी के ट्राईबल डिपार्टमैंट की जो रिकमेंडेशन है वह पॉज़िटिव बनाकर हिमाचल युनिवर्सिटी ने सर्वे करने के बाद हिमाचल गवर्नमैंट ने केंद्र को भेजी है। दूसरा आपने जो ज़िक्र किया ethnographic proposal का, वह भी इसका सर्वे हुआ है और ethnographic report भी पॉज़िटिव गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि यह एरिया पैमाने पर सही बैठता है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, आपने कहा है कि हाटी ट्राईब की रजिस्ट्रेशन होनी है, तो मैं चाहूंगा कि प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार इसके ऊपर क्या पग उठा रही है? इस क्षेत्र की जो लम्बे समय से मांग है, आपके घोषणा पत्र में भी चुनावी वायदा किया गया था। वर्ष 2014 में राजनाथ सिंह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने भी घोषणा की थी। ट्राईबल अफेयर मिनिस्टर ने भी वर्ष 2019 में घोषणा की थी । तो मैं जानना चाहूंगा कि सरकार इसको टाईबल डिक्लेयर करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

तकनीकी शिक्षा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई कर रही है, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जब से माननीय ठाकुर जय राम जी की सरकार बनी है, हमने इसमें निरंतर प्रयास किया है। माननीय सदस्य ने यह भी वर्णन किया है कि विश्वविद्यालय में एक कमेटी बनी थी, मैं उसका भी वर्णन करना चाहूंगा कि निदेशक, जनजातीय अध्ययन संस्थान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने इस संदर्भ में दिनांक 30 जुलाई, 2016 को अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी। निदेशक, जनजातीय अध्ययन संस्थान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा

प्रस्तुत रिपोर्ट का विभाग ने विस्तारपूर्वक परीक्षण किया तथा राज्य सरकार ने रिपोर्ट में गिरीपार क्षेत्र में दर्ज सभी गांव को अनुसूचित क्षेत्र तथा

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

10.3.2022/1105/av/dc/1

प्रश्न संख्या : 5014 -----क्रमागत

तकनीकी शिक्षा मंत्री-----जारी

तथा राज्य सरकार ने रिपोर्ट में गिरीपार क्षेत्र में दर्ज सभी गांवों को अनुसूचित क्षेत्र तथा इन क्षेत्रों में रह रहे समस्त हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में डालने का प्रस्ताव दिनांक 30.08.2016 को सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा था। मैं आगे बताना चाहूंगा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 25.4.2017 द्वारा इस मामले में जिला सिरमौर के गिरीपार क्षेत्र के साथ-साथ जिला शिमला के उप मण्डल डोडरा-क्वार व 15/20 तथा जिला कुल्लू के 15/20 क्षेत्रों से संबंधित मामला भारत सरकार को भेजा है। इसमें कुछ कंडिशन्ज थीं जैसे :-

(i). Village/Gram Panchyat/Tehsil/ Block-wise ST population is per Census 2011, census code number of village towns.
(ii). Geographical map indicating proposed Scheduled Area, contiguity of areas with existing Schedule Areas, or
(iii). Contiguity of proposed Schedule Areas in case of new area proposed for Schedule Areas.
(iv). Recommendation of the Governor of the State for declaration of Scheduled Areas in Himachal Pradesh,as stated above.

उपायुक्त सिरमौर से गिरीपार क्षेत्र से संबंधित गांवों की सूचना मंगवाकर तथा गिरीपार क्षेत्र के मानचित्र तैयार करवाकर माननीय राज्यपाल की सिफारिश सहित गिरीपार क्षेत्र

को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने तथा गिरीपार क्षेत्र में रह रहे हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु मामला जनजातीय कार्यालय मंत्रालय, भारत सरकार को पुनः दिनांक 19 जुलाई, 2018 को प्रेषित किया था। उसके बाद पांचवी बार मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश द्वारा अर्धशासीय पत्र दिनांक 4 अगस्त, 2018 को केंद्रीय गृह मंत्री महोदय तथा केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री से गिरीपार क्षेत्र को अनुसूचित जाति क्षेत्र घोषित करने

10.3.2022/1105/av/dc/2

तथा गिरीपार क्षेत्र में रह रहे हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया गया था। उसके बाद छठी बार सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हमें दिनांक 24.10.2018 को यह सूचित किया गया कि रजिस्ट्रार, गवर्नमैंट ऑफ इंडिया द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के गिरीपार क्षेत्र में रह रहे हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने के प्रस्ताव को अस्वीकृत करने के मद्देनज़र इस समुदाय की full-fledged ethnographic study करवाई जाए तथा मंत्रालय को नया प्रस्ताव भेजा जाए। मैं यहां पर माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमने जो रिपोर्ट पहली बार वर्ष 2018 को भारत सरकार को भेजी थी उसमें कुछ कमियां रह गई थीं। उन्होंने हमें दोबारा एथनोग्राफिक स्टडी करने के लिए कहा इसलिए हमने यह स्टडी फिर से करवाई। हालांकि माननीय केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री, भारत सरकार के हिमाचल प्रदेश के दौरे के दौरान दिनांक 29.11.2018 को हुई बैठक में माननीय मुख्य मंत्री ने उनसे पुनः अनुरोध किया कि राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर फिर से विचार किया जाए तथा गिरीपार क्षेत्र में रह रहे हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने के प्रस्ताव पर शीघ्र उचित कार्रवाई की जाए। हमने फिर से दिनांक 4.12.2018 को भारत सरकार को पत्र भेजा और उस पर दोबारा से विचार करने का अनुरोध किया। उसके पश्चात दिनांक 20 मार्च, 2019 को राज्य सरकार के प्रस्ताव पर पुनः निरीक्षण करके हाटी समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल करने हेतु अनुरोध किया गया था। उसके एकदम बाद श्री अमित शाह, गृह मंत्री, भारत सरकार के पत्र संख्या दिनांक 19.6.2019 द्वारा यह सूचित किया गया कि इस प्रकरण में परीक्षणोपरांत समुचित कार्रवाई की जाएगी। हमने दिनांक 2 मार्च, 2021 को जनगणना-2011 में हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में हाटी समुदाय को सम्मिलित नहीं किया है जिसके

दृष्टिगत गिरीपार क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित नहीं किया जा सकता क्योंकि जनजातीय क्षेत्र को घोषित करने बारे जनजातीय जनसंख्या का बाहुल्य मापदण्ड, गिरीपार क्षेत्र पूरा नहीं करता है। यद्यपि मंत्रालय ने उपरोक्त पत्र द्वारा ही हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने बारे अलग से प्रस्ताव भजने बारे कहा है।

टी सी द्वारा जारी

10/03/2022/1110/टी0सी0वी0/डी0सी0/1

प्रश्न संख्याः 5014 .. क्रमागत्

तकनीकी शिक्षा मंत्री... जारी

पत्र द्वारा हाट्टी समुदाय को अलग से पत्र भेजने को कहा। इसी संदर्भ में केन्द्रीय, हाटी समिति, जिला सिरमौर के आवेदन प्रधान मंत्री कार्यालय एवं मुख्य मंत्री कार्यालय के माध्यम से विभाग में प्राप्त हुए हैं जिन पर आर0जी0आई की कुछ आब्जर्वेशन्ज के दृष्टिगत इस मामले का पुनः निरीक्षण करके हाट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजातीय में शामिल करने के बारे में नई ethnographic report व अन्य संबंधित दस्तावेजों सहित जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को दिनांक 18.09.2021 तथा पुनः दिनांक 03.03.2022 को भेजी जा चुकी है।

दिनांक 04.02.2020 को जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने यह मामला आर0जी0आई0 कार्यालय को भेज दिया है और वर्तमान में यह आर0जी0आई के विधाराधीन है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने उपरोक्त मामले में दिनांक 09.03.2022 को अर्धशासकीय पत्र के माध्यम से माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार से पुनः आग्रह किया है कि हाट्टी समुदाय को ट्राइब्ल घोषित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को अक्षरशः इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया है। हम चाहते हैं कि इनको ट्राइब्ल घोषित किया जाए। ट्रांस गिरी एरिया को ट्राइब्ल एरिया घोषित करने से पहले इसको जनजातीय अनुसूचित जाति घोषित करना पड़ेगा। तभी यह ट्राइब्ल एरिया बनाया जा सकता है। वर्ष 1956 में किन्नौर, पांगी और लाहौल स्पिति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया था और वर्ष 1976 में उनका एरिया जनजातीय घोषित किया गया। हमने भारत सरकार से निवेदन किया है इसको जनजातीय क्षेत्र घोषित करने के

लिए बहुत-सारी कंडीशन्ज हैं। इसमें indicative primitive traits होने चाहिए, वह वहां पर मिसिंग है। Distinctive culture होना चाहिए लेकिन वह भी मिसिंग है, geographical isolation चाहिए। हमने पूरा प्रपोजल भेजा है। ...व्यवधान .. . आज शांति है और श्री हर्षवर्धन चौहान जी की आवाज भी कम आ रही है। ...व्यवधान... अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2018 में केन्द्रीय मंत्री जी हिमाचल प्रदेश में आए और हमने उनके साथ बैठक की थी। सरकार सजग है और हम चाहते हैं कि यह समुदाय ट्राइब्ल घोषित हों। इसके लिए मुख्य मंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यह भारत सरकार के विचाराधीन है। ...व्यवधान. आपके समय में इसके लिए एक पत्र लिखा गया और एक समिति का गठन किया गया। उस कमेटी की रिपोर्ट भी गई थी। लेकिन वह समिति भंग कर दी गई। उसके

बाद हमने फिर से स्ट्डी करके एक रिपोर्ट और भेजी। परंतु उन्होंने कहा कि इसका ethnographic निरीक्षण नहीं हुआ है। हमने इसको स्टडी करके दोबारा भेजा है। हमने इसके लिए प्रयास किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत शीघ्र इसमें उचित कार्रवाई होगी।

एन0एस0 द्वारा जारी .....

10-03-2022/1115/NS/HK/1

प्रश्न संख्या : 5014 .....क्रमागत

श्री विनय कुमार : अध्यक्ष महोदय, डबल इंजन की सरकार है। आपके मंत्री महोदय दो बार आ करके घोषणा कर गए हैं। अगर यह फिजिबल नहीं था तो घोषणा क्यों की? चुनाव आते हैं और उससे पहले आ करके घोषणा करके चले जाते हैं। ट्रांस गिरी एरिया के मसले से 150 पंचायतें जुड़ी हुई हैं। आप इसको मजाक में ले रहे हैं। यह बहुत ज्वलंत मुद्दा है। मैं मंत्री जी से चाहता हूं कि आपने वर्ष 2018 से लेकर अब तक जो प्रयास किए हैं उसकी प्रति सभा पटल पर रखें।

तकनीकी शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं सारी रिपोर्टस ले करके सभा पटल पर रखूंगा। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमने घोषणा नहीं की है, हमने केवल प्रयास किए हैं। मैंने आपको इसका जवाब दिया है। हमने भारत सरकार को 14 बार पत्र लिखा है। आपके समय में इस पर जो स्टडी हुई थी और उस स्टडी के आधार पर भारत सरकार ने कहा है कि निरन्तर ethnographic के आधार पर होना चाहिए। हम चाहते हैं कि यह घोषित हो। अध्यक्ष महोदय, वहां पर 2,51,657 की जनसंख्या है। इसमें राजगढ़, संगढ़ाह, शिलाई, नौहराधार और पांवटा साहिब का एरिया आता है। ये सारा इलाका शैड्यूल ट्राईब में आता है। हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हमने घोषणा नहीं की है। यह कहना उचित नहीं है। हमने वर्ष 2017 से लेकर अब तक निरंतर प्रयास किए हैं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपने कहा कि सारे कागज़ात जो प्रयास किए हैं सभा पटल पर रखें जाएं तो मंत्री जी रख देंगे। इसमें चर्चा हो गई है। श्री हर्षवर्धन जी आप क्या बोलना चाहते हैं?

श्री हर्षवर्धन चौहान : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने विस्तृत जवाब दिया है। यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है। पिछली सरकार ने भी प्रयास किया है और आपकी सरकार ने भी प्रयास किया है। सभी राजनीतिक पार्टी के लोगों की भावना इससे जुड़ी हुई है। सब चाहते हैं कि यह क्षेत्र ट्राईबल घोषित हो। आज आपकी सरकार केंद्र में हैं। आपने कहा कि नोडल एजैंसी एच0पी0 यूनिवर्सिटी के ट्राईबल डिपार्टमैंट की रिपोर्ट है और उसमें चारों पैमानों पर फिट बैठता है। Ethnographic रिपोर्ट ठीक पैमाने पर बैठती है। मैं, मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आप प्रधान मंत्री जी और केंद्र सरकार से निजी रूप में प्रयास करें। आप हाटी ट्राईब को कह रहें हैं कि 0.20 प्रतिशत ट्राईब हैं। ट्राईब के लोग मांग कर रहे हैं कि Registrar General of Tribal जो है वह हमें हाटी ट्राईब की उसमें रजिस्ट्रेशन हो तो

10-03-2022/1115/NS/HK/2

डिक्लेयर होंगे। मैं, मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप प्रधान मंत्री जी से निजी रूप में निवेदन करें और अगर इस बैकवर्ड एरिया को ट्राईबल स्टेट्स मिलता है तो वहां के लोगों को नौकरियां मिलेंगी और फंड्ज का फ्लो भी ज्यादा होगा तथा इस क्षेत्र में विकास होगा क्योंकि इसमें संवैधानिक संशोधन होना है। संशोधन के लिए केंद्र में स्पष्ट बहुमत की सरकार है और तभी संशोधन होगा। मैं इसके लिए मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा।

आपसे भी कई बार लोगों का डेप्यूटेशन मिला है। आप निजी रूप से प्रधान मंत्री से प्रयास करेंगे तो यह हो जाएगा।

तकनीकी शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जवाब माननीय सदस्य के पास है। हमने कहीं नहीं कहा है और इसमें लिखा है In March 2021, Ministry of Tribal Affairs, Government of India, intimated that the criteria for declaration of Scheduled Area, envisages the following:

(i) Preponderance of tribal population
(ii) Compactness and reasonable size of the area
(iii) A viable administrative entity such as district, block or taluk, and
(iv) Economic backwardness of the area as compared to the neighbouring areas.

अध्यक्ष महोदय, यह इन चारों कंडीशन में कहीं भी फिट नहीं बैठता है। इसका हमने आपको जवाब दिया है और हम इसकी पोजिटिव रिपोर्ट दे रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि वहां पर सभी कास्ट के लोग रहते हैं। वहां पर only 0.20 पॉपुलेशन है और वहां पर गुज्जर लोग रहते हैं और किसी भी तरीके से यह फुलफिल नहीं होता है। इसमें चार कंडीशन्ज़ हैं और इसके बावजूद मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि हमें घोषित करना है और केंद्र सरकार को भेजना है। हमने इसे पोजिटिबली भेजा है। हमने ethnographic स्टडी करके रिपोर्ट भेजी है और यह कहीं नहीं लिखा है।

मुख्य मंत्री .....श्रीआर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

10.03.2022/1120/RKS/एजी-1

प्रश्न संख्याः 5014... जारी

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बड़े विस्तार से इस प्रश्न का उत्तर दिया है। उस क्षेत्र के लोग इस मांग को काफी समय से कर रहे हैं। हमारी सरकार इस काम को करवाने के लिए सकारात्मक दृष्टि के साथ प्रयास कर रही है। उस क्षेत्र के लोगों की भावनाओं का सम्मान करने के लिए हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। उत्तराखंड का जोनसार इलाका इस क्षेत्र के साथ लगता है। ये दोनों क्षेत्र साथ लगते हैं इसलिए कुछ

परिवार के लोगों ने तो इन दोनों क्षेत्रों में अपने घर बनाए हैं इस तरह एक परिवार के लोग आधे ट्राइबल एरिया में आते हैं और आधे ट्राइबल एरिया से वंचित हैं। यह एक विचित्र स्थिति बनी हुई है। इन क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति और रीति-रिवाज एक जैसा ही है। इसलिए शिलाई, रेणुकाजी और पच्छाद विधान सभा क्षेत्र के लोगों को भी जोनसार क्षेत्र की तर्ज पर जनजातीय क्षेत्र का दर्जा मिलना चाहिए। शिलाई, रेणुकाजी और पच्छाद विधान सभा क्षेत्र के लोगों का एक बहुत बड़ा डेपूटेशन मुझसे इस विषय पर बातचीत करने के लिए मिला था। मेरी उनके साथ बड़े विस्तार से चर्चा हुई है। हिमाचल सरकार की ओर से पोजिटिव एंथ्रो ग्राफिक्स रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को भेज दी गई है। इससे पहले यह मामला इतना पोजिटिव नहीं भेजा गया था। मैंने व्यक्तिगत रूप से इस विषय में केंद्र को प्रत्र लिखा है और माननीय रक्षा मंत्री जी से भी इस विषय में बड़े विस्तार से बता की है। जो डेपूटेशन मझसे मिला था उन्हें भी उम्मीद है कि केंद्र व प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए यह काम हो जाएगा। माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है क्योंकि साथ लगता इलाका पुनः भाजपामयी हो गया है। ...व्यवधान...आप लंबे समय से उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अगर आपने ईमानदारी के साथ इस दिशा में प्रयत्न किया होता तो यह मसला कब का हल हो जाता। लेकिन आज आप इतने व्याकुल हो गए हैं और यह चाह रहे हैं कि यह काम अभी होना चाहिए। मैं आपको कहना चाहूंगा कि हर काम को करने में वक्त लगता है। हम इस सारे मामले को केंद्र के समक्ष उठाएंगे ताकि उस क्षेत्र के लोगों की मांग को पूरा किया जा सके

10.03.2022/1120/RKS/एजी-2

तकनीकी शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, हर्ष वर्धन चौहान जी कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत प्रयास किया। लेकिन मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि हाटी समुदाय को ट्राइबल एरिया का स्टेटस न मिले इसके लिए इन्होंने क्या प्रयास किये? इसे डाइल्यूट करने के

लिए इन्होंने और क्षेत्र जोड़ने की कोशिश की। कांगड़ा जिला के छोटा और बड़ा भंगाल के क्षेत्र, ट्रांसगिरी एरियाज ...व्यवधान.. गोहर वैली, चौहार वैली, डोडरा क्वार और कुल्लू के मलाणा क्षेत्र को इन्होंने ट्राइबल में डालने की बात कही ताकि ट्रांसगिरी एरिया का प्रस्ताव दब जाए।

अगला प्रश्न,श्री एन जी द्वारा... जारी

10-03-2022/1125/ए.जी.-एन.जी. /1

प्रश्न संख्या - 5015

श्री सुरेन्द्र शौरी (बन्जार) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बन्जार में ट्रैफिक जाम को लेकर है। बन्जार में हर दिन 2-2 घण्टे ट्रैफिक जाम लगता है और पर्यटन के सीजन में तो इस से भी ज्यादा समय तक ट्रैफिक जाम लगता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि बन्जार में यातायात की बेहतर सुविधा और वहां पर जाम न लगे इसके लिए बन्जार में अलग से ट्रैफिक विंग का निमार्ण किया जाएगा। बन्जार में सिधुआं से लेकर घेड़ीघाट क्षेत्र तक 4-5 किलोमीटर के अंदर बहुत जाम लगता है जिस कारण लोगों को काफी असुविधाएं होती हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि आने वाले समय में जल्दी ही बन्जार में ट्रफिक विंग बनाया जाएगा।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस विषय को लेकर मैंने अपना उत्तर दे दिया है। हमारे पास अभी जो प्रावधान है उसके अनुसार ट्रैफिक विंग पूरे जिला के लिए होता है। किसी उप-मण्डल या थाने के लिए नहीं होता है। पूरे प्रदेश में कहीं पर भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि कुल्लू जिला एक पर्यटन स्थल है। माननीय सदस्य ने जिस सड़क का जिक्र किया है वह बन्जार के मुख्य बाजार के बीच में से होकर गुजरती है। वह सड़क बहुत तंग है। उसमें से एक वक्त में एक ही गाड़ी गुजर सकती है। मेरे

क्षेत्र के लिए भी वहां से रास्ता जाता है। इसलिए मैं एक नहीं बल्की अनेक बार उस सड़क के ट्रैफिक जाम में फंसा हूं। उस सड़क में यदि कोई गाड़ी सामने से आ जाती है तो दूसरी गाड़ी को आगे-पीछे करने की गुंजाइश ही नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं कि लोक निर्माण विभाग के माध्यम से वहां पर एक बाइपास का निर्माण कार्य जल्द पूर्ण कर लिया जाए और मुझे लगता है कि अगले एक वर्ष में वह काम पूरा हो जाएगा। वहां पर ट्रैफिक की बहुत ज्वलंत समस्या है। वह एक बोटल-नैक की तरह बहुत छोटा सा पोरशन है जिसमें ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि कईं घंटों तक जाम लग जाता है।

10-03-2022/1125/ए.जी.-एन.जी. /2

अध्यक्ष महोदय, हम कुल्लू जिला में ट्रैफिक की व्यवस्था को augmentation करने की आवश्यकता को महसूस कर रहे हैं। वहां पर पर्यटकों का बहुत दबाव रहता है क्योंकि जलोड़ी-जोत जाने के लिए यही एक मात्र रास्ता है। ट्रैफिक का संचालन अच्छी तरह से कैसे हो सकता है इसके लिए जो भी आंतरिक व्यवस्थाएं करनी होंगी, हम उन्हें करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि जब बाइपास का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा तो वहां पर ट्रैफिक की समस्या ज्यादा नहीं रहेगी। अध्यक्ष महोदय, अभी तो मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि ट्रैफिक विंग पूरे जिला के लिए होता है और किसी उप-मण्डल या थाने के लिए नहीं होता है। उस विशेष स्थान के लिए माननीय सदस्य की परेशानी बिलकुल सही है क्योंकि कई बार यदि कोई मरीज एम्बुलैंस में होता है और वहां पर रास्ता बंद हो जाता है। उसे अस्पताल पहुंचाने में भी बहुत दिक्कत होती है। उस पोरशन में ट्रैफिक व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए जो भी आंतरिक व्यवस्था करनी होगी उसे हम अवश्य करेंगे।

प्रश्न समाप्त/-

अगला प्रश्न.....श्री जे.एस. द्वारा जारी.....

10.03.2022/1130/JS/HK/1

प्रश्न संख्याः 5016

श्री पवन कुमार काजलः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी है वह काफी विस्तार से है लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि कई कर्मचारी 8 वर्ष तक कॉंट्रेक्ट पर रहते हैं और उसके बाद रैगुलर होते हैं। कई बैच वाइज़ के आधार पर 10-12 वर्ष ही नौकरी कर पाते हैं। मैं यहां पर सरकार का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि जो कॉंट्रेक्ट का कार्यकाल है यदि उसको उनकी सीनियोरिटी में जोड़ देते हैं तो उनकी प्रमोशन व रिटायरमैंट में बैनिफिट मिल सकता है।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैंने इसका उत्तर बहुत विस्तार से दिया है। लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि अनुबन्ध एक अस्थाई व्यवस्था है। एक अनुबन्ध कर्मी केवल अनुबन्ध शर्तों से ही जुड़ा होता है। अतः नियमित होने पर वह वरिष्ठता का पात्र नहीं हो पाता है। हमारी सरकार ने जो अनुबन्ध का पीरियड है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, पहले यह लम्बा होता था, पहले यह 3 वर्ष का था और अब इसे हमने 2 वर्ष कर दिया है। ऐसे में मुझे लगता है कि उसको बहुत लम्बे समय तक अपनी वरिष्ठता के लिए जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि अब 2 वर्ष का पीरियड पूरा होने के बाद वह नियमित हो जाएगा। उसके बाद ही वह इसमें कवर हो पाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार द्वारा समय-समय पर अनुबन्ध कर्मचारियों की सेवाओं सम्बन्धी विभिन्न निबन्धन एवं शर्तें निर्धारित की जाती हैं। इन निबन्धन एवं शर्तों में स्पष्ट उल्लेख है कि अनुबन्ध पर कार्यरत्त कर्मचारियों पर विभिन्न सेवा संबंधित नियम, जो नियमित कर्मचारियों पर लागू होते हैं, जैसे कि एफ.आर.एस.आर., लीव रूल्ज़,सी.सी.एफ. पैंशन रूल्ज़ और सी.सी.एफ. कंडक्ट रूल्ज़ इत्यादि लागू नहीं होते हैं। इसलिए यह एक टैक्निकल इशू है। मुझे लगता है कि जो आपकी मंशा है उस मंशा को हमने काफी हद तक पूरा कर लिया है। अब हमने कॉंट्रेक्ट पीरियड दो वर्ष का कर दिया है। इस कारण से बहुत सारे कर्मचारियों को अब इस तरह की पीड़ा से नहीं गुजरना पड़ेगा।

10.03.2022/1130/JS/HK/2

प्रश्न संख्याः 5017

श्री किशोरी लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि मेरे चुनाव क्षेत्र में सड़कों के निर्माण में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के स्टेज। व ॥ के लिए 361 करोड़ रुपये इन चार वर्षों में खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें से 75 सड़कें। तथा ॥ स्टेज में तथा 50 ऐसी सड़कें हैं जिस पर डी.पी.आर्ज़. बनाई जा रही हैं और फोरैस्ट क्लीयरैंस ली जा रही हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम द्वारा जो हाल ही में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना स्टेज-॥। के तहत जो पूरे प्रदेश से अभी 15 ब्लॉक अपग्रेड करने हैं, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि मेरे निरमंड ब्लॉक को उसमें लिया है, जिसमें मेरे क्षेत्र की चार महत्वपूर्ण सड़कें डमैहली से निशानी-अरसू तक , वजीर बावली से थाचवा सड़क, नीथर से टमाह सड़क और निशानी-पाली-परान्तला सड़क जो कि 32 किलोमीटर की ये चार सड़कें हैं। जिन पर 3832.24 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं। इसके अलावा निरमंड ब्लॉक की सड़क के बारे में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि एक महत्वपूर्ण सड़क जिसको कि ॥ व ॥। स्टेज में लेना है, कुछ तकनीकी कारणों की वजह से वह सड़क उसमें नहीं आ पा रही है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी---

10.03.2022/1135/SS-YK/1

प्रश्न संख्या : 5017 क्रमागत

श्री किशोरी लाल क्रमागत :

और अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आनी ब्लॉक आता है वहां पर 40 से अधिक सड़कों को प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना स्टेज-॥। में जोड़ना है। मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मेरे आनी

ब्लॉक की इन सड़कों को प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना स्टेज-III के तहत कब तक मंजूरी दी जाएगी?

अध्यक्ष महोदय, मेरा आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लगा है, एक महत्वपूर्ण सड़क लूरी से नूर को एम0डी0आर0 में डालना है। आज मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मेरे आनी विधान सभा क्षेत्र की महत्वपूर्ण सड़क लूरी से नूर को 8 मार्च, 2022 को एम0डी0आर0 में डालने की अधिसूचना जारी हुई है। इसके लिए मैं आनी विधान सभा क्षेत्र की तरफ से प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष : आपका प्रश्न क्या है, आप प्रश्न करिए।

श्री किशोरी लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे आनी ब्लॉक में कई महत्वपूर्ण सड़क हैं जोकि प्रधान मंत्री ग्रामीण स्टेज-III में डालनी हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कब तक आनी ब्लॉक की सड़कों को इसमें मंजूरी दी जाएगी?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के जो प्रश्न हैं उसका हमने बहुत विस्तार से उत्तर दिया है। वास्तव में पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज़-III अभी हमारे प्रदेश में शुरू नहीं हुआ है, वह शुरू होना है। इस साल इसकी स्वीकृति के लिए प्रक्रिया पूरी होगी। अभी हमने पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज़-III में हिमाचल प्रदेश के 15 ब्लॉक शामिल किए हैं। ये ब्लॉक पायलट बेसिज पर शामिल किए गए हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज़-III इसके फेज़-I और फेज़-II से बिल्कुल अलग है। इसलिए अभी यह प्रक्रिया शुरू हुई है। जैसे ही आगे बढ़कर इसकी

टेक्निकल चीज़ें सम्पूर्ण होंगी,उसके बाद आपके क्षेत्र की जो सड़कें हैं वे इसके अंतर्गत आएंगी। उनको पूरा करने की दृष्टि से हम आगे बढ़कर काम करेंगे। मुझे यह भी कहने में संकोच नहीं है कि आनी विधान सभा क्षेत्र में सड़कों के निर्माण की दृष्टि से बहुत बड़ा कार्य

पिछले समय में हुआ है। उसमें चाहे पी0एम0जी0एस0वाई0 के अंतर्गत सड़कों की अपग्रेडेशन की बात है या चाहे नई सड़कों की बनाने की दृष्टि से बात है मैं कहता हूं कि उसमें बहुत गति आई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आनी विधान सभा क्षेत्र जो भौगोलिक दृष्टि से बहुत कठिन है उसमें निरमंड और आनी दोनों इलाकों में अभी सड़कों की बहुत जरूरत है। पी0एम0जी0एस0वाई0 हमारे प्रदेश के लिए एक वरदान साबित हुआ है। हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए वरदान साबित हुआ है। जो सड़कों की कुल लम्बाई आज तक बनी है उसमें 50 परसैंट से ज्यादा कंट्रीब्यूशन पी0एम0जी0एस0वाई0 का रहा है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस योजना की शुरूआत की थी। अगर मैं सही मायनों में कहूं तो आज की तारीख में अगर पी0एम0जी0एस0वाई0 के अंतर्गत सड़कों के निर्माण का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हो पाता, बजट का प्रावधान नहीं हो पाता तो आज भी न जाने प्रदेश की कितनी पंचायतें सड़कों की कनैक्टिविटी के बिना रह जातीं। आज सड़कों के बिना पंचायतों की संख्या 50 के करीब है और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी इस साल के अंत तक वे सड़कें भी कनैक्ट हो जाएंगी।

जारी श्रीमती के0एस

10/03/2022/1140/केएस/एचके/1

प्रश्न संख्या 5017 जारी--

मुख्य मंत्री जारी---

जिन सड़कों का आपने ज़िक्र किया है, ये केन्द्र सरकार के विचाराधीन हैं और हमारा प्रयत्न है कि उसमें हमारे जो 80 ब्लॉक हैं, आने वाले समय में हम उन सभी को कवर करेंगे और 3125 किलोमीटर रोड़ इसमें अपग्रेड किए जाएंगे।

प्रश्न समाप्त

10/03/2022/1140/केएस/एचके/2

प्रश्न संख्या 5018

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना माननीय मुख्य मंत्री जी ने सभा पटल रखी है, आपको याद होगा कि वर्ष 2016 के आसपास हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाईवेज़ को ले कर बहुत हवाएं चली थीं। 69 नेशनल हाईवेज़, जिनकी लागत 65000 करोड़ रुपये बताई गई थी, उनकी नीतिन गडकरी जी ने सैद्धांतिक तौर पर घोषण की थी। उसके बाद जो अब मुख्य मंत्री जी ने उत्तर दिया है, इन्होंने कहा है कि 4311 किलोमीटर सड़कें इसके तहत आनी थीं। वर्ष 2018 में इन्होंने कहा कि 58 सड़कों की ड्राफ्ट अलाइनमेंट रिपोर्ट तैयार करके भेज दी और अब ये कह रहे हैं कि जो दिशा-निर्देश होते हैं, नेशनल हाईवे के यार्डस्टिक फाइनल हो रहे हैं और वर्ष 2019 से यार्डस्टिक्स बन रहे हैं यानि 6 साल हो गए प्रिंसिपल अप्रूवल को, 4 साल हो गए ड्राफ्ट अलाइनमेंट रिपोर्ट को, 3 साल हो गए यार्डस्टिक्स बनते हुए और अब मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपके कार्यकाल का, इस टैन्योर का समय तो 6 महीने ही रह गया है। 6 महीने में आप क्या 69 नेशन हाईवेज़ की सैद्धांतिक अप्रूवल को कहीं आगे भी खिसका सकेंगे ? क्योंकि यहां पर इन्होंने आपका सिर्फ एक पत्र रखा है। इसका मतलब आपने जो पत्रव्यवहार किया वह सिर्फ वर्ष 2018 में किया। उसके बाद आपने कभी कोई पत्र केंद्र को नहीं लिखा। या तो आपने इस मसले को छोड़ दिया या कितनी सड़कों पर आपको लगता है कि अप्रूवल होगी क्योंकि उस समय तो आपने पगडंडियां भी नेशनल हाईवेज़ घोषित कर दी थी। वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक देखा नहीं गया। अब कितनी आपकी सड़कें नेशन हाईवे के मानदण्डों पर खरी उतरती हैं और आप क्या सोचते हैं कि इन नेशनल हाईवेज़ का क्या होगा? कुछ होगा भी या कि आपने सत्ता हासिल करने के लिए ही यह 65 हजार करोड़ रुपये की घोषणा की थी

10/03/2022/1140/केएस/एचके/3

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत छोटी-छोटी बातें याद रखी हैं। स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक परिस्थिति है, यहां सड़कों का बहुत महत्व है। अगर हम कहें तो सही मायने में आने-जाने का एक मात्र साधन सड़कें ही हमारे पास हैं। हिमाचल एक टूरिस्ट डैस्टिनेशन होने के कारण यहां सड़कों की बहुत ज़रूरत है। इस दिशा में जो ज़िक्र यहां पर किया गया, जो 69 नेशनल हाईवेज़ हैं, मैं आपको एक बात बताऊं कि आपको यह विषय बहुत पीड़ा दे रहा है। यही एक मात्र कारण नहीं था कि हम इस तरफ आ गए, आप उस तरफ चले गए और भी बहुत सारे कारण थे लेकिन इसको आप एक बड़ा कारण गिनते हैं। यह बात सत्य है कि 69 नेशनल हाईवेज़ की इन प्रिंसिपल मंजूरी मिलने के बाद हम आगे बढ़े।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

10.3.2022/1145/av/hk/1

प्रश्न संख्या :5018 -----क्रमागत

मुख्य मंत्री----जारी

जब हम सत्ता में आए थे। हमने उस समय 58 सड़कों की अलाइनमैंट का प्रोसैस कंप्लीट किया था। हम जब इनकी डी0पी0आर्ज0 बनाने की बात सोच रहे थे तो केंद्र सरकार की ओर से हमारे समक्ष यह बात रखी गई कि नेशनल हाईवेज की गाइडलाइंस में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं और यदि इन चेंजिज के बाद डी0पी0आर्ज0 बनाई जाए तो उसका लाभ मिलेगा। इन परिस्थितियों के कारण वहां पर डी0पी0आर्ज0 बनाने का काम लंबित हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि गाइडलाइंस की बात शीघ्र पूरी हो जाएगी। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हम जब भी दिल्ली जाते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि हमारे जिन नेशनल हाईवेज के लिए सैंद्धातिक रूप से स्वीकृति दी गई है उनमें से कुछ सड़कों पर काम शुरू हो जाएं। इस दृष्टि से हमने एक बार नहीं बल्कि अनेक बार उनसे चर्चा की है

तथा इनके बारे में लिखा भी है। हमने यह कहा कि अगर इसको फेज्ड मैनर में करना है तो हमने इसकी एक लिस्ट बनाई जिसमें लगभग 69 नैशनल हाईवेज के मेज़र पोर्शन कवर हो पा रहे थे तो हमने उसको 25 तक किया। यदि इन 25 रोड्ज पर हम शुरुआत करते हैं तो एक अच्छी शुरुआत हो जाएगी क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हमारी रोड कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। यहां पर आने-जाने की सुविधा को बेहतर बनाने की दृष्टि से हमने केंद्र सरकार के समक्ष हमेशा अपना पक्ष रखा। परंतु हमें इस बात को भी स्वीकार करना होगा कि जब यह सारी प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी तो उस दौरान कोविड महामारी का दौर आया। उसके कारण इस प्रकार का एक नहीं बल्कि अनेक प्रोजैक्ट्स जिनमें आगे बढ़ने की बात थी; वे सारे-के-सारे लंबित हुए हैं। जिन 69 नैशनल हाईवेज की बात हम कर रहे हैं; वे अब नहीं बनेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा दो-अढ़ाई साल का कार्यकाल कोविडकाल से उत्पन्न स्थितियों से निपटने में गया है। इस प्रोजैक्ट में बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, परंतु कोविड के कारण देश की आर्थिकी इस कद्र प्रभावित हुई है कि इस प्रकार के कुछ बड़े प्रोजैक्ट लंबित

10.3.2022/1145/av/hk/2

पड़े हैं। मगर यह कहना कि ये प्रोजैक्ट रिजैक्ट हो गए; ऐसा नहीं कहा जा सकता। उसके पश्चात 25 रोड्ज के साथ-साथ हमने एक और सूची दी है। उसमें हमने कहा है कि यदि इसको और ज्यादा स्क्रूटिनाईज करने वाली बात आती है तो हमने 9 नैशनल हाईवेज पर काम शुरू करने की बात कही थी। उसके बारे में गंभीरता से विचार चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि उनके बारे में आने वाले समय में निश्चित रूप से कोई अच्छा निर्णय लिया जाएगा। आपको इस बात की पीड़ा है कि उस वक्त चुनाव के परिणाम आपके हिसाब से नहीं आ पाएं और आज भी नहीं आ पा रहे हैं। आज जो परिणाम आ रहे हैं वह नैशनल हाईवेज के कारण प्रभावित नहीं हैं । ...व्यवधान... चार प्रदेशों में हमारी सरकारें थीं और मुझे लग रहा है कि हम वहां यथावत् हैं। हालांकि मैंने खबरें नहीं सुनी क्योंकि अभी प्रश्नकाल चल रहा है। इसलिए प्रश्नकाल के दौरान हम पूरी तरह से केंद्रीत होकर आपके प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। ...व्यवधान... आप किस योगदान की बात कर रहे हैं? हमारी

पार्टी की सरकारें बन रही हैं परंतु पंजाब का हमें बहुत दुःख है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हम इन नैशनल हाईवेज के लिए अभी भी गंभीरता से प्रयत्नशील हैं। आप यह मानकर चल रहे हैं कि इसके बाद कुछ नहीं होगा तो मैं आपको बताऊं कि अभी हमारा बजट सत्र चल रहा है और फिर मोनसून सत्र भी आएगा। हमारे पास 8-9 महीनें का समय अभी और है।

टी सी द्वारा जारी

10/03/2022/1150/टी0सी0वी0/एच0के0/1
प्रश्न संख्याः 5018 .. क्रमागत्
मुख्य मंत्री... जारी
मैं उम्मीद करता हूं कि इन सारी चीजों को देख करके हम उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। हिमाचल प्रदेश मे रोड कनैक्टिविटी आने-जाने का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन हैं। इसलिए हम इसको प्राथमिकता के आधार पर करने की कोशिश करेंगे।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी बड़े खुश हैं इसलिए इतने गंभीर प्रश्न को मजे-मजे में टाल रहे हैं। इसकी अनाउंसमेंट वर्ष 2016 हुई और उस समय हमारी कांग्रेस सरकार का सिर्फ एक साल शेष रहा था। उस एक साल में इन्होंने हमारे नाक में दम कर दिया था कि कुछ नहीं हो रहा है और न कोई डी0पी0आर्ज0 बन रहीं हैं। इनकी सरकार को बने हुए सवा चार साल से अधिक का समय हो गया है। मुख्य मंत्री जी 63 नेशनल हाईवे को कम करके 9 पर आ गये हैं और कह रहे हैं कि मेरे पास 8-9 महीने का इफैक्टिव टाइम है। क्या 8-9 महीनों में नेशनल हाईवे बन सकते हैं? इनका कार्य शुरू भी नहीं हो पाएगा। अभी तो इनके लिए जमीन एक्वायर करनी है, उसके बाद फैक्टर-॥ लगाना है और चार गुणा मुआवजा भी देना है। यह मसला पूरा ही ठप हो गया है। इनको इस माननीय सदन में मान लेना चाहिए कि हमने गलत बोला था, हमने हिमाचल प्रदेश के लोगों को धोखा दिया है और हम इस कार्यकाल के दौरान इन नेशनल हाईवे को नहीं बना सकते हैं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आज हालात इस प्रकार के बनें हैं कि हमारे विपक्ष के नेता बड़े ही गंभीर हैं लेकिन इसकी वजह यह प्रश्न नहीं कुछ और है। अध्यक्ष महोदय, सड़कें बननी

चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। हम इस प्रयास में आगे बढ़े हैं। आपको यह धुंआ लगता है लेकिन हमने धुंआ नहीं दिया है। हमने तो यही कहा था कि सड़कें बननी चाहिए। आज आप हमें धुंआ देने की कोशिश कर रहे हैं कि सड़कें नहीं बनीं। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान बनें हैं। जहां तक आप इन सड़कों की बात कर रहे हैं, इनके लिए भी हमारी ओर से गंभीर प्रयत्न हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हम इस मामले को केन्द्र सरकार के साथ उठा रहे हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश कनैक्टिविटी के हिसाब से काफी पीछे हैं चाहे रेलवे कनैक्टिवटी हो या बाई एयर कनैक्टिविटी हो, इनमें हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों और टूरिस्ट डेस्टिनेशन्ज में टूरिस्टों को आने-जाने की

10/03/2022/1150/टी0सी0वी0/एच0के0/2

सुविधा को बढ़ाने लिए एक मात्र साधन सड़कें ही हैं। जिस प्रकार से हमने पहले भी इन नेशनल हाईवे के बारे में बात की है आज भी उसी प्रकार से बात करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में हमें इनकी स्वीकृति मिलें ताकि हिमाचल प्रदेश में लोगों को आने-जाने की सुविधा मिल सकें। पी0एम0जी0एस0वाई0 के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को कनैक्टिविटी मिली है जिसका मैंने अभी ज़िक्र किया। । 51 per cent of the total road length वे पी0एम0जी0एस0वाई0 के तहत बनीं हैं। इसमें पूर्व में प्रधान मंत्री रहे श्री अटल बिहारी जी का योगदान है। अगर आज हमारे गांव में सड़कें पहुंची हैं और पक्की हुई हैं तो उसमें पी0एम0जी0एस0वाई0 का बहुत बड़ा योगदान है। हिमाचल प्रदेश में इन सवा चार साल के कार्यकाल में, किसी भी सरकार के कार्यकाल में सबसे ज्यादा रोड़ का नेटवर्क बना है तो हमारी सरकार के इस कार्यकाल में बना है।

अगला प्रश्न एन0एस0 द्वारा शुरू .....

10-03-2022/1155/NS/HK/1

प्रश्न संख्या : 5019

श्री परमजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में गुज्जर समाज एस0टी0 केटेगरी में आता है। हरियाणा में ओ0बी0सी0 में आता है, पंजाब

में बी0सी0 में आता है लेकिन मैं बद्दी और नालागढ़ की बात कर रहा हूं कि जो लड़कियां हरियाणा या पंजाब से शादी करवा कर यहां आती हैं तब उनका एस0टी0, ओ0बी0सी0 और बी0सी0 का सर्टिफिकेट नहीं बनता है। वे जाएं तो कहां जाए। मंत्री जी ने उत्तर दे दिया कि 'जी नहीं'। अध्यक्ष महोदय, मैं, मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि उनका कौन-सा सर्टिफिकेट बनेगा? उनका कोई सर्टिफिकेट तो बनना चाहिए अगर हरियाणा से शादी करके आती है तो ओ0बी0सी0 का बने, अगर पंजाब से शादी करके आती है तो बी0सी0 का बने अगर एस0टी0 का नहीं बन सकता है। कोई सर्टिफिकेट तो बनना चाहिए।

तकनीकी शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह सभी सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण विषय है, भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री ने वर्ष 1977 और वर्ष 1982 में व्यवस्था दी है और इसमें स्पष्ट कहा गया है कि " a Scheduled Caste/Scheduled Tribe person who has migrated from the State of the origin to some other State for the purpose of seeking education, employment etc. will be deemed to be Scheduled Caste/Scheduled Tribe of the State of his origin and will be entitled to derive benefits from the State of origin and not from the State where he or she has migrated". अध्यक्ष महोदय, मैं यहां कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। ये बाहरी राज्यों की बात कर रहे हैं। अगर हिमाचल प्रदेश से ही स्वर्ण जाति की कोई महिला शैड्यूल कास्ट या शैड्यूल ट्राईब के लड़के से विवाह करती है तो उन्हें यह स्टेट्स नहीं मिलता है। If any girl belongs to high caste but she marries a scheduled caste person, then she will not be treated as scheduled caste. अगर स्वर्ण जाति की लड़की शैड्यूल ट्राईब में शादी करती है तो उसे शैड्यूल ट्राईब का स्टेट्स नहीं मिलता है। इस प्रश्न में बाहरी राज्यों की बात की गई है। यह किसी भी संदर्भ में संभव नहीं है। भारत सरकार ने इसके लिए तीन बार पत्र जारी किया है और व्यवस्था दी है। वर्ष 1977, वर्ष 1982 और वर्ष 1985 में तीन बार व्यवस्था दी है। वे एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं और उन्हें इसका लाभ मिल सकता है। माननीय सदस्य बाहरी राज्यों की बात कर रहे हैं वहां पर वे ओ0बी0सी0 हैं। उसके बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। अगर स्वर्ण जाति की लड़की शैड्यूल ट्राईब से शादी करती है तो उसके बच्चे ट्राईबल होंगे। इसी प्रकार से

शैड्यूल कास्ट के 10-लड़के से शादी करती है तो बच्चों को शैड्यूल कास्ट का लाभ मिलेगा लेकिन महिला को कुछ नहीं मिलेगा और ओपन में ही रहेगी।

श्री परमजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में ओ0बी0सी0 है तो उनको यहां भी बेनिफिट मिलना चाहिए।

तकनीकी शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अगर लड़की हरियाणा में ओ0बी0सी0 है और यहां शैड्यूल ट्राईब लड़के से शादी करके आई है तो वे बेनिफिट यहां नहीं मिलेंगे।

03-2022/1155/NS/HK/3

प्रश्न संख्या : 5020

श्री राम लाल ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के दो हिस्से हैं। पहले भाग में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, नम्होल को प्राइवेट जमीन खरीद कर स्कूल के नाम स्थानांतरित की है। इसका काम पहले प्राइवेट सेक्टर से शुरू हुआ और कुछ पैसा सरकार ने दे रखा है। अध्यक्ष महोदय, अभी भी 141.95 लाख रुपये इसके लिए चाहिए। इसका काम ठेकेदार को दे दिया है। अगर पैसा नहीं मिलेगा तो वह काम बंद कर देगा। दूसरा, राजकीय महाविद्यालय, जुखाला के लिए साईं की कोई स्कीम आई थी और इसमें कहा गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कॉलेज व सीनियर सेकेंडरी स्कूल हों वहां पर मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स कंपलैक्स बनेंगे। विभाग ने उत्तर दिया है कि 8,95,77,000/- रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। आपने 30 लाख रुपये एक साल दिए और दूसरे साल भी 30 लाख रुपये दिए गए हैं। इसका काम शुरू नहीं हो सका क्योंकि पर्याप्त धनराशि नहीं थी। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि काम शुरू करवाने के लिए माकुल पैसा दे दिया जाए ताकि काम शुरू हो सके।

वन मंत्री .....श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

10.03.2022/1200/RKS/AG-1

प्रश्न संख्याः 5020.. जारी

वन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने 'क' भाग में स्कूल की बात की है उसके लिए हमने 40 लाख रुपये प्रदान कर दिए हैं और इस बजट में 40 लाख रुपये और प्रदान कर दिए जाएंगे। जो आपने पार्ट-बी की बात की है, यह शिक्षा विभाग से संबंधित है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने ही अप्रूवल दी थी। लेकिन कार्य निर्माण के लिए जो राशि चाहिए, उसके लिए हम इंश्योर करेंगे।

अध्यक्षः प्रश्नकाल समाप्त।

10.03.2022/1200/RKS/AG-2

कागज़ात सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री, कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग(सचिवालय प्रशासन सेवाएं), वरिष्ठ सहायक, वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2022 जोकि अधिसूचना संख्याःपीईआर-(एसएएस-I)ए(3)-1/2020 दिनांक 28.02.2022 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 28.02.2022 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री, कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मेडिकल एजुकेशन सर्विस(बारहवां संशोधन, रूल्ज़, 2021 जोकि अधिसूचना संख्याःएच0एफ0डब्ल्यू0-बी(ए)3-6/2019 दिनांक 12.04.2021 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.04.2021 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

10.03.2022/1200/RKS/AG-3

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर भी रखेंगी।

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति (वर्ष 2021-22),के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करती हूं तथा सदन के पटल पर रखती हूंः-

i. समिति का **213वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 49वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **लोक निर्माण विभाग** से सम्बन्धित है;
ii. समिति का **214वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 50वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **लोक निर्माण विभाग** से सम्बन्धित है;
iii. समिति का **215वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 51वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **लोक निर्माण विभाग** से सम्बन्धित है; और
iv. समिति का **216वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 52वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **लोक निर्माण विभाग** से सम्बन्धित है ।

अध्यक्ष : अब श्री रमेश चन्द ध्वाला, सभापति, प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2021-22), के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री रमेश चन्द ध्वालाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2021-22), के 22वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि परिवहन विभाग के विकासात्मक कार्यों एवं आय-व्ययक प्राक्कलनों की संवीक्षा पर आधारित की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सभा पटल पर रखता हूं।

10.03.2022/1200/RKS/AG-4

अध्यक्ष : अब कर्नल इन्द्र सिंह, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2021-22), के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

कर्नल इन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2021-22), के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

i. समिति का **55वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 19वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2019-20) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम सीमित** से सम्बन्धित है; और
ii. समिति का **56वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 40वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2020-21) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम** से सम्बन्धित है।

<u>विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन</u>

अध्यक्ष : अब श्री कर्नल इन्द्र सिंह कार्य-सलाहकार समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) को सभा में प्रस्तुत करेंगे तथा प्रस्ताव भी करेंगे कि इसे अंगीकार किया जाए।

कर्नल इन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य-सलाहकार समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः तो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि यह माननीय सदन कार्य-सलाहकार समिति द्वारा अपने उन्नीसवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों से सहमत है।

तो प्रश्न यह है कि यह माननीय सदन कार्य-सलाहकार समिति द्वारा अपने उन्नीसवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों से सहमत है?

प्रस्ताव स्वीकार।

10.03.2022/1200/RKS/AG-5

गैर-सरकारी सदस्य कार्य

आज गैर-सरकारी कार्य दिवस है। माननीय सदस्य, श्री राकेश सिंघा द्वारा दिनांक 03.03.2022 को जो प्रस्ताव "This House may frame a policy to grant relief amounting to 50% of the loss incurred due to natural calamities on agricultural and horticultural produce and enhance the relief amount to Five Lacs on the destruction of the house due to fire" प्रस्तुत किया था अब इस पर चर्चा होगी। अब माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी इस चर्चा में भाग लेंगे।

श्री एन जी द्वारा... जारी

10-03-2022/1205/ए.जी.-एन.जी. /1

अध्यक्ष के पश्चात.....

श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा जी द्वारा नियम-101 के अंतर्गत जो प्रस्ताव लाया गया है उस पर मैं भी बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय सदस्य का प्रस्ताव है कि "This House may frame a policy to grant relief amounting to 50% of the loss incurred due to natural calamities on agricultural and horticultural produce and enhance the relief amount to Five Lacs on the destruction of the house due to fire" अध्यक्ष महोदय, किसान हो या बागवान वह अपनी फसल के लिए मौसम पर ही ज्यादा निर्भर रहता है। अधिकतर समय हमारे किसानों-बागवानों को मौसम व प्राकृतिक आपदाओं के कारण भारी नुकसान सहना पड़ता है। सरकार द्वारा किसानों-बागवानों को मौसम व प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान के एवज में जो राशि राहत के रूप में दी जाती है वह बिलकुल मामुली होती है। नुकसान लाखों रुपयों का होता है और सरकार द्वारा राहत बहुत ही कम दी जाती है। कृषि

के क्षेत्र में यदि किसी किसान की एक हेक्टर की फसल तबाह हो जाए तो राहत मैन्युअल में उसके लिए कुछ 100 रुपये का ही प्रावधान है। इसी प्रकार बागवानी क्षेत्र में किसी बागवान के बगिचे में किसी भी फसल, चाहे सेब हो या अन्य कोई भी फल हो, का नुकसान हो जाए तो उसे भी कुछ 100 रुपये की राहत देकर निपटा दिया जाता है। यहां पर जो प्रस्ताव लाया गया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। सरकार द्वारा जो राहत प्रदान की जा रही है उस राहत मैन्युअल पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। अभी जो बजट पेश हुआ और उसमें जो ग्रोथ दिखाई गई है वह केवल कृषि व बागवानी क्षेत्र में दिखाई गई है और अन्य क्षेत्रों में तो माइनस ग्रोथ है। यह बहुत महत्वपूर्ण सैक्टर है जिससे हिमाचल प्रदेश की जी.डी.पी. में ग्रोथ हो रही है। किसानों-बागवानों पर जब कोई मुसिबत आती है या उन्हें कोई नुकसान होता है तब आप उन्हें बाबा आदम के जमाने के राहत मैन्युअल के अनुसार राहत प्रदान करते हैं। इसमें समय-समय पर इजाफा किया गया है लेकिन वह बिलकुल मामुली है।

10-03-2022/1205/ए.जी.-एन.जी. /2

यह बहुत जरूरी है कि किसानों-बागवानों को राहत देने के लिए इसकी राशि बढ़ाई जाए। अब अनेक किस्म की बीमा योजनाएं आ गई हैं, जिसमें एक Weather Based Insurance Policy है, एक प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना है और इसके अलावा भी कुछ बीमा योजनाएं हैं। यह जितनी भी बीमा योजनाएं हैं इसमें किसान-बागवान अरबों रुपये प्रीमियम के रूप में जमा कर रहे हैं और उसका उन्हें कोई लाभ नहीं हो रहा है। यह सारा पैसा बीमा कम्पनियों की जेब में जा रहा है। इन बीमा कम्पनियों के पास तो मुफ्त में पैसा आ रहा है। जब नुकसान होता है और हमने जो बीमा करवाया हुआ है उसका मुल्यांकन करने के लिए धरातल पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यप्रणाली नहीं है। इसके अलावा मौसम की मार को मुल्यांकन करने के लिए कोई भी Weather Stations नहीं हैं। जो आपको रिकॉर्ड करके बता सके कि फलाने इलाके में मौसम के कारण नुकसन हुआ है। जब तक आप ग्राऊंड लेवल पर मुल्यांकन करने के तरीके को नहीं अपनाएंगे, वहां पर वैज्ञानिक तरीके को नहीं

अपनाएंगे, तब तक किसानों-बागवानों के साथ बीमा के नाम पर जो धोखा किया जा रहा है वह रूकने वाला नहीं है। यदि आप पिछले तीन सालों की स्थिति को देखेंगे तो जितना पैसा किसानों को बीमा कम्पनियों ने दिया है और जो किसानों का पैसा प्रीमियम के रूप में बीमा कम्पनियों के पास जमा हुआ है उन दोनों में कई हज़ार गुणा का अंतर मिलेगा। उनके पास किसानों का बहुत पैसा चला गया है। मैं सरकार से और माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा जी ने जो प्रस्ताव यहां पर रखा है वह बिलकुल सही है। आप मुल्यांकन कीजिए और उसका 50 प्रतिशत किसानों को दीजिए। अब ये कहेंगे कि यह सम्भव नहीं है मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि

श्री जे.एस. द्वारा जारी.....

10.03.2022/1210/JS/AG/1

श्री जगत सिंह नेगीः---जारी-----

वर्ष 2013 में हमारे जिला किन्नौर में भारी बेमौसमी बर्फबारी के कारण सेब की फसल का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। उस समय जो रिलीफ दिया गया और हिन्दुस्तान में पहली बार इतना अच्छा रिलीफ बागवानों को दिया गया। उस समय जो रिलीफ दिया उस वक्त हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। केन्द्र में श्री मनमोहन सिंह जी प्रधान मंत्री थे और यू.पी.ए. की सरकार थी। उस समय जो 25 से 50 परसेंट का नुकसान प्रति बीघा हुआ था, उस समय 2000 रुपये प्रति बीघा दिया गया। जो नुकसान 50 से 75 परसेंट हुआ था, उसमें 2500 रुपये प्रति बीघा दिया गया । उससे ऊपर जो नुकसान हुआ है उसमें 3000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से दिया गया । आज जो रिवाइज्ड रिलीफ मैनुअल है, उसमें एक हैक्टेयर का मात्र 8000 रुपये देना है यानि कि एक बीघा के ऊपर 500-600 रुपये भी नहीं मिल रहा है। यह किसानों व बागवानों के साथ धोखा है। जो डिजास्टर मैनेजमैंट का पैसा है, वह इसीलिए रखा गया है कि जब किसानों व बागवानों को मुसीबत आएगी, उस समय वह पैसा रिलीफ के रूप में दिया जा सकता है। अभी पीछे भी जिला किन्नौर में भारी

बर्फबारी व मौसम के कारण जब सेब के फूल खिले हुए थे, उसके ऊपर भारी हिमपात के कारण उस फसल को भारी नुकसान हुआ था। राजस्व विभाग ने उसका पूरा सर्वे किया। उस सर्वे को किए हुए एक साल हो गया लेकिन अभी तक कोई पैसा नहीं मिला है। यहां पर प्रश्न भी लगा था लेकिन उस दिन मुझे इस पर अनुपूरक प्रश्न करने का मौका नहीं मिला। इसमें कहा जा रहा है कि जब केन्द्र सरकार से पैसा आएगा तब किसानों व बागवानों को वह पैसा देंगे। जो केन्द्र सरकार से डिजास्टर मैनेजमैंट में 400 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा आया है, उससे आप किसानों व बागवानों को पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? जब डबल इंजन की सरकार की टीम केन्द्र से आई, जिसकी खातिरदारी यहां पर हुई, उन्होंने सारे इलाकों में जा करके मूल्यांकन किया। यदि एक साल के बाद राहत देंगे और वह भी मामूली सी राहत देंगे, अभी तो आपने वह राहत भी नहीं दी है। यदि एक साल राहत देने में लग जाए तो वह राहत नहीं होती है। हिमाचल प्रदेश में जो सेब की इकोनॉमी है वही तो हिमाचल

10.03.2022/1210/JS/AG/2

प्रदेश को आगे बढ़ा रही है। सेब के उत्पादन में भी भारी कमी आई है। वर्ष 2019-20 में 3,21,86,379 पेटी सेब का उत्पादन हुआ था। यह घट कर वर्ष 2020-21 में 2,16,47,789 हो गया और वर्ष 2021-22 में इसमें थोड़ा सा इज़ाफा 2,75,00,000 लाख के करीब हुआ है। जो कि वर्ष 2019-20 के मुकाबले में फिर भी कम है। इसका मतलब यह है कि कहीं-न-कहीं मौसम के कारण बागवानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। माननीय मंत्री जी को हमारी बात को सुनना चाहिए। ये हमारी बात को सुन ही नहीं रहे हैं। इनका ज़वाब पहले ही तैयार है। इन्होंने तो यह कहना है कि हमारे पास पैसा नहीं है। बेशक यह डबल इंजन की सरकार है। यह इतना महत्वपूर्ण मामला किसानों व बागवानों का है लेकिन मंत्री जी गप्पे मार रहे हैं। इसमें क्या सीरियसनैस है? हम भी बोलना छोड़ देते हैं। यहां पर क्या जरूरत है कि हम यूं ही अपना दिमाग खराब करें। ...व्यवधान... माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी महत्वपूर्ण बात पर मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये यदि सुनेंगे नहीं तो इनका ज़वाब पहले ही तैयार है। ...व्यवधान... इन्होंने पहले ही मन बना लिया है कि जो यह बीमा

योजना है। इसके लिए फलां केन्द्र की टीम आई है, इसको हम दे नहीं सकते हैं इसलिए यहां पर कुछ तो हमारी बात सुनों। यदि आप लोग किसानों व बागवानों की नहीं सुनोंगे ...व्यवधान... फिर तो आप किसी की नहीं सुनेंगे। ...व्यवधान...

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आपकी बात को माननीय मंत्री जी सुन रहे हैं।

श्री जगत सिंह नेगीः अध्यक्ष महोदय, ये कोई बात नहीं सुन रहे हैं। इनके तीन कान हैं। ...व्यवधान... एक कान इन्होंने मेरे लिए रखा है और दो कान दूसरे मंत्रियों के लिए रखें हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। ...व्यवधान... माननीय मंत्री जी आप पहले से ही तैयारी में हैं। आप उस हिसाब से न बोलें। आप हमारी बात को सुनें। यह बहुत गंभीर मामला है। जो ज़वाब आपके आ रहे हैं उससे लग रहा है कि आने वाले समय में बागवान और किसान हिमाचल प्रदेश में परेशान होने जा रहे हैं। खाद

10.03.2022/1210/JS/AG/3

के रेट आप लोगों ने कई गुना बढ़ा दिए हैं। दवाइयों के रेट आपने कई गुना बढ़ा दिए हैं। इतना रेट बढ़ाने के बाद भी कैन नहीं है, पोटाश नहीं है। आपसे पूछेंगे तो आप कहेंगे कि यह बाहर से ही नहीं आ रहा है। किस तरह से किसान अपनी खेती को आगे करेगा? जब बढ़िया मौसम होता है तो उस वक्त आप लोग अच्छी-अच्छी घोषणाएं करते हैं।

श्री एस.एस. द्वारा जारी----

10.03.2022/1215/SS-AG/1

श्री जगत सिंह नेगी क्रमागत :

जब बढ़िया मौसम है उस समय तो आप घोषणा करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सेब की इतने करोड़ पेटियां आईं। उसमें आपका क्या योगदान रहा है? हमारे बागवानों व किसानों ने हिमाचल प्रदेश की जी0डी0पी0 को बढ़ाने में और रेवेन्यू जनरेट करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। जब उनके ऊपर मुसीबत का पहाड़ पड़ता है तो मौसम के कारण पड़ता

है, प्राकृतिक आपदा के कारण पड़ता है। उस समय आप हमें क्या देते हैं? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसके लिए आप रिलीफ मैनुअल में जो बात रखी गई है उसको गम्भीरता से लें और डिजास्टर मैनेजमैंट का एक अलग से फंड रखें। हमेशा प्राकृतिक आपदाएं नहीं आती हैं। पीछे किन्नौर में प्राकृतिक आपदा आई लेकिन उसके लिए आपने अभी तक एक पैसा नहीं दिया। साल खत्म हो गया। नई फसल का टाइम भी शुरू होने वाला है। अब दोबारा से फूल लगने वाले हैं। परन्तु पिछली बार जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई आप कब करेंगे? आपकी केन्द्र की टीम आकर चली गई लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे। इसी तरह से मकान के बारे में भी कहा है। अभी आप मकान जलने पर डेढ़ लाख रुपया देते हैं चाहे मकान 20 लाख रुपये का है, चाहे एक करोड़ रुपये का है या चाहे कितनी भी कीमत का हो। उसको केवल मात्र 1.50 लाख रुपया देकर निपटा रहे हैं। यह बात सही है कि इसको 5 लाख रुपया किया जाए। फिलहाल 5 लाख रुपये की बात हो रही है। परन्तु मैं समझता हूं कि मकान का मूल्यांकन करके कम-से-कम दोबारा मकान बनाने लायक उसको पैसा मिलना चाहिए। जो विक्टिम है जिसके पूरे परिवार का सारा सामान आपदा में चला जाता है, पुश्तों की जायदाद खत्म हो जाती है तो हम 1.50 लाख रुपये में क्या बनाएंगे? 1.50 लाख रुपये में हम एक छोटा-सा टॉयलैट भी नहीं बना सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर प्रावधान किया जाए। आप कहेंगे कि रेवेन्यू डिपार्टमैंट के माध्यम से जो 1.50 लाख रुपया मिल रहा है उसको कम-से-कम उचित राशि तक तो बढ़ाइए। मैं हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूं। आज यहां पर बहुत सारी कम्पनियों के पावर प्रोजैक्ट्स हैं। आपके पास एस0जे0वी0एन0एल0 का है। आपके पास जे0एस0डब्ल्यू0का है और बहुत सारे अन्य पावर प्रोजैक्ट्स हैं।

10.03.2022/1215/SS-AG/2

उनका सी0एस0आर0 का पैसा भी इसमें डाला जा सकता है। वह पैसा कहां ले जा रहे हैं? हिमाचल में पानी हमारा है, जमीन हमारी है, जंगल हमारा है, पावर हाउस में जनरेशन होती है और सी0एस0आर0 का पैसा कहां पर लगा रहे हैं! कहीं गुजरात में डाल रहे हैं,

कहीं दिल्ली में खर्च हो रहा है। सी0एस0आर0 का पैसा भी ऐसे समय पर जो यहां के बाशिंदे हैं जिनके इलाकों में प्रोजैक्ट चल रहे हैं अगर वहां पर आगजनी का केस होता है, किसी किस्म की मुसीबत आती है तो यह पैसा सरकार वहां पर क्यों नहीं लगा रही है? इन कम्पनियों को क्यों बाध्य नहीं किया जा रहा? एस0जे0वी0एन0एल0 का 37 करोड़ रुपया सालाना सी0एस0आर0 का पैसा है। किन्नौर में 4-5 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। वह भी हमारे कहने पर नहीं बल्कि पता नहीं किसके कहने पर जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर खर्च हो रहा है। हमारे इस बार भी बहुत सारे लोगों के मकान जल गए। 1.50 लाख रुपये में हमने चलता कर दिया। क्यों इस सी0आर0एफ0 का पैसा लगाकर उनको उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है? आपके जे0एस0डब्ल्यू0 का भी सी0एस0आर0 का बहुत पैसा है। हमारी फसल का नुकसान प्रोजैक्ट इफैक्टिड एरिया में हुआ है। कम-से-कम वहां पर तो पैसा दिया जाए। यही मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि मंत्री महोदय जो किसान व बागवान हैं जो हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी की असली रीड़ की हड्डी हैं उनका मुसीबत के समय आप साथ देंगे। उनके लिए बढ़िया पैकेज देंगे। सिंघा साहब ने जो प्रस्ताव लाया है उसको आप गिराने की बात न करें। इस प्रस्ताव को आप मानें। सर, फिर वही बात होती है। There is no seriousness. तो हम क्या डिबेट करें। जिनको सुनाना है वे सुनते नहीं। हम किसको अपनी बात सुनाएं। सर, आप तो ज़रूर सुनेंगे लेकिन जिन्होंने सुनकर कुछ करना है वे भी सोचें।

अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद।

10.03.2022/1215/SS-AG/3

अध्यक्ष : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री रोहित ठाकुर जी भाग लेंगे।

श्री रोहित ठाकुर (जुब्बल-कोटखाई) : अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनहित का संकल्प श्री राकेश सिंघा जी ने लाया है। मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद करता हूं और इस चर्चा में अपने आपको शामिल करता हूं। प्राकृतिक आपदा में

कृषि और बागवानी क्षेत्र में जो राहत मिलती है उसमें बढ़ोतरी हो। आगजनी की घटनाओं के समय प्रभावितों को अधिक राहत मिले, यह हम सब का उद्देश्य होना चाहिए।

(श्री नरेन्द्र ठाकुर, माननीय सभापति पीठासीन हुए।)

जारी श्रीमती के0एस0

10/03/2022/1220/केएस/एचके/**1**

श्री रोहित ठाकुर जारी---

जैसे नेगी जी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और 70 प्रतिशत हिमाचल की जनसंख्या कृषि और बागवानी पर आधारित है और साथ ही साथ बागवानी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान पूर्व सरकारों का रहा है। हिमाचल की आर्थिकी में जो इनका योगदान है उसका विवरण नेगी जी ने दिया लेकिन वर्तमान में जो रिलीफ मैनुअल के अकॉर्डिंग किसानों को राहत दी जा रही है वह नाम मात्र है। प्रथम बार मैं अपने विधान सभा क्षेत्र से वर्ष 2003 में वीरेन्द्र कंवर जी के साथ विधायक बना था। मुझे याद है, मेरे क्षेत्र शाचली जिसके अंतर्गत कोई 8-9 पंचायतें आती हैं, उस वक्त भयंकर ओलावृष्टि हुई थी उस वक्त भी रिलीफ मैनुअल में अधिकतम सीमा 7,000 रुपये रखी गई थी और वर्तमान में भी सरकार प्राकृतिक आपदा के समय में किसानों और बागवानों को जो राहत देती है, अगर वह भी मिल जाए तो वह भी 7000 रुपये ही है। रिलीफ मैनुअल में, राहत नियमावली में बाकी मदों में बढ़ौत्तरी हुई है लेकिन हमारा प्रदेश किसानों और बागवानों का प्रदेश है और मैं समझता हूं कि पिछले दो-तीन दशकों से जो यह सीमा 7000 रुपये रखी गई है, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। यहां पर फसल बीमा योजना की बात आई, मैं प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के पूरे भारत वर्ष के पिछले आंकड़े देख रहा था। यहां पर प्रीमियम किसानों ने ज्यादा दिया, भुगतान कम हुआ। उसमें हिमाचल भी सम्मिलित हैं और मंत्री जी इस बात से सहमत होंगे कि ये जो आपकी बीमा योजना है यह कारगर साबित नहीं हुई। जब प्राकृतिक आपदा के कारण आपके किसानों और बागवानों का नुकसान होता है, उसे

सरकार से एक आशा होती है, उनकी पूरे साल की कमाई नष्ट हो जाती है। हम में से अधिकतर यहां पर किसान/बागवान बैठे हैं। मैं समझता हूं कि इसमें एक सम्मानजनक वृद्धि हो, जैसे सिंघा साहब जी ने भी बात रखी।

10/03/2022/1220/केएस/ एचके **/2**

सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं समझता हूं कि हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में जो आगजनी की घटनाएं होती हैं, वहां लकड़ी के घर होते हैं और कई दफ़ा ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं जहां हमारे गांव के गांव जल जाते हैं। नेगी जी ने उनको राहत राशि डेढ़ लाख रुपये करने की बात की लेकिन मैं समझता हूं कि यह राशि कम से कम 5 लाख होनी चाहिए क्योंकि व्यक्ति के पूरे जीवन की पूंजी उसके घर को बनाने में लग जाती है और कुछ ही पलों में आग से सब सवाह हो जाता है। मुझे आशा है, आज हमारा सत्ताधारी दल खुश भी बहुत है, यह किसानों और बागवानों की, हिमाचल प्रदेश की जनता-जनार्दन की बात मानेगा और जो सिंघा साहब ने यहां पर संकल्प लाया है, मैं भी उसमें अपने आप को शामिल करता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

10/03/2022/1220/केएस/ एचके **/3**

सभापतिः अब इस चर्चा में श्री मोहन लाल ब्राक्टा जी भाग लेंगे।

श्री मोहन लाल ब्राक्टा (रोहड़ू)ः सभापति महोदय, जो संकल्प श्री राकेश सिंघा जी ने यहां पर रखा "This House may frame a policy to grant relief amounting to 50% of the loss incurred due to natural calamities on agricultural and horticultural produce and enhance the relief amount to Five Lacs on the destruction of the house due to fire." यह बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प है और मैं भी अपने आपको इसमें शामिल करता हूं। वैसे तो मेरे से पूर्व वक्ता सिंघा साहब, नेगी साहब व रोहित ठाकुर जी ने काफी डिटेल में चर्चा की है, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा। मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में सिर्फ यह लाना चाहूंगा कि जैसे कि हमारे देश व प्रदेश की 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है

और इस पर जो पॉलिसी फ्रेम की जाए, जो अभी मैनुअल है, हो सकता है कि जिस समय यह बना था उस समय परिस्थितियां ठीक होंगी। उस समय के मुताबिक यह सही होगा लेकिन आज की परिस्थिति कुछ और है। आज की परिस्थिति में मैनुअल को चेंज करने की आवश्यकता है और मैं बताना चाहता हूं कि यह बहुत ही कम है। इससे तो कई बार जब हमारे किसानों और बागवानों के केसिज़ जाते हैं तो वे कहते हैं कि इतनी कम राशि मिल रही है इससे तो अच्छा है कि हमारा केस ही वापिस कर दो। केस ही नहीं भेजते। यह बहुत ही कम है। सभापति जी, मैं होर्टिकल्चर पर ज्यादा जोर देना चाहूंगा। मैं अपने चुनाव क्षेत्र की बात करुंगा।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

10.3.2022/1225/av/ag/1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा-----जारी

इसलिए हमारा केस वापिस भेज दो क्योंकि उसमें मुआवजा बहुत कम है। मैं होर्टिकल्चर पर बात करते हुए अपने जिला शिमला और अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा। आज की तारीख में लगभग 98 प्रतिशत लोग होर्टिकल्चर पर निर्भर करते हैं। कई बार ओलावृष्टि, भारी बर्फबारी और सूखा पड़ने के कारण बागवानों को बहुत नुकसान होता है। अगर होर्टिकल्चर के क्षेत्र में सेब की बात की जाए और यह सेब की फसल न हो तो इसका नुकसान न केवल बागवानों को होता ही है परंतु इससे कई वर्ग प्रभावित होते हैं क्योंकि सेब की अच्छी फसल होने के साथ बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ा होता है। मैं तो यह कहूंगा कि इसका नुकसान दिल्ली तक होता है क्योंकि इस फसल से काफी लोग जुड़े होते हैं। पिछले साल दिनांक 23 अप्रैल, 2021 को बे-मौसमी बर्फ पड़ी थी। हमारे रोहड़ू में 21, 22 और 23 अप्रैल को स्टेट फेयर होता है और उस दौरान बहुत गर्मी होती है। लेकिन पिछले साल कई वर्षों के बाद 23 अप्रैल को वहां पर बहुत बर्फबारी हुई थी। जिसके कारण लोगों के बागीचों में सेब पर लगे जाल और पौधें टूटे थें। उसके बाद भी कई बार ओलावृष्टि हुई थी।

यहां पर इस बारे में जवाब भी दिया जाता है कि हमने वहां पर एक्सपर्ट भेजे थे और सारा आकलन तैयार करके केंद्र सरकार को भेज दिया है। परंतु अब एक वर्ष से ज्यादा समय होने वाला है। लेकिन अभी तक वहां बागवानों को कुछ नहीं मिला है। मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस समस्या का जल्दी-से-जल्दी समाधान होना चाहिए। यहां पर मेरे एक प्रश्न में माननीय मंत्री ने जवाब दिया था कि प्राकृतिक आपदा के तहत लोगों को फौरी राहत दी जाती है। मैं यहां होर्टिकल्चर की बात करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आप फायर और एक्सिडेंट केसिज में फौरी राहत देते हैं वैसे ही बागवानों को नुकसान पहुंचने पर कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। यहां पर चाहे पूरे प्रदेश की बात की जाए या मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात करूं; क्योंकि सीमेंट के पक्के मकान तो अब बनने लगे। पहले हमारे पहाड़ी एरिया में लकड़ियों के मकान बनते थे और ज्यादातर इकट्ठे-इकट्ठे बनाए जाते थे। उस स्थिति में आग लगने के कारण पूरे-का-पूरा गांव तबाह हो

10.3.2022/1225/av/ag/2

जाता है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण देना चाहता हूं क्योंकि मेरे वहां तानू, डुंगयाणी और पैखा गांव आग से पूरी तरह से तबाह हो गए थे। आग की घटनाएं ज्यादातर सर्दी के मौसम में घटित होती हैं तथा ऊपर से बर्फबारी का मौसम होता है। लेकिन इसके लिए सरकार की ओर से बहुत कम फौरी राहत दी जाती है। मैं यहां पर माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा द्वारा रखे गए प्रस्ताव से पूरी तरह सहमत हूं कि अगर ऐसी घटनाएं घटने पर आप उनको 100 प्रतिशत फौरी राहत नहीं दे सकते तो कम-से-कम 50 प्रतिशत तो देनी चाहिए। मैं यह कहना चाहूंगा कि आग और प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान में लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। हमारा डोडरा-क्वार स्नो बाऊंड एरिया है और वह एरिया 6 महीनें तो आम जनता से कट ऑफ रहता है। अगर हम वहां पर 10-20 हजार रुपये फौरी राहत के रूप में देंगे तो उनका उस राशि से क्या होगा? इसलिए इस बारे में ग़ौर करने की आवश्यकता है। माननीय मंत्री, मैंने पिछले सत्र के दौरान भी आपके ध्यान में लाया था कि एम0आई0एस0 के तहत चाहे एच0पी0एम0सी0 या होर्टिकल्चर डिपार्टमैंट सेब

खरीदता है तो उसमें भी लोगों को पेमैंट समय पर नहीं होती। अभी भी बागवानों की उनके पास लाखों रुपये की राशि शेष है। उसके बदले बागवानों को या तो दवाइयां मिलती हैं या फिर कोई औजार-मशीनरी इत्यादि उपलब्ध करवाई जाती है। उसमें भी जो दवाइयां या दूसरी मशीनरी इत्यादि उपलब्ध करवाई जाती है वह बाजार से ज्यादा महंगे रेट पर दी जाती है और आज की तारीख में तो मेरे ख्याल से आपके पास दवाइयां और खाद भी नहीं है। अगर आप खाद दे भी रहे हैं तो बाजार में जिसकी कीमत 1400 रुपये हैं उसको आप 1700 रुपये में दे रहे हैं।

टी सी द्वारा जारी

10/03/2022/1230/टी0सी0वी0/ए0एस0/1
श्री मोहन लाल ब्राक्टा... जारी

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा कि जो संकल्प यहां पर रखा गया है, इस पर गौर किया जाए।

सभापति महोदय, आपने मुझे इस संकल्प पर बोलने के लिए समय दिया, आपका धन्यवाद।

10/03/2022/1230/टी0सी0वी0/ए0एस0/2

सभापतिः अब इस चर्चा में माननीय सदस्य, श्री राम लाल ठाकुर जी भाग लेंगे।

श्री राम लाल ठाकुर, श्रीनैना देवी जी : सभापति महोदय, श्री राकेश सिंघा जी ने एक महत्वपूर्ण संकल्प यहां सदन में रखा है और इस पर चर्चा हो रही है। मैं भी इसमें अपने आप को शामिल करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति जी, यह हमारे गरीब किसानों के साथ जुड़ा हुआ विषय है। सभापति महोदय, फसलों पर प्रीमियम दिया जाता है लेकिन आपदा के समय जब फसलें नष्ट हो जाती है तो उसकी एवज में नाममात्र का पैसा मिलता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो प्रभावित लोग हैं उनको न्याय नहीं मिल रहा है। मैं मुख्य मंत्री जी के ध्यान में कुछ विषय लाना चाहूंगा। आप स्वयं किसान है और आप किसानों का दर्द समझते हैं। पिछले साल बरसात में

बर्फ पड़ी और उससे सेब के पेड़ टूट गए। आपदा से जो नुकसान होता है उसका जायजा लेने के लिए केन्द्र से टीम आती है। प्रदेश सरकार भी इस नुकसान की रेवैन्यू विभाग के माध्यम रिपोर्ट बनाती है। लेकिन यदि नुकसान के एक साल बाद केन्द्र से नुकसान का जायला लेने के लिए टीम आए और वह टीम इसकी रिपोर्ट दिल्ली में जाकर बनाएं तो मैं कहूंगा कि रिलीफ देने का मकसद पूरा नहीं होता। जब कोई आपदा होती है तो लोगों शीघ्र मदद मिलनी चाहिए। मैं अपने चुनाव क्षेत्र से संबंधित दो विषय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा। जब पिछले दिनों बारिश हुई तो 'री' पंचायत (बिलासपुर) में काली माता के मंदिर पर आसमानी बिजली पड़ी और वह मंदिर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहां पर एस0डी0एम0, स्वारघाट और आपदा प्रबंधन के वाइस चेयरमैन भी पहुचे। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सरकार ने इस मंदिर की रिपेयर और साथ लगते कस्बों को जो नुकसान हुआ उसके लिए कितना पैसा मुहैया करवाया गया? एस0डी0एम0 और आपदा प्रबंधन की ओर से कितना-कितना पैसा दिया गया? सभापति महोदय, विधान सभा का सत्र चल रहा था, बरसात हुई और

एन0एस0 द्वारा जारी .....

10-03-2022/1235/NS/AS/1

श्री राम लाल ठाकुर.....जारी

कुछ बर्फ़ भी पड़ी थी और उस दिन मेरे क्षेत्र की ग्राम पंचायत नम्होल में दक्षेस गांव में आसमानी बिजली गिरने से दो गौशालाएं जल कर राख हो गईं और इसमें पशु भी जल गए। इसमें कुछ भेड़-बकरियां थीं वे भी जल गईं। मैं, मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि शीघ्र रिलीफ़ के तौर पर वहां कितनी धनराशि दी गई है? सभापति महोदय, जब ऐसी घटना घटती है तो पंचायत अपने पंचायत सचिव के माध्यम से रिपोर्ट करती है। वहां पर पटवारी मौके पर जाता है और लोस का आकलन करता है। मैं कहना चाहता हूं कि पटवारी कोई टैक्निकल आदमी नहीं है। पटवारी रिपोर्ट करेगा और इसके बीच कुछ और इश्यूज़ भी आ जाते हैं। सरकार ने कह दिया कि मेक्सिमम राहत राशि 1.50 लाख रुपये ही मिलेगी। सभापति महोदय, अगर पक्का मकान होगा तो उसका आकलन अलग होगा और अगर कच्चा मकान होगा तथा लकड़ी का बना होगा तो उसका मापदंड अलग है। जिन लोगों का मकान जल गया और आप राहत राशि 25 हजार या 40 हजार रुपये देंगे तो वह प्राकृतिक

आपदा के बाद मकान नहीं बना पाएगा। अगर किसी की गौशाला जल गई और पशुओं का भी नुकसान हो गया तो उसकी पूरी भरपाई नहीं हो रही है।

सभापति महोदय, मैं, मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि मान लो किसी का मकान बरसात में गिर गया या लैंडस्लाइड हुआ और मकान तबाह हो गया। इस मामले में ऐसा होता है पटवारी तब तक रिपोर्ट नहीं देगा जब तक छत खड़ी है। नीचे से मकान तबाह हो गया। अगर आग लग जाए तब भी मकान तबाह हो गया और गांव वालों ने आग बुझाने का काम किया तो भी तबाह हो जाएगा। सभापति महोदय, मैं एक दिन अपने क्षेत्र में परगना रत्नपुर में टूअर पर गया था और मैं वहां मौके पर गया हुआ था क्योंकि वहां चार घरों का नुकसान हुआ था। वहां पर तहसीलदार के माध्यम से अन्य लोगों का 5000 रुपये का शीघ्र रिलीफ पहुंच गया लेकिन एक घर जिसकी छत खड़ी थी पटवारी ने यह कहा कि जब तक सारा घर तबाह नहीं होगा तब तक रिलीफ नहीं मिलेगा क्योंकि मैन्युअल में लिखा है। अगर किसी व्यक्ति की फसल को बाढ़, लैंडस्लाइड से या प्राकृतिक आपदा से नुकसान हो गया तो उसकी फसल कवर अप नहीं होती है और उतना पैसा भी नहीं मिलता है। मैन्युअल इन सब विषयों को

10-03-2022/1235/NS/AS/2

कवर नहीं करता है। मेरा, मंत्री महोदय से निवेदन है कि इसको व्यावहारिक किया जाए। जब प्लान अप्रूव होता है तो आपको आपदा का पैसा साथ में मिल जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या प्राकृतिक आपदा के बाद उस पैसे को शीघ्र रिलीफ के तौर पर देते हैं? जिस आदमी का घर जल गया, बरसात में ढह गया या लैंडस्लाइड में तबाह हो गया तो ये सारी घटनाएं ऐसी हैं इससे उस गरीब का सब कुछ खत्म हो जाता है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। मान लोग अगर किसी व्यक्ति का पक्का मकान इन घटनाओं से खत्म हो गया और आप कहें कि आपको 1.50 लाख रुपये से ज्यादा राशि पक्के मकान की नहीं मिलेगी तो यह ठीक नहीं है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि नुकसान का आकलन करने के लिए टैक्निकल आदमी जा करके देखे कि कितना नुकसान हुआ है? पूरे नुकसान की उस व्यक्ति को 50 प्रतिशत राशि मिल जानी चाहिए ताकि वह अपना आशियाना दोबार से बना सके।

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

10.03.2022/1240/RKS/AS-1

श्री राम लाल ठाकुर...जारी

मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जो किसान बदहाली की स्थिति में हैं, जैसे आसमानी बिजली गिरने से उनके मकान को नुकसान हो जाए या फिर किसी आपदा से उनकी फसलें तबाह हो जाए तो ऐसे मामलों में उन्हें उचित मदद मिलनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से लोगों के नुकसान की भरपाई होनी चाहिए और इसके लिए Relief manual में संशोधन करने की आवश्यकता है। यह एक महत्वपर्ण विषय है और सरकार को निश्चित रूप से इस पर विचार करना चाहिए। प्रभावित लोगों को उचित मदद देने के लिए सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

10.03.2022/1240/RKS/AS-2

सभापति : अब माननीय सदस्य श्री नन्द लाल जी इस चर्चा में भाग लेंगे।

श्री नन्द लाल : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है इसमें प्राकृतिक आपदा के कारण हमारे किसानों-बागवानों को जो नुकसान होता है, उसमें 50 प्रतिशत मुआवज़ा देने की बात कही गई है। इन्होंने यह भी कहा है कि जब प्राकृतिक आपदा से किसी मकान को नुकसान पहुंचता है तो इसका मुआवज़ा भी कम-से-कम 5 लाख रुपये मिलना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर लोग खेती-बाड़ी और बागवानी का काम करते हैं। जब किसानों व बागवानों की फसलें भारी बारिश, सूखा, या ओलों से बरबाद हो जाती है तो इसका किसान व बागवान को बहुत प्रभाव पड़ता है। पिछले वर्ष बेमौसमी बरसात व बर्फ के कारण ननखड़ी क्षेत्र के बागवानों को काफी नुकसान हुआ। ज्यादा बर्फ गिरने से पेड़ों की शाखाएं टूट गई और काफी पेड़ तो पूरे-के-पूरे उखड़ गए। जिन पेड़ों को ओलावृष्टि से बचाने के लिए हेल नेट लगाई गई थी उसमें बर्फ जमा होने के कारण पेड़ों को काफी

नुकसान हुआ। लेकिन जो relief manual में बागवानों के लिए देय राहत राशि है, वह बिल्कुल नगण्य है। श्री राकेश सिंघा जी ने जो 50 प्रतिशत राशि देने की बात की है, यह बिल्कुल सही बात है। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि जितना नुकसान हुआ है उतना ही मुआवज़ा मिलना चाहिए। लोगों को बीमा पोलिसी का समय में फायदा नहीं मिल रहा है। इस पर भी सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री बीमा योजना या जो दूसरी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनसे खाली एजेंट को ही फायदा हो रहा है । जो प्रति बीघा असैस करके मुआवजा दिया जा रहा है यह बिल्कुल नगण्य है, इस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। जैसा माननीय मंत्री ने कहा कि नुकसान का आकलन तैयार कर पूरा मसौदा केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। केंद्र सरकार से इस पर कार्रवाई वांछित है और जब आकलन के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा कार्रवाई की जाएगी उसे अमल में लाया जाएगा । लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि यह कंडिशनल है। यह बात बिल्कुल भी उचित नहीं है।

श्री एन.जी. द्वारा... जारी

10-03-2022/1245/ए.एस.-एन.जी. /1

श्री नन्द लाल .....जारी

अभी जैसे पिछले साल मार्च-अप्रैल माह में जो लॉस हुआ था जिसके बारे में माननीय सदस्य श्री रोहित ठाकुर जी ने भी सवाल पूछा था, उसके मुल्यांकन के लिए 7-8 माह बाद नवम्बर माह में एक टीम आती है। इस प्रकार का हिसाब नहीं होना चाहिए। जैसे ही कोई नुकसान हुआ तो तुरंत वहां पर राजस्व के व सम्बंधित अधिकारी जाएं, उसका मुल्यांकन करें और उसके बाद उन्हें त्वरित राहत प्रदान की जाए तथा उसके बाद कुल नुकसान का जो भी प्रतिशत दिया जाना है वह दे दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केन्द्र सरकार के अधिकारियों पर छोड़ दिया जाए और जब वे आएंगे उसके बाद लॉस की भरपाई करेंगे। इसी प्रकार मकान के नुकसान के मामले में भी यही हालत है। इस मंहगाई के समय में लोग बहुत मुश्किल से अपना मकान बनाते हैं। छोटा-सा भी मकान बनाना हो तो उसमें भी कम-से-कम 20 से 25 लाख रुपये का खर्चा हो जाता है। यदि उसके घर में आग लग जाती है या

कोई टूट-फूट हो जाती है तो उस हालत में as per Relief Manual उसे केवल 1.15 लाख रुपये या 1.20 लाख रुपये की ही राहत प्रदान की जाती है।

सभापति महोदय, माननीय सदस्य जी ने यह प्रस्ताव बिलुकल ठीक लाया है। इतने रुपये में कैसे उसका मकान दोबारा बन पाएगा? माननीय सदस्य ने प्रस्ताव किया है कि ऐसी स्थिति में उसे 5 लाख रुपये राहत दी जानी चाहिए और यह बहुत अच्छा विचार है। मेरा मानना तो यह है कि we should go a little further. एक्चुअल अमाऊंट नहीं दे सकते तो 5 लाख रुपये से थोड़ा-सा और ऊपर जाना चाहिए। मेरे क्षेत्र के ननखड़ी में एक अडु पंचायत है। वहां पर पिछले वर्ष आग लगने के कारण 6 लोगों का मकान बिलुकल खतम हो गया। उनके लॉस का जो मुल्यांकन किया गया उसमें आज तक उन्हें बहुत कम धनराशि प्राप्त हुई।

10-03-2022/1245/ए.एस.-एन.जी. /2

उन्हें केवल त्वरित राहत या जो हम लोगों ने दिया है वही मिला है। वे सभी अभी तक बेघर हैं। घटना के बाद आमतौर पर सरकार पीड़ितों को एक टैंट दे देती है और गांव के लोग मिलकर उनके लिए खाने-रहने आदि का प्रबंध कर देते हैं। सरकार को सोचना होगा कि उनका मकान बनाने के लिए टी.डी. की या अन्य व्यवस्थाएं की जाएं। मकान के लिए जो राहत मैन्युअल है और उसमें जो राहत देने का प्रावधान किया गया है उसे रिवाइज़ किया जाए व इसकी राशि को भी बढ़ाया जाए। सभापति माहोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

समाप्त/-

10-03-2022/1245/ए.एस.-एन.जी. /3

सभापति : अब इस चर्चा का उत्तर माननीय जल शक्ति मंत्री जी देंगे।

जल शक्ति मंत्री : सभापति महोदय, नियम-101 के अतंर्गत जो संकल्प माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा जी ने लाया है उसमें माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी, श्री रोहित ठाकुर, श्री मोहन लाल ब्राक्टा, श्री राम लाल ठाकुर व श्री नन्द लाल जी ने भी इसकी चर्चा में अपने आप को शामिल किया है।

सभापति महोदय, जब कोई भी ऐसी आपदा आती है, चाहे भारी बारिश हो, बादल फटने की बात हो, ओलावृष्टि हो या बर्फबारी हो, तो उसके कारण बहुत नुकसान होता है। सभापति महादेय, मैं इस माननीय सदन का ध्यान वर्ष 2013 में जो आपदा आई थी उसकी ओर लाना चाहता हूं। जब केदारनाथ में आपदा आई थी तब उसका प्रभाव हमारे प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों पर पड़ा था। वहां पर तो बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था लेकिन हमारे प्रदेश के भी कई ऐसे क्षेत्र थे जहां पर नुकसान हुआ था। दिनांक 14-08-2014 और दिनांक 15-08-2015 को भी इसी प्रकार भारी बारिश हुई थी और बादल फटने की घटनाएं घटी थीं। उस समय धर्मशाला में, मेरे चुनाव क्षेत्र में, कुल्लू में और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार की घटनाएं घटी थी। हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा सिस्टम बन चुका है कि जब बारिश होनी चाहिए तब नहीं होती और जब बर्फबारी होनी होती है वह तब न हो कर आज कल होती है। इस कारण से कुछ क्षेत्रों को चिन्हित कर दिया गया है।

श्री जे.एस. द्वारा जारी.....

10.03.2022/1250/JS/AS/1

जल शक्ति मंत्रीः-----जारी------

मुझे ऐसा लगता है कि जितनी छेड़छाड़ पर्यावरण के साथ जारी है, उस छेड़छाड़ की वज़ह से प्रकृति ने भी अपने आपको बदल रखा है। श्री राकेश सिंघा जी ने इसके ऊपर बड़े विस्तार से चर्चा की है। यह बागवानों और किसानों से संबंधित है। जहां-जहां नुकसान होता है, उसमें चाहे किसान हो,बागवान हो, व्यापारी हो और कोई भी हो, जिसका भी नुकसान होता है वह हर व्यक्ति से संबंधित होता है। मैंने भी न जाने कितनी बार प्राइवेट मैम्बर्ज़ डे के

अन्तर्गत ऐसे संकल्पों पर चर्चा की है। अध्यक्ष महोदय, चर्चाओं से फायदा तो होता है, ज्यादा फायदा न हो लेकिन कुछ-न-कुछ फायदा तो जरूर होता है। इस चर्चा में जहां श्री राकेश सिंघा जी ने अपने क्षेत्र की बात की है वहीं पूरे हिमाचल प्रदेश की बात भी की है। ऐसे ही बाकी सदस्यों ने भी अपने क्षेत्र और पूरे प्रदेश की बात की है। इस तरफ भी बहुत ऐसे विधायक हैं, जिनके क्षेत्रों में भी नुकसान हुआ है लेकिन जब इन्होंने देखा कि रैपिटेशन हो रही है तो उस रैपिटेशन में वे शामिल नहीं हुए। यहां पर एक विशेष बात बीमा योजना की आई है। वैदर बेस्ड इंश्योरैंस स्कीम हिमाचल प्रदेश में लागू की गई है। इस हाउस में वह महान शख्सियत श्री नरेन्द्र बरागटा जी हमारे बीच में नहीं हैं, उन्होंने भी इस हाउस में अपना प्रश्न लगाया था। तीन किस्म से वह राशियां कम्पनी को दी जाती हैं। एक शेयर किसान व बागवान देता है, दूसरा शेयर स्टेट गवर्नमैंट देती है और तीसरा शेयर सेन्टर गवर्नमैंट देती है। यहां पर श्री जगत सिंह नेगी जी प्वाइंट आउट कर रहे थे कि जितनी राशि किसान/बागवान अपने शेयर की देता है, उसी तरह से उस कम्पनी को तीन जगह से शेयर जा रहे हैं। मैंने इसकी बड़ी डिटेल से स्टडी की है और मैंने ऐसा महसूस किया है कि किसान के द्वारा जो शेयर दिया गया उसके बराबर मुआवजा उस किसान/बागवान को नहीं मिल पा रहा है, जो कि चिन्ता का विषय है। इस बात को स्वर्गीय श्री नरेन्द्र बरागटा जी ने भी उठाया था और मैंने इसमें आगे भी कार्रवाई की है। हमने इस बारे में भारत सरकार से भी कहा है कि यह एक ऐसी योजना है जिसका फायदा हमारे किसानों/बागवानों को कम मिल रहा है। दूसरी योजना प्रधान मंत्री कृषि इंश्योरैंस स्कीम है। उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि

10.03.2022/1250/JS/AS/2

उसका काफी ज्यादा फायदा मिल रहा है। यहां पर माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों की बात की है। माननीय सदस्य, श्री जगत सिंह नेगी जी कह रहे थे कि किन्नौर में बहुत ज्यादा हाईडल प्रोजैक्ट्स लगे हैं, जिनमें बिजली का उत्पादन हो रहा है। वहां पर सी.एस.आर. का पैसा मिलना चाहिए और निश्चित तौर पर मिलना चाहिए। सी.एस.आर.

का पैसा वैसे तो वहीं पर मिलना चाहिए, जहां उसका कार्य क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र है। लेकिन सी.एस.आर. के बड़े लम्बे-लम्बे नियम हैं, उसमें क्या संशोधन किया जा सकता है, इसके बारे में जो आपने सुझाव दिए हैं, इस पर भी हम विचार करेंगे। इसके अलावा आपने एक बात और कही है कि सितम्बर के महीने में बेमौसमी बारिश की वजह से नुकसान हुआ है। जब मैं अपना उत्तर पढ़ूंगा तो उसको भी मैंने उसमें शामिल किया है। वैसे ही श्री रोहित ठाकुर जी ने, श्री नंद लाल जी ने, श्री मोहन लाल ब्राक्टा जी ने और विशेष करके श्री राकेश सिंघा जी ने भी इस बात को इस हाउस में रखा है। सभापति जी, जैसा कि इस माननीय सदन को ज्ञात ही है कि हिमाचल प्रदेश कृषि एवं बागवानी प्रधान प्रदेश है। लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि एवं बागवानी ही है। मौसम की प्रतिकूलता के कारण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण कई बार कृषि व बागवानी को व्यापक नुकसान हो जाता है। सभापति महोदय, राजस्व विभाग किसी भी आपदा के कारण हुए नुकसान की भरपाई नहीं करता।

श्री एस.एस. द्वारा जारी----

10.03.2022/1255/SS-HK/1

जल शक्ति मंत्री क्रमागत :

है अपितु गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 08 अप्रैल 2015 को जारी मापदण्डों के अनुसार सहायता राशि प्रदान करता है। वर्तमान में सरकार द्वारा फसलों के नुकसान की सहायता हेतु निम्न प्रकार से सहायता राशि जारी की जा रही है:-

2 हैक्टयर तक कृषि /उद्यान भूमि सहायता हेतु		
1	कृषि /उद्यान भूमि पर गाद के कारण नुकसान पर	मु0 12,200/- रुपये प्रति हैक्टेयर
2	भूस्खलन/हिमस्खलन के कारण कृषि /उद्यान भूमि के नुकसान पर	मु0 37,500/- रुपये प्रति हैक्टेयर

3	कृषि/बागवानी फसलों के नुकसान पर	i. 50%-75% के मध्य नुकसान पर मु0 300 रुपये प्रति बीघा ii. 75% से अधिक नुकसान पर मु0 500 रुपये प्रति बीघा अधिकतम 7000 रुपये प्रति परिवार)
4	कृषि उपकरणों पर छूट 33% से अधिक नुकसान पर मु0 500 रुपये प्रति बीघा	i. मु0 6800 रुपये प्रति हैक्टेयर बरसाती क्षेत्रों के लिए ii. मु0 13,500 रुपये प्रति हैक्टेयर सिंचित क्षेत्रो के लिए
5	बारह मासी फसलों के नुकसान के लिए	मु0 18000 रुपये प्रति हैक्टेयर
6	2 हैक्टयर से अधिक कृषि भूमि के लिए input subsidy	i. मु0 6800/- रुपये प्रति हैक्टेयर ii. मु0 13,500/- रुपये प्रति हैक्टेयर बरसाती क्षेत्रों के लिए iii. मु0 18000/- रुपये प्रति हैक्टेयर बारह मासी फसलों के लिए।

10.03.2022/1255/SS-HK/2

सभापति जी, इसके अतिरिक्त कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित-मौसम आधारित फसल बीमा योजनाओं द्वारा बहुत कम प्रीमियम पर फसलों का बीमा किया जा रहा है जिससे किसानों एवं बागवानों की फसलों को प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी कारण से नुकसान होने पर बीमा राशि का भी लाभ प्राप्त हो रहा है। एक विशेष करके जो मौसम आधारित बात कही है मैंने उसके बारे में पहले ही कहा है जो आपकी भी शंका है कि इसमें दिक्कत है।

सभापति महोदय, इस वर्ष 01 अप्रैल से 31 जनवरी 2022 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्राकृतिक आपदा के कारण प्रदेश में लगभग मु0 1824.90 करोड़ रुपये के

नुकसान का आंकलन किया गया है। अप्रैल-मई 2021 में बेमौसमी ओलावृष्टि एवं बर्फबारी के कारण भी कृषि एवं बागवानी को मु0 211.59 करोड़ रुपये के नुकसान का आंकलन किया गया था, जिसका एक विस्तृत ज्ञापन गृह मंत्रालय भारत सरकार को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता हेतु भेजा गया है। इस ज्ञापन की पुष्टि हेतु एक केन्द्रीय दल ने भी प्रदेश का दौरा करके नुकसान का आकलन किया है। जैसे ही केन्द्र सरकार से इस ज्ञापन के एवज में अतिरिक्त सहायता राशि प्राप्त होगी तद्नुसार हुए नुकसान और प्राप्त सहायता राशि को देखते हुए यह सहायता राशि वितरित की जाएगी।

सभापति महोदय, प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के साथ-साथ लोगों के घरों व निजी सम्पति को भी बहुत अधिक नुकसान होता है। प्रदेश सरकार द्वारा मानसून के उपरान्त प्रदेश में हुए नुकसान का आकलन विभिन्न विभागों के साथ मिल कर किया जाता है तथा इसका ज्ञापन बनाकर केन्द्र सरकार को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता हेतु भेजा जाता है। इस वर्ष मानसून के दौरान मु0 1151.70 करोड़ रुपये के नुकसान का आकलन किया गया है। जिसमें कृषि विभाग को मु0 48.24 करोड़ रुपये, बागवानी विभाग को 30.00 करोड़ रुपये एवं घरों को मु0 11.97 करोड़ रुपये के नुकसान का आकलन किया गया है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक केन्द्रीय दल ने प्रदेश में मानसून के दौरान हुए नुकसान का आकलन करने के लिए माह नवम्बर 2021 में प्रदेश का दौरा किया है।

10.03.2022/1255/SS-HK/3

सभापति जी, प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश आपदा राहत एवं नियमावली के अनुसार वर्तमान में प्राकृतिक आपदा/आगजनी से घरों को हुए नुकसान की सहायता हेतु निम्न प्रकार से सहायता राशि जारी की जा रही हैः-

1. पक्का/कच्चा मकान पूर्ण रूप से क्षति होने पर मु0 1,01900/- रुपये
2. पक्का मकान आंशिक रूप से क्षति होने पर मु0 12,500/- रुपये
3. कच्चा मकान आंशिक रूप से क्षति होने पर मु0 10,000/- रुपये
4. दुकान/पशुशाला की क्षति होने पर मु0 10,000/- रुपये
5. दुकान के समान की क्षति होने पर मु0 25,000/- रुपये

6. झुग्गी-झोपड़ी की क्षति होने पर मु0 4100/- रुपये दिए जाते हैं।

जारी श्रीमती के0एस0

10/03/2022/1300/केएस/एएस/1

जल शक्ति मंत्री जारी---

सभापति महोदय, 15वें वितायोग जो 2021-22 से 2025-26 तक लागू होना है के संशोधित दिशा-निर्देश कोरोना महामारी के कारण अभी तक जारी नही हुए है जिस कारण किसी भी सहायता मद में कोई भी बढौतरी नही की जा सकी है। नए दिशा-निर्देशों मे सभी मदो मेंबढौतरी होने की सन्भावना है।

सभापति महोदय, प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार को आपदा से हुए नुकसान की सहायता हेतु सभी मदो में बढौतरी, पीछे जो मदें मैंने पढ़ी हैं, उन सभी में बढ़ौत्तरी करने हेतु दिनांक 13 अप्रैल 2021 को हमने भारत सरकार से आग्रह किया है । प्रदेश सरकार द्वारा कृषि, बागवानी एवं घरों को हुए नुकसान की बढौतरी के लिए निम्न के अनुसार आग्रह किया हैः-

कृषि/ बागवानी भूमि पर गाद के कारण नुकसान पर जहां पहले 12,200 रुपये की बात थी हमने मु0 25,000 रुपये प्रति हैक्टेयर की बढ़ौत्तरी का आग्रह किया है, भूस्खलन/हिमस्खलन के कारण कृषि/ बागवानी भूमि के नुकसान परजहां पहले 37,500 था, हमने मु75,000/-रूपये प्रति हैक्टेयर की बात की है, 2 हैक्टयर से अधिक कृषि भूमि के लिए input subsidy मु0 15,000/-रूपये प्रति हैक्टेयर, मु0 35,000/- रूपये प्रति हैक्टेयर बरसाती क्षेत्रो के लिए, मु0 18000/- रूपये प्रति हैक्टेयर बारह मासी फसलों मु0 10,000/- रूपये प्रति हैक्टेयर और मु0 12,000/- रूपये प्रति हैक्टेयर उनसे मांगा है, घरों के नुकसान हेतु हमने मु0 3.00 लाख रुपया प्रति मकान के रूप में उनसे निवेदन किया है कि आप हमारी संशोधित दरों को स्वीकृत करने की कृपा करें।

इस वित्त वर्ष में एस0डी0आर0एम0एफ0 में मु0 454.00 करोड रूपए प्राप्त हुए थे, जिसमें से मु0 91.00 करोड रूपए न्यूनीकरण (Mitigation) के लिए निर्धारित किए गए हैं। शेष राशि मु0 363.00 करोड रूपए के 50 प्रतिशत कोविड कार्य के लिए खर्च किए जाने प्रस्तावित थे। 10 प्रतिशत क्षमता निर्माण के लिए रखे गये हैं। इस प्रकार अन्य राहत एवं पुर्न-निर्माण कार्यो के लिए लगभग मु0 281.00 करोड़ रूपए ही खर्च किए जा सके हैं।

10/03/2022/1300/केएस/एएस/2

सभापति महोदय, कोरोना महामारी के कारण गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेशानुसार एस0डी0आर0एफ0 की 50 प्रतिशत राशि कोविड-19 की गतिविधियों में खर्च की जा रही है व कोविड-19 के कारण होने वाली मृत्यु होने पर भी मु0 50 हजार रूपए मृतक के परिजनों को दिए जा रहे हैं । इसके लिए लगभग मु0 25.00 करोड रूपए का दायित्व था, प्रदेश सरकार द्वारा सभी जिलाधीशों को वांछित सहायता जारी कर दी गई है। जिस कारण भी अन्य गतिविधियों के लिए पर्याप्त मात्रा में सहायता राशि जारी नही की जा पा रही है ।

सभापति महोदय, प्रदेश सरकार प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की सहायता हेतु पहले से ही गम्भीर एवं सजग है व समय-समय पर भारत सरकार को सहायता मदों मे बढौतरी हेतु आग्रह किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा अपना पक्ष रख दिया गया है तथा मामला गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विचाराधीन है। बढौतरी होने पर प्रदेश सरकार द्वारा तदानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी।

सभापति महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने अपने विधान सभा चुनाव क्षेत्रों के बारे में भी स्पैसिफिक बातें जाननी चाहीं जैसे ठाकुर राम लाल जी ने कहा कि बिजली गिरने की वजह से मंदिर का नुकसान हुआ है। मेरे पास इस वक्त ऐसी कोई सूचना नहीं है लेकिन मैं आपको इसकी जानकारी पहुंचा दूंगा। इसके अलावा अगर कोई और भी जानकारी होगी, मैं वह भी आपको भिजवा दूंगा लेकिन प्रदेश सरकार हर सम्भव प्रयास कर रही है और उन प्रयासों में जैसे ओलावृष्टि से बचने के लिए एंटी हेलनैट लगाई जा रही है। मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। पिछले दो वर्षों से इन्होंने एक प्रावधान किया है कि एंटी

हेलनैट लगाने के लिए स्ट्रक्चर का प्रावधान नहीं था, माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्ट्रक्चर का प्रावधान भी किया है। किसानों/बागवानों के लिए हर सम्भव जो किया जा सकता था, हमने करने का प्रयास किया है।

आप जो बोल रहे हैं, वह गलत नहीं है, वह भी ठीक है। हम भी किसान/बागवान हैं। हमारा दर्द भी वही है जो आपका है। मेरे तो अपने बगीचे में भी, मेरा 9000 की ऊंचाई पर मेरा एक बगीचा है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

10.3.2022/1305/av/yk/1

जल शक्ति मंत्री-----जारी

मेरा अपना खुद का बागीचा 9,000 फीट की ऊंचाई पर है। हमने वहां नैट और बड़े-बड़े चैनल लगाए हुए थे। लेकिन इतनी ज्यादा बर्फ पड़ी कि वे चैनल भी टेड़े हो गए बाकी जो पेड़ों को नुकसान हुआ; वह अलग बात है। लेकिन इसके लिए जितनी राशि हमें भारत सरकार से मिलेगी हम उतनी ही राशि का आगे आबंटन कर सकते हैं। मेरा माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा से निवेदन रहेगा कि मेरे उत्तर को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने संकल्प को वापिस लेने की कृपा करें।

श्री नरेन्द्र ठाकुर, सभापति : माननीय सदस्य श्री रोहित ठाकुर, आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री रोहित ठाकुर : सभापति महोदय, वैसे तो मंत्री जी ने बड़े विस्तार से उत्तर दे दिया है। मंत्री जी स्वयं बागवान हैं और इन्होंने अपना अनुभव भी यहां पर शेयर किया है कि भारी बर्फबारी और ओलावृष्टि के कारण आपके हेल नैट्स काफी क्षतिग्रस्त हुए। आपने पोली हाउसिज के लिए अभी योजना भी आरंभ की है। आपने 5 वर्ष के बाद पोली हाउसिज के लिए पुनः अनुदान देने की योजना आरंभ की है तो इस प्रकार की योजना एंटी हेल नैट्स

के लिए भी शुरू की जानी चाहिए। अतः मेरा मंत्री महोदय से आग्रह रहेगा कि इस विषय पर विचार किया जाए क्योंकि आप खुद एक बागवान हैं।

श्री नरेन्द्र ठाकुर, सभापति : माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा, क्या आप अपना संकल्प वापिस लेने को तैयार हैं।

श्री राकेश सिंघा : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने आग्रह किया है कि मैं इस प्रस्ताव को वापिस लूं। मुझे इसको वापिस लेने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप मुझे इज़ाजत दें, मैं दो मिनट में अपनी बात के माध्यम से अपनी इच्छा आपके सामने जाहिर कर दूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि एक तो रिलीफ होता है और दूसरा आपका कंपनसेशन होता है। मैंने यह प्रस्ताव लाया है, मगर मैं इसमें वर्ष 1905 की

10.3.2022/1305/av/yk/2

बात नहीं कह रहा हूं। उस समय हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बहुत बड़ी आपदा आई थी। उसके पश्चात मेरे ख्याल में वर्ष 1988 में कांगड़ा में फिर से बहुत नुकसान हुआ था और उसी तरह से वर्ष 1974 में जिला किन्नौर में हुआ था। भारत सरकार डिजास्टर मेनेजमैंट के तहत किसी घटना को नैशनल डिजास्टर डिक्लेयर करती है। लेकिन मुझे याद नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में किसी बड़ी आपदा को भारत सरकार ने नैशनल डिजास्टर डिक्लेयर किया हो, बादल फटने की घटना तो आप छोड़ ही दो। मैं उम्मीद भी नहीं करता हूं कि भारत सरकार नैशनल डिजास्टर डिक्लेयर करे। लेकिन यह सच्चाई है कि हमारा किसान जो नुकसान झेल जाता है उसमें उसका सदियों से कई पुश्तों द्वारा कमाया हुआ सब कुछ तबाह हो जाता है। आप मेरे द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव की मंशा को समझिए और इसमें सरकार की गंभीरता नज़र आनी चाहिए। We must be able to address the agony of the farmers. यह तो भारत सरकार ने ही करना है और हम इसके लिए केवल अपील कर सकते हैं कि हमारा भी कुछ सोचिए क्योंकि हम भी हिन्दुस्तान का एक हिस्सा है। उन्होंने करना या नहीं करना है; यह उनकी इच्छा है। हमारे वहां चार एम0पीज0 हैं मगर उनको

वहां कोई नहीं मानता और यह सच्चाई है; इसमें चाहे आपकी पार्टी के हों या कांग्रेस पार्टी के हों। दूसरी बात यह है कि हमारा अपना रिलीफ मैनुअल है। हमारा अपना स्टेट का रिलीफ मैनुअल है।

टी सी द्वारा जारी

10/03/2022/1310/टी0सी0वी0/वाई0के0/1
श्री राकेश सिंघा.. जारी

मैं रिलीफ मैनुअल कह रहा हूं नहीं तो मैंने बहुत ज्यादा इसमें जाहिर करना था। आप मुख्य मंत्री जी की तरफ से इतना कह दें कि that we will amend it or we will apply our mind to amend it. तो क्या यह प्रस्ताव यहां पर सिर्फ चर्चा के लिए लाया गया है? पहाड़ों या मैदानी इलाकों में भी ऐसा होता है कि जब मकान में आग लग जाती है तो मकान तबाह हो जाता है। एस0डी0एम साहब आएंगे और 10,000 रुपये और तिरपाल दे देंगे। जबकि सदियों की कमाई एक झटके में साफ हो जाती है। अगर बिजली का शॉर्ट सर्किट हो गया और उससे मेरे पुश्तों के मकान को तबाह कर दिया तो we are given only Rs. 1,10000/- मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप हिमाचल प्रदेश के उन मंत्रियों में से हैं who has got the longest experience in the treasury benches. आप इच्छा जाहिर कर दें कि the State Government will take it up to amend the Relief Manual. मैं इसको वापिस ले लेता हूं। इतना भी नहीं कह सकते है तो मेरे पास कोई और चारा नहीं है। मुझे तो इस माननीय सदन में लोगों की पीड़ा रखनी है, आपको पीड़ा को एड्रैस करना है। यह बात सिर्फ सदन की ही नहीं है यह हिमाचल प्रदेश के 71 लाख लोगों की पीड़ा है और उसको हम किस तरीके से एड्रैस करना चाहते है? इतना भी नहीं कर सकते तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि ये कह दे कि that the Government will think of reviewing and amending the Relief Manual of Himachal Pradesh. मैं अपना संकल्प वापिस ले लूंगा।

जल शक्ति मंत्री : सभापति जी, मैंने बड़ी गंभीरता के साथ माननीय सदस्य की बातों का जवाब दिया है। आपने जो चिंता जाहिर की है, वह हम सबकी चिंता है। हम समय-समय पर जो बेस्ट पॉसिबल होगा, वह करने की कोशिश करेंगे। मेरा आपसे पुनः आग्रह रहेगा कि आप इस संकल्प को वापिस लें।

सभापति : तो क्या माननीय सदस्य, अपना संकल्प वापिस लेने के लिए तैयार हैं?

श्री राकेश सिंघा : सभापति महोदय, मेरे पास कोई और चारा भी नहीं है under protest मैं इस संकल्प को वापिस ले लूंगा।

सभापति : तो क्या माननीय सदन की अनुमति है कि संकल्प वापिस लिया जाए?

(संकल्प वापिस हुआ)

अब इस माननीय सदन की बैठक भोजनोवकाश के लिए दोपहर 2.15 बज़े तक स्थगित की जाती है।

10-03-2022/1430/NS/DC/1

(माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरान्त 02.30 बजे अपराह्न पुनः आरम्भ हुई)

गैर-सरकारी सदस्य कार्य-संकल्प नियम-101

अध्यक्ष : अब श्री रमेश चंद ध्वाला अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे। इस विषय पर माननीय श्री बलबीर सिंह वर्मा जी से भी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। वे भी इस चर्चा में भाग ले सकते हैं। अब श्री रमेश चंद ध्वाला अपना संकल्प प्रस्तुत करें।

श्री रमेश चंद ध्वाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि च्प्लास्टिक से ब़ढते प्रदूषण व उसके खाने से पशुओं की हो रही अकाल मृत्यु तथा बेसहारा पशुओं के लिए बनाए गौसदन के रख-रखाव हेतु नीति बनाने पर यह सदन चर्चा करे। छ

अध्यक्ष : तो संकल्प प्रस्तुत हुआ कि " प्लास्टिक से बढ़ते प्रदूषण व उसके खाने से पशुओं की हो रही अकाल मृत्यु तथा बेसहारा पशुओं के लिए बनाए गौसदन के रख-रखाव हेतु नीति बनाने पर यह सदन विचार करे।" अब श्री रमेश चंद ध्वाला जी इस संकल्प पर चर्चा शुरू करेंगे।

श्री रमेश चंद ध्वाला : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। समाज में गिरावट आ रही है। हम हिन्दु हैं और सनातन धर्म को मानने वाले हैं। पहले हमारी अर्थव्यवस्था इससे चलती थी और पिछले पांच वर्षों से सड़कों पर आवारा पशु घूम रहे हैं तथा लोगों की फसलों का नुकसान कर रहे हैं। इनके कारण सड़कों में दुर्घटनाएं हो रहीं हैं और पशु मारे जा रहे हैं। इसके अलावा पशु शहरों, नगर पंचायतों और नगर निगमों में जो कचरा बाजारों

में पड़ा होता है उस कचरे को खाने से इनकी अकाल मृत्यु हो रही है। मैं, मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि इनके सहयोग से मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक काउ सैंक्चुअरी बनाई गई है और इसमें 850 पशु मौजूद हैं। वहां पर

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

10.03.2022/1435/RKS/डीसी-1

श्री रमेश चंद ध्वाला... जारी

जब ज्यादा पशु मरने लगे तो मैंने उन पशुओं को उठाने वालों से पूछा कि इतने पशु कैसे मर रहे हैं? उस समय लगभग 150 पशु एक साथ मर गए थे। मुझे डॉक्टर्ज और उन लोगों ने कहा कि ये पशु प्लास्टिक के पैकेट और बोरियां खाकर मर रहे हैं। इन पशुओं को खाने के लिए सूखी तूड़ी दी जा रही है जिसको खाने से इनका पेट फूल जाता है और इससे भी ये पशु मर रहे हैं। हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। लेकिन आज लोग पशुओं को बेसहारा सड़कों पर छोड़ रहे हैं जोकि एक अमानवीय कृत्य है। कुछ लोगों ने पशुओं की टैगिंग को खोलने के लिए उनके कान तक काट दिए और कुछ पशुओं को टैगिंग के साथ ही सड़कों पर छोड़ दिया। हम गौ को गौ-माता मानते हैं। मैंने भी एक ऐसी बेसहारा गौ बांधी थी जिसकी किसी ने आंख निकाल दी थी। पशुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है इसको रोकने का दायित्व हम सभी का है। इस अत्याचार को रोकने के लिए सरकार को भी कोई नीति बनानी चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहूंगा कि जैसे हम हरेक व्यक्ति का पंचायत में नाम दर्ज करवाते हैं उसी तरह पशुओं को भी पंजीकृत किया जाना चाहिए। किसने किसको पशु बेचा है, कौन पशु जिंदा है और कौन मर गया, इसकी सारी जानकारी उस रजिस्टर में उपलब्ध होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी लोगों को डर पैदा होगा। जितने बेसहारा पशुओं को गौ-सदनों में डाला जा रहा है उससे ज्यादा पशु लोग फिर से सड़कों में छोड़ देते हैं। इस तरह पशुओं को सड़कों में छोड़ने का सिलसिला निरंतर चल रहा है। इसके लिए हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए। दूसरा, जो व्यक्ति सड़कों पर पशुओं को छोड़ कर चले जाते हैं, उन पशुओं का टोकन नम्बर चैक करके उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कड़े कानून का प्रावधान किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति पकड़ा जाए उसका पी.डी.एस. से नाम काटकर उसे कोई राशन नहीं दिया जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने पहले भी कहा था कि हम ऐसा इंजैक्शन तैयार कर रहे हैं जिससे

फीमेल बच्चे ही पैदा होंगे। जर्सी गाय के 6 महीने या एक साल के मेल बच्चों को लोग सड़कों में छोड़कर जा रहे हैं। एक व्यक्ति ने मेरे सामने एक बछड़े को सड़क के किनारे छोड़ दिया। लोगों ने मेरे सामने उसकी पिटाई की और मैंने भी कहा कि आप गलत काम कर रहे हैं। हम हिन्दु धर्म को मानने वाले लोग हैं अगर हम ऐसा काम करेंगे तो यह एक निंदनीय कृत्य है।

श्री बी.एस. द्वारा... जारी

10.02.2022/1440/बी.एस./एच0के0/-1

श्री रमेश चंद ध्वाला जारी...

दूसरा इनकी नसबंदी की जाए, नहीं तो इनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। आज जो भी लोग खेती का काम कर रहे हैं, वे हमें फोन करते हैं कि इन पशुओं को यहां से ले जाइए। हमनें अपने क्षेत्र में 850 पशुओं को निकाला, अब प्रश्न उठता है कि उन्हें किसने वहां छोड़ा होगा? उसके बावजूद भी 10-15 गायें और दिखाई दे रहे हैं। लोग रात के अंधेरे में उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ रहे हैं। इसके लिए एक पक्का रजिस्टर मेन्टेन किया जाए और जो इन कामों को कर रहे हैं उनके साथ कड़ाई से निपटा जाए। लोग आज कृषि से इसी कारण पीछे हट रहे हैं और लोग प्राइवेट में 500 रुपए की दिहाड़ी लगा करके अपना काम चला रहे हैं। मंत्री जी बताएंगे कि इन्होंने काफी गौ-शालाएं थी खोल रखी हैं। वहां पर एक डॉक्टर भी रखा गया है, परंतु वहां पर ज्यादा पशु मरने लगे तो मैंने उन्हें फोन किया कि क्या कारण है कि इतने पशु मर रहे हैं? जब उन पशुओं के ऑपरेशन किए गए तो उनके पेट में प्लास्टिक निकला। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस प्लास्टिक से निजात दिलाने के लिए इसकी टायलें बनाई जाएं, आज कल बहुत अच्छी टायलें इसकी बनाई जा रही हैं और सीमेंट फैक्ट्री वाले भी इस प्लास्टिक को ले रहे हैं। पीछे सड़कों में भी प्लास्टिक डाला जा रहा था। गाय के गोबर से भी टायलें बनाई जा रही हैं, गऊ मूत्र से भी दवाइंया बनाई जा रही हैं। गाय के गोबर से गैस प्लांट भी चलाया जा सकता है। किसी भी गौ-सदन के नजदीकी गांव को इसकी सप्लाई की जा सकती है। विभाग को ये सारी चीजें करनी चाहिए। यदि हम इसमें कड़ाई से पेश आएंगे तो इसमें कोई-न-कोई रुकावट अवश्य आएगी नहीं तो खेती का कार्य समाप्त हो जाएगा। इसके लिए कोई मेकेनिज्म ढूंढा जाए और इसे रोजगार से जोड़ा जाए, जब इसे रोजगार से जोड़ेंगे तो इसकी और सबका ध्यान

जाएगा। यदि पशुओं को ही नहीं पालेंगे तो जैविक खेती कहां से होगी? हम आज देख रहे हैं कि नई पीढ़ी पशुओं को देखना ही नहीं चाहती है। हमारे समय में जब हमारी रिश्तेदारी होती थी, तब कहते थे कि ये लोग बहुत जमींन वाले हैं, इनके पास बैलों की दो-दो जोड़ियां हैं, दो भैंसे रखी हैं, दो गायें रखी हैं। आज कल कहा जाता है कि यह हमारे बस का काम नहीं है। आप कितने लोगों को काम देंगे? आपके सामने दूध 60 रुपए किलो बिक रहा है।

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

10-03-2022/1445/एच.के.-एन.जी. /1

श्री रमेश चंद ध्वाला .....जारी

हर घर में आपको दुग्ध के लिफाफे मिल जाएंगे। आप प्लास्टिक को कितना रोकोगे? दुकानदारों ने प्लास्टिक वाली बहुत सारी चीजें अपनी दुकान के बाहर लटकाई हुई होती हैं। इस प्रकार प्लास्टिक पर बैन कैसे लग सकता है? हमारे पास दुग्ध क्या विकल्प है? हिमाचल प्रदेश में हर माह करोड़ों रुपये के हिसाब से दुग्ध पैकटों में आ रहा है। मैंने पिछले कल भी कहा था कि मेरे क्षेत्र में एक लड़का है और उसने अपने पास 14 भैंस व एक गाय रखी हुई हैं। मैंने उससे पूछा कि पिछले दो साल में आपने इससे क्या कमाया है तो उसने कहा कि मुझे लगभग 16 लाख रुपये की कमाई हुई है। यानि की एक साल में उसकी औसत कमाई 8 लाख रुपये हुई। मेरा मानना है कि हर गांव से एक cooperate movement चलना चाहिए। जब तक लोगों की भागीदारी नहीं होगी तब तक इस काम पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। गांव के लोगों को एक-दूसरे के बारे में सब कुछ पता होता है। किसके पास कितने पशु हैं, कितनी गाय हैं या कितने बैल हैं। इस काम को सुदृढ़ करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी भी बहुत जरूरी है।

मैं कहना चाहता हूं कि आज जो बोरोजगारी का कारण भी यही है। आज यदि दो लीटर दुग्ध भी बेचेंगे तो 120 रुपये बनेंगे। यदि कोई 10 लीटर दुग्ध बेचता है तो उसके 600 रुपये बनेंगे। अब कोई काम-धंधा ही नहीं करेगा तो पशुओं को ऐसे ही सड़कों पर छोड़

देगा। सड़कों पर पशुओं के कारण बहुत दुर्घटनाएं होती हैं और उनमें पशुओं को भी नुकसान होता है। हमने ऐसे बहुत पशु देखें हैं जिसमें किसी की टांग टूटी हुई होती है या किसी का सिर फूटा हुआ होता है। माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी के पास पशुपालन विभाग भी है और मैं इन्हें कहना चाहता हूं कि यदि हम लोगों को प्रोत्साहित करेंगे तो कोई वजह नहीं होगी कि वे कोई काम न करें।

10-03-2022/1445/एच.के.-एन.जी. /2

आज हिमाचल प्रदेश के गांव में शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसके पास 10 कनाल जमीन न हो। लेकिन आज हिमाचल प्रदेश में लोगों ने कर्जा लेकर उपजाऊ भूमि पर कोठियां बना ली हैं। लेकिन पशुओं का कौन जिम्मेवार है? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप कार्रवाई करेंगे तब जाकर नियंत्रण होगा। आप कानून में कुछ संशोधन कीजिए और यदि ऐसा कानून बनाया गया है तो उसे कड़ाई से लागू कीजिए। यदि आप किसी एक व्यक्ति पर कार्रवाई कर देंगे तो बाकि सभी अपने आप सुधर जाएंगे। माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपका विभाग बताए कि कितने लोगों पर जुर्माना किया है? लोगों में जब आपके विभाग का डर ही नहीं होगा तो इसमें रोक कैसे लगाई जा सकती है? मैं कहना चाहता हूं कि आज पशुधन लुप्त होता जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से गुजारिश है कि 1-2 माह में पशुओं की शुमारी की जाए। कितने पशु थे, कितने मर गए और कितनों की बिक्री कर दी, इसका एक रजिस्टर मैंटेन होना चाहिए। तब जाकर इस पर कंट्रोल हो सकता है। मुझे तो बहुत दुख हुआ जब कहा गया कि एक पंचायत से 62 पशुओं को निकाला।

श्री जे.एस. द्वारा जारी.....

10.03.2022/1450/JS/AS/1

श्री रमेश चन्द धवालाः----जारी----

और कल-परसों मैंने आती बार देखा तो वहां पर 12-15 गायों को और छोड़ गया। माननीय मंत्री जी शहर में चाहे कमेटी एरिया हो, चाहे पंचायत का एरिया हो वहां पर कचरे के ढेर को एक जगह रखा जाए। लोग जगह-जगह ढेर लगाते हैं और पशु उसको खाने लगे रहते हैं। कम-से-कम वहां पर कोई गड्ढा बनाया जाए, वहां पर उस कचरे को रखा जाए ताकि पशु उस कचरे तक नहीं पहुंच सके। इसमें चाहे नगर निगम है, नगर पंचायत है या गांव की पंचायतें हैं, उनको इसके लिए आदेश दिया जाए और इसको कॉपरेट मूवमैंट से जोड़ा जाए। बाकी लोगों को भी इसका डर हो जाएगा। यहां पर मैं माननीय मंत्री जी का, माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि हमारी जो साढे तीन करोड़ की सैंक्चुअरी बनी है, वहां पर पशुओं को लोग घास आदि दान भी करते हैं। इस समाज में कई दानी भी हैं और वे वहां पर घास या तूड़ी आदि देते रहते हैं। यह एंडलैस काम है, इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए तब जा करके इस पर अंकुश लग सकता है। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

10.03.2022/1450/JS/AS/2

अध्यक्षः अब इस चर्चा में माननीय सदस्य, श्री बलबीर सिंह वर्मा जी भाग लेंगे।

श्री बलबीर सिंह वर्मा (चौपाल)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, आज माननीय सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव माननीय सदस्य ने लाया है, जिसमें मैंने भी इस प्रस्ताव में अपना नाम शामिल करने के लिए कहा था। अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश के अन्दर पहले यह परम्परा नहीं थी कि पशुओं को घर से बाहर निकाल कर सड़कों पर छोड़ें। पशुओं का जब तक उपयोग होगा तब तक तो उससे दूध या खेती में जोता जाता है, उसके बाद उन पशुओं को बिल्कुल ही बेसहारा छोड़ दिया जाता है, यह परम्परा हिमाचल प्रदेश में नहीं थी। हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि भी है लेकिन आजकल कई सालों से ऐसी परम्परा चली है कि जितने भी पशु हैं, जिनसे कोई सहयोग मिलने वाला नहीं है, उन सब पशुओं को लोग सड़कों में छोड़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव ले करके

गौ सैंक्चुअरी बनाई। जितने भी गौ सदन खुले हैं, इन सब में सरकार की तरफ से पहले 500 रुपये देते थे, अब 700 रुपये का प्रावधान किया गया है। मैं यह समझता हूं कि किसी भी जीव के लिए पहली बार किसी सरकार ने, जिनसे न वोट मिलने , न नोट मिलने और न कोई स्पोंट मिलना, इसके लिए पहले किसी सरकार ने ऐसी कोई शुरूआत नहीं की है लेकिन हमारी सरकार ने ऐसी शुरूआत की है जो कि बहुत ही काबिले तारीफ बात है। मेरे से पहले माननीय सदस्य ने बहुत कुछ डिटेल में बता दिया है। कुछ बातें मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं। अभी हाल ही में मेरे चुनाव क्षेत्र में बर्फ 6 फिट तक गिर गई। जिसमें कुछ पशु बर्फ के बीच में फंस गए। कुछ लोगों ने वीडियो करके माननीय मंत्री महोदय को भेजी। माननीय मंत्री महोदय ने मुझे वह वीडियो भेजी। इन्होंने मुझे कहा कि आप इन पशुओं को जल्दी वहां से निकालें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जब वहां पर एनिमल हसबेंडरी और पुलिस वाले गए वहां पर कुछ पशुओं के कान काट कर जो उनमें चिप लगी थी उसको अलग कर दिया। वहां पर इतनी क्रूरता लोगों ने की और उनको डर लगा कि पुलिस वाले आ रहे हैं उन्होंने उनके आने से पहले ही उन पशुओं के कान काट दिए ताकि उस चिप को अलग किया जा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस धरती पर जुर्म रोकने के लिए कोई सख्त कानून बनाना पड़ेगा। इसलिए हमारे धर्म में है कि हम पशुओं की पूजा भी करते हैं।

श्री एस.एस. द्वारा जारी---------

10.03.2022/1455/SS-HK/1

श्री बलबीर सिंह वर्मा क्रमागत :

और उनकी बहुत सारी चीज़ों का दोहन भी करते हैं। फिर तो प्रदेश के अंदर ऐसा माहौल पैदा होगा कि जो पशु दूध देगा उसको घर में रखेंगे और जो दूध नहीं देगा उसको सड़क में छोड़ देंगे। एक ऐसा वातावरण बनेगा कि गवर्नमैंट वाले आएंगे और इसे ले जाएंगे। परन्तु जब तब इसमें सख्त कानून नहीं बनेगा और सजा का प्रावधान नहीं होगा तब तक सुधार नहीं होगा। जैसे माननीय सदस्य ने बोला, मंत्री महोदय आपके पास पंचायती राज महकमा भी है। हिमाचल प्रदेश में 8 हजार वार्ड मेम्बर्ज होंगे चाहे आप कुछ इंसैंटिव दें, अगर उनको

500-500 रुपया देते हैं वे पशुओं की गणना करें कि उनके वार्ड में कितने पशु हैं। उसकी आइडेंटीफिकेशन हो जैसे पंचायतों में हर परिवार के सदस्य की गणना होती है। उसी के साथ पशुओं की भी गणना हो कि बलबीर सिंह वर्मा जी के घर में कितने पशु हैं। ऐसा प्रावधान जब तक नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। उसके बाद उसमें फुलप्रूफ हो कि जो पशु को बाहर छोड़ता है उसके लिए कोई-न-कोई सजा का प्रावधान किया जाए। कई बार ऐसा होता है कि कोई गरीब किसान जिसके पास एक या दो बीघा जमीन है और उसमें मक्की, गेहूं या कोई भी अन्य सब्जी लगाई है तथा 50 पशु उसके खेत में जाकर उसके पूरे साल की फसल खत्म कर देते हैं। ऐसे बहुत से किसानों की फसलें तबाह हो जाती हैं। आवारा पशु तो जहां पर ग्रीनरी देखते हैं वहां पर ही जाते हैं। उसके बाद फिर किसान क्रूरता करते हैं कि उनको पीट-पीट कर कोई इधर से उधर भगाता है और उधर से इधर भगाता है। यह भी बीच में सिलसिला चला रहता है। अध्यक्ष महोदय, इसमें मंत्री महोदय ने एक बहुत बढ़िया इनीशियेट किया है। मंत्री महोदय बहुत दयालु हैं और जिस तरह से इन्होंने योजना बनाई है पूरे हिमाचल प्रदेश की इसकी सारे तारीफ कर रहे हैं। पशुओं की दुआएं माननीय मंत्री और मुख्य मंत्री जी को मिलेंगी। मैं समझता हूं कि अगर आपने इसमें 3-4 इनीशियेट कर लिए और 68 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए बजट का प्रोविजन करके इसे (गौसदन) बना दें। आउटसोर्स से 4-5 कर्मचारी उसमें रख लें। उसके लिए डबल प्रोविजन हो सकता है। बहुत लोग डोनेशन भी करना चाहते हैं।

10.03.2022/1455/SS-HK/2

आप उसके लिए भी प्रावधान करें कि अगर कोई भी डोनेशन करना चाहे तो उसके लिए अलग से अकाउंट खोलें। उसके लिए अलग से थोड़ा डिपार्टमैंट में प्रोविजन रखें। उसी पैसे का भी यूज कर सकते हैं। हर निर्वाचन क्षेत्र में आउटसोर्स से 4-5 कर्मचारी लगाएं और प्रॉपरली उसको मैनेज करें तो मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश में आवारा पशु बहुत कम होंगे। जैसे मंत्री महोदय ने कहा कि जितने भी शहरों के अंदर पशु हैं वे सारे प्लास्टिक खाते हैं और उसके बाद अचानक ही उनकी डैथ हो जाती है। उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं

है कि ओल्ड पशु है या नया है एकदम उनकी डैथ हो जाती है। विशेष प्रबंध करने से पशुओं की डैथ कम होगी। साथ-ही-साथ इसमें एक प्रावधान ज़रूर रखें कि जहां पर भी आप गौसदन खोलें, उसमें एक गड्ढा मैंडेटरी बनाएं ताकि जब पशु की डैथ हो तो उसमें उसे पैक करें और कोई फुलप्रूफ मैकेनिज्म डवलप करें उसमें कुछ मिलाकर उसे बंद करें जिससे बाहर स्मैल न फैले। पहाड़ी क्षेत्र में सब जगह पानी बहता है मृत पशुओं की वजह से पानी में बीमारी पैदा न हो जाए, इसके लिए मंत्री महोदय ज़रूर प्रोविजन करें।

अध्यक्ष महोदय, जो अभी 700 रुपया मुख्य मंत्री महोदय ने इस बजट में किया है। अब मेरे चुनाव क्षेत्र में इसी साल हमने पांच गौसदन खोले हैं उनको पांचों को ही पैसा नहीं मिल रहा है। इसमें कुछ लैंड को लेकर क्वैरीज हैं। मेरी आपसे विनती है कि जहां पर 30 पशुओं से ऊपर हैं वहां सब जगह आप तुरंत रिलीफ दे दें जिससे आने वाले समय में उनको फायदा हो। मेरे चुनाव क्षेत्र में 5 गौसदन हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में बड़ी मुश्किल से इससे नौजवान जुड़े हैं। बड़ी मुश्किल से सबसे इकट्ठा करके घास-पत्ती का इंतजाम करते हैं।

जारी श्रीमती के0एस0

10/03/2022/1500/केएस/एजी/1

वे बड़ी मुश्किल से सबसे घास-पत्ती वगैरह इकट्ठा करते हैं। चद्दरों का इंतज़ाम कुछ मैंने किया और कुल लोगों से कराकर उनके लिए शैड बनाएं। मेरे चुनाव क्षेत्र में 400 के करीब पशु पांच जगह इकट्ठा किए गए हैं। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि गुज्जर जो गर्मियों में ऊपर आते हैं, जब वे वापिस जाते हैं तब उनका अगर कोई लंगड़ा या बूढ़ा पशु होता है, उसको यहां छोड़ देते हैं। मेरा माननीय मंत्री महोदय से आग्रह रहेगा कि जब गुज्जर ऊपर के क्षेत्रों में आते हैं उस वक्त भी उनके पशुओं की प्रॉपर तरीके से काउंटिंग होनी चाहिए और जब वे वापिस जाएं फिर भी उनकी काउंटिंग हो नहीं तो जितने भी बूढ़े और लंगड़े पशु उनके पास होते हैं, वे सभी को छोड़ देते हैं जो कि बेसहारा पशुओं में मिल जाते हैं इसलिए इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस बारे में थोड़ा सख्ती करते हैं तो गुज्जर जो निचले क्षेत्रों से हमारे ऊपर के क्षेत्रों में आते हैं तो वापसी में भी वे अपने सारे पशुओं को अपने साथ ले जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, जो इसका गोबर आता है, इसकी केंचुओ खाद वगैरह के लिए आप सभी जगह अगर ऐसा प्रोविज़न कर दें, मैं अपनी बात कहता हूं, मैंने इस साल ढाई लाख रुपये का गोबर लिया है। 50 हजार गोअर्ज़ हैं, सभी गोबर खरीदकर लाते हैं। अधिकतर हमारे लोग हरियाणा और पंजाब से गोबर ला रहे हैं। मैंने भी दो-तीन गाड़ियां हरियाणा-पंजाब से लाई है। अगर यहीं पर इसका प्रावधान हो जाए और सरकार फिक्स कर दे कि दो या डेढ़ सौ रुपये बैग देंगे तो आपकी इन्कम भी हो जाएगी और लोगों को गोबर भी मिल जाएगा। जितने भी बागवना हैं, वे हर साल पौधों में गोबर डालते ही डालते हैं। उसमें हजारों गाड़ियां पंजाब से आती हैं तो मैं समझता हूं कि इससे भी रेवन्यू ही जनरेट होगा। आपको जो लोग उसमें लगे हैं, उनके लिए जैसे उनमें से बहुत सी गाय दूध देने वाली होती हैं, उसके लिए भी आप कोई प्रावधान ज़रूर करें। दूध को किसी न किसी तरीके से आप बाज़ार तक भेजने का प्रावधान करें। उससे भी आपकी इन्कम हो सकती है। अगर इन सारी चीजों को आप बारीकी से देखेंगे और जिस सेवा भाव से आपने यह काम शुरू किया है, मैं समझता हूं कि ईश्वर का आशीर्वाद और पशुओं की दुआएं आपको ज़रूर मिलेगी। आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश बेसहारा पशुओं से मुक्त हो, ऐसा जो आपने संकल्प लिया है, मैं समझता हूं कि आपका यह संकल्प अवश्य पूरा होगा। मैं आपको इसके लिए एडवांस में ही बधाई देता हूं कि आपने जो एक संकल्प है, बेसहारा पशुओं को इकट्ठा करके बेसहारा पशु मुक्त हिमाचल प्रदेश बनाना है, इसके लिए मैं आपको एडवांस में बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

10/03/2022/1500/केएस/एजी/2

अध्यक्षः अब इस चर्चा में माननीय सदस्या श्रीमती आशा कुमारी भाग लेंगी।

श्रीमती आशा कुमारी (डलहौजी): अध्यक्ष महोदय, नियम 101 के तहत माननीय सदस्य श्री रमेश चंद ध्वाला जी और श्री बलबीर सिंह वर्मा जी ने जो संकल्प लाया, आपने इसको इकट्ठा कर दिया, अच्छा किया क्योंकि दोनों ही मिलते-जुलते टॉपिक हैं और मंत्री भी एक हैं। अध्यक्ष महोदय, एक्चुअली यह एक बहुत गम्भीर समस्या हो गई है। हम इनको आवारा पशु बोलते हैं, आदतन ऐसा हो गया है। बेसिकली आवारा नहीं ये लावारिस पशु हैं। आवारा शब्द गौवंश के लिए इस्तेमाल करना मैं नहीं समझती कि उचित है। जो लोग पशुओं को

लावारिस छोड़ देते हैं, इसमें जो पहला हिस्सा है, जो ध्वाला जी का था कि प्लास्टि को खा करके जो नुकसान पहुंचता है यह हिमाचल प्रदेश के लिए, हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण के लिए और हिमाचल प्रदेश के लावारिस पशुओं के लिए एक अभिशाप है। अगर आप देखें, ज्यादातर शहरों के आसपास वैसे तो सोलिड बेस्ड मैनेजमैंट की हम बात करते हैं और मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करुंगी कि इस मामले में आप शहरी विकास मंत्री से भी, क्योंकि पंचायती राज आपके पास है तो पंचायतों के लिए तो नीतियां आप बना सकते हैं मगर सबसे ज्यादा गंद शहरों में है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

10.3.2022/1505/av/ag/1

श्रीमती आशा कुमारी-------जारी

और शहरों में भी टूरिस्ट्स प्लेसिज या उनके आस-पास सबसे अधिक है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में प्लास्टिक बैन्ड है। लेकिन जब हम अपनी सड़कों के किनारे कूड़ा देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि यहां पर प्लास्टिक बैन्ड है। सड़क के किनारे जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे होते हैं और विशेषकर नालों में जहां थोड़ी-सी गहरी जगह दिखेगी वहां पर टूरिस्ट चिप्स या दूसरा कूड़ा फेंक देते हैं। आजकल वैसे भी सारी खाने-पीने की चीजें प्लास्टिक में ही पैक होकर आती हैं और उसमें से निकलने वाला सारा कूड़ा बायो-डीग्रेडेबल नहीं होता। टूरिस्ट सारा कूड़ा डम्प्स में डाल देते हैं। आपके जगह-जगह डम्प्स लगे हैं और अब तो ग्रामीण इलाकों में भी आपने नीले और हरे कलर के डस्टबिन्स दे रखे हैं। वे डस्टबिन्स जब ओवरफ्लो होते हैं तो सारा कूड़ा बाहर गिरना शुरू हो जाता है। उन डस्टबिन्स से खाने की चीजों की वजह से जब खुशबू या बदबू आती है तो पशु उसमें मुंह डालते हैं और उसको खाने का प्रयास करते हैं। फिर उसको खाते-खाते पशु साथ में प्लास्टिक भी खा जाते हैं। मंत्री जी, आपके पास वेटरनरी विभाग भी है और आप जानते हैं कि प्लास्टिक खाने से उनके पेट के अंदर बड़ी-बड़ी रसौलियां बन जाती हैं। हमारे कई

गौवंश के ऐसे केसिज आएं जहां उनकी प्लास्टिक खाने की वजह से मृत्यु हो गईं। इसलिए इसका मुख्य कारण सफाई है। यदि लोग सड़कों पर कूड़ा इत्यादि नहीं फेंकेगें और सफाई होगी तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं होगी। मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारा सफाई के प्रति अवेयरनैस कैंपेन कमजोर है। हमें इसके लिए कोई कानून लाना चाहिए हालांकि इसके लिए कानून है कि यदि कोई गंद फेंकता हुआ नज़र आए तो उसको फाइन होगा। हिन्दुस्तान में जो लोग कुछ खाकर सड़क के किनारे कूड़ा फेंकते हैं वही लोग सिंगापुर में कोई चीज़ खाने के बाद उससे निकलने वाले कचरे को अपनी जेब में डालकर घर ले जाते हैं या कहीं सड़क के किनारे लगे डस्टबिन का इस्तेमाल करते हैं। वहां फाइन का प्रावधान है तो लोगों को उसका डर है। यहां लोग बिना डर या सिविक सैंस के बगैर ऐसा नहीं करना चाहते और उसका सीधा असर हमारे पर्यावरण पर पड़ता है। लेकिन पशु को

10.3.2022/1505/av/ag/2

यह कौन समझा सकता है कि कूड़े में से यह चीज़ खा लो और दूसरी को छोड़ दो। यह आपको देखना पड़ेगा क्योंकि सबसे ज्यादा गंद शहरों या टूरिस्ट्स प्लेसिज के पास होता है। कभी-कभी तो यह देखकर दु:ख लगता है कि सफाई हो भी रही है या नहीं हो रही है। आपके यहां चाहे छोटी नगर परिषद् हों या नगर पालिका हों; मेरा यह कहना है कि बहुत ज्यादा सोलिड बेस्ड मेनेजमैंट प्लांट लगाने की जरूरत है। मैं यहां पर एक उदाहरण देना चाहूंगी कि डलहौजी शहर और डलहौजी केंटोनमैंट एरिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आप जैसे ही डलहौजी को जाते हैं केंटोनमैंट एरिया शुरू हो जाता है। डलहौजी शहर के अंदर आपको सारा गंद नज़र आएगा। परंतु जैसे ही आप केंटोनमैंट एरिया में एंटर करते हैं आपको वहां एक भी कागज या लिफाफा सड़क पर पड़ा हुआ नज़र नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने अपना सोलिड बेस्ड मेनेजमैंट प्लांट लगा रखा है। उनके पास गाड़ियां और जवान हैं, वे प्रतिदिन सारा कूड़ा उठाते हैं। वे न केवल आर्मी वालों से बल्कि वहां पर जो रेजिडेंशियल सिविलीयन भी हैं; उनसे भी कूड़ा कॉलैक्ट करते हैं और सीधे उसको सोलिड बेस्ड मेनेजमैंट प्लांट में ले जाते हैं। उनकी कूड़ा ले जाने वाली गाड़ियां कवर्ड होती हैं।

मगर हमारी एम0सी0 की गाड़ियां कूड़ा भरती हैं और रास्ते में चलते हुए उनसे कूड़ा गिरता रहता है। मेरा यह कहना है कि इसकी प्रोपर मेनेजमैंट करना बहुत जरूरी है। यहां पर गौसदनों को लेकर बात कही गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से दोबारा कहना चाहूंगी कि जब हम चम्बा जाते हैं तो रास्ते में बाबा जोगिन्द्रनाथ जी ने एक गौसदन बनाया हुआ है। हांलाकि उन्होंने वहां पर इनक्रोचमैंट कर रखी है मगर हम सब उनको प्रोत्साहन देते हैं क्योंकि जो काम हम नहीं कर पा रहे हैं, वह काम वह बाबा जी कर रहे हैं। उन्होंने नैशनल हाईवे के किनारे इनक्रोचमैंट करके गौसदन बनाकर उसमें गौवंश को रखा हुआ है।

टी सी द्वारा जारी

10/03/2022/1510/टी0सी0वी0/ए0एस0/1
श्रीमती आशा कुमारी ... जारी

बहुत-सारी ऐसी गायें जिनको लोग इस वजह से छोड़ जाते हैं कि उन्होंने दूध देना छोड़ दिया है, वह वहां पर बाबा जी के प्यार और रखरखाव से दूध देना शुरू कर देती है। पशुओं को अगर प्यार मिले तो बहुत-सारे पशु वापिस दुधारू हो जाते है। वे उसके गोबर का भी कुछ-न-कुछ करते है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इन बाबा जी को कहीं-न-कहीं जमीन जरूर अलॉट कर दें ताकि वे उन पशुओं की देखभाल कर सकें। एक गौसदन आप मंजीर स्थान पर बनाने जा रहे हैं। उसकी फॉरेस्ट क्लीयरेंस नहीं हुई थी, शायद अब हो गई होगी। मेरा आपसे एक और निवेदन रहेगा। आपने इन पशुओं की खुराक को 500 रुपये से 700 रुपये बढ़ाया है। प्रदेश में जितने भी गौसदन है जैसे मैने बताया बाबा जोगिन्द्रनाथ जी, वे श्री जरयाल जी या मुझसे भी मदद ले लेते हैं और हम सब वहां पर दान देते हैं। सरकार ने प्रति पशु 500 रुपये रखा था और अब 700 रुपये कर दिया है। इन गौसदन में जाकर जब मैंने लोगों को पूछा कि आपका वास्तव में कितना खर्च आता है तो उन्होंने कहा कि यदि हमें 50 रुपये प्रतिदिन का मिल जाए तो हम बहुत अच्छे से इन गायों की देखभाल कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि आप इस राशि को 1500 रुपये कर दे और दूसरा इन लोगों को गोबर या दूध के उत्पादन के बारे में भी

ट्रेनिंग दी जाए। अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं आपसे पुनः निवेदन करुंगी कि शहरी विकास मंत्री के साथ बैठकर कोई स्कीम बनाई जाए और जो लोग सड़कों पर प्लास्टिक फेंकते हैं या गंदगी डालते हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। पशुओं को पता नहीं चलता है कि उनको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। अध्यक्ष महोदय, इस उम्मीद के साथ कि मंत्री जी इन बातों का समर्थन करेंगे, मैं इस दोनों प्रस्तावों का समर्थन करती हूं।

10/03/2022/1510/टी0सी0वी0/ए0एस0/2

अध्यक्ष : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य, श्री राकेश सिंघा जी भाग लेंगे।

श्री राकेश सिंघा, ठियोग : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री रमेश ध्वाला जी ने इस सदन में जो संकल्प पेश किया है और जिस ज़ज्बे और समझ के साथ पेश किया है, मैं निश्चित रूप से इसका समर्थन करता हूं। इसके बारे में इस माननीय सदन में श्रीमती आशा कुमारी और अन्य माननीय सदस्यों ने जो बातें कही, उसके अलावा मैं कुछ और बातें कहना चाहता हूं। यह बात सही है कि स्ट्रे कैटल की संख्या पिछले सालों में बढ़ी है। यह भी सही है कि 6000 से 20000 पशुओं को हमने गौसदन उपलब्ध करवाया है। ये सरकारी के आंकड़े हैं। ये कितने सही है, कितने नहीं है, मैं इस पर विवाद नहीं करना चाहता हूं। मैं आपके दिए हुए आंकड़ों पर शंका जाहिर नहीं करता हूं। लेकिन आपके आंकड़ों पर । have lot of difference in my figure लेकिन जब आप इनको पेश करते हैं तो You do a thorough enquiry whether it is correct or not. बाकी आप भी चैक करने के लिए नहीं गए होंगे कि किस गौशाला में कितने पशु हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक स्टैप पहले का इस सदन में रखना चाहता हूं। यह जो संकल्प लाया है, मैं इससे सहमत हूं लेकिन मेरा कंसर्न है कि उस आवारा को भी बचाया जा सकता है अगर हम सही किस्म के कदम उठाएं।

एन0एस0 द्वारा जारी ....

10-03-2022/1515/NS/AS/1

श्री राकेश सिंघा ..... जारी

उन बातों पर कोई मतभेद नहीं है जो ऑरेडी सदन में आईं। इस बात पर दो राय नहीं होनी चाहिए। वर्ष 2021-22 का इकनोमिक सर्वे इस सदन में पेश किया गया तो इससे बहुत सारी चिंताएं बढ़ती हैं जब हम ओवरऑल ग्रोथ प्राइमरी सैक्टर की देखते हैं जिसमें पशु पालन, अलाइड सबजैक्ट, माइनिंग भी आता है। इसमें नेगेटिव नेगेटिव को मिला करके -8.6 दिखाया गया है। मैं आपको बधाई देता हूं लेकिन जब लाइव स्टॉक को अलग से देखते हैं तो वह पोजिटिव है। दूध की ही प्रोडक्शन एक विपरीत परिस्थिति में ओवरऑल रियल टर्म में प्रोडक्शन का इनकरीज़ 5.6 प्रतिशत हुआ है, मुझे एग्जैक्ट फिगरज चैक करने पड़ेंगे लेकिन 5.6 per cent increase in terms of percentage. बाकी सारे नीचे गए हैं। मछली का थोड़ा ऊपर गया है। इसका मतलब है हिमाचल प्रदेश में एनिमल हस्बैंडरी का एक्सपेंशन हमारी अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। यह शायद हम बहुत बारीकी से नहीं देख रहे हैं। हमारे सामने जो डाटा आ रहा है उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। इसलिए जब इसकी गहराई में जाते हैं असल में आवारा या स्ट्रे कैटल इसलिए नहीं हो रहा है कि लोगों की मानसिकता बदल गई है। Economic necessities or Economic compulsions जों हैं वे किसान को इन्हें अपनी गौशाला, घर, बाग-बगीचे और फार्म लैंड से बाहर छोड़ने में मजबूर कर रही हैं। आप यह ख्याल रखना कि इससे किसान खुश नहीं होता है। जिस दिन वह अपने पशु को छोड़ देता है मेरे से आप लिख कर ले लो उस दिन उसका चूल्हा नहीं जलता है और न ही वह रोटी खाता है। वह बहुत दुःख के साथ उस जानवर को छोड़ता है और छोटे बच्चे रो जाते हैं। । have seen it. हमारे बच्चों को उन जानवरों से इतना प्यार होता है जिनके साथ वे खेलते हैं। विशेष तौर पर बछड़े और बछड़ियों से जिस दिन ये पैदा होते हैं तथा इनको बड़ा होते देखते हैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार है। लेकिन out of compulsion वह अपनी गौशाला, बाग-बगीचे से उसको बाहर छोड़ता है। आपको इसका अध्ययन करना है कि वह क्यों मजबूर हो रहा है? जब तक इस बात में नहीं जाएंगे तब तक गौशालाएं और काउ सेंक्चुअरि जितनी मर्जी बनाते रहो और हम एक्चुअल में बेसिक प्रॉब्लम को डील नहीं कर रहे हैं तथा तब हम उसको वहां पर कर रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि जो ये कारण बन रहे हैं आप पहले उनको ठीक करें। मेरा मानना है कि आपने इन गौसदनों और काउ सेंक्चुअरिज में लगभग 20 करोड़ रुपये लगा दिए होंगे या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। सुन्नी वाले गौसदन में लगभग 8 करोड़ रुपये लग गए होंगे। ...व्यवधान...

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

श्री राकेश सिंघा... जारी

...व्यवधान... माननीय मंत्री जी आपने मुझे कोरैक्ट प्वाइंट आउट किया। मुझे इस चर्चा में आपके साथ विवाद नहीं खड़ा करना है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि आपको दो-तीन क्षेत्रों में फोक्स कर इसे सुधारने की आवश्यकता है। वे कौन सी कमियां हैं जिनके चलते किसान पशुओं को सड़कों में छोड़ने के लिए मजबूर हो रहा है? एक है पशुपालन नीति। आप हर चीज में अपना विचार डालना चाहते हैं। इस पशुपालन नीति में भी आप अपने विचार डाल रहे हैं। आप हर चीज़ को वैचारिक मत बनाइए। जो आपने एक नया कंसैप्ट लाया है उससे भी मैं बहुत आहत हूं। इस कंसैप्ट से कई बार मेरे मुन में गुस्सा पैदा होता है। समाज हमेशा आगे की ओर बढ़ता है लेकिन आप हमें 16वीं शताब्दी की ओर धकेल रहे हैं। आप राम राज्य की परिभाषा देकर हमें पीछे घसीटना चाहते हैं। मैं एक आधुनिक हिमाचल बनाना चाहता हूं। मैं ऐसा हिमाचल बनाना चाहता हूं जहां विज्ञान के नियम के आधार पर कार्य हो। आप जानते हैं कि पहले मानव बंदर था, फिर हम बंदर से इंसान बने। आगे पैदा होने वाला इंसान शायद और बेहतर इंसान होगा। समाज पीछे की ओर नहीं जाना चाहिए, समाज आगे बढ़ना चाहिए। पानी हमेशा आगे को बहता है पीछे को नहीं । हमने डॉ.यशवन्त सिंह परमार जी के समय में जर्सी नस्ल इंटरोड्यूस की थी। मैं यह नहीं कहता कि कांगड़ा, ऊना और धर्मपुर में क्या हो रहा है? लेकिन मेरे क्षेत्र में पालमपुर प्रजनन केंद्र से जो क्रोस ब्रीड किया गया है उसके अच्छे परिणाम आए हैं। जो हमारे वातावरण की अनुकूलन क्षमता है उसमें बेहतर परिणाम आए हैं। लेकिन आपने जो नये आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन लाए हैं वे सफल नहीं हो रहे हैं। मैंने आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन के बारे में आपके डायरैक्टर और डॉक्टर्ज से भी बात की कि आपने आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन इजैंक्ट कर पशुओं का क्या हाल कर दिया? मैं प्रक्टिकली बोल रहा हूं और सत्य प्रैक्टिकल से ही निकलता है। एक प्रेक्टिकल है और दूसरी थ्योरी। जहां थ्योरी चल सकती है वहां आप वैसा काम करो लेकिन पहाड़ में जो डॉ. परमार के समय में क्रॉस ब्रीड करके हाइब्रीड नस्ल पैदा की गई थी उसके सही परिणाम आए हैं। आप हर चीज में अपने विचार डालेंगे तो इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आप अपने विचार को अलग रखकर दुनिया को आधुनिक तरीके से देखने की कोशिश कीजिए। हमें तुजुर्बे से जरूर सीखना चाहिए। सतलुज बेसिन क्षेत्र में दूध की

पैदावार काफी बढ़ी है। आज रामपुर, कोटगढ़, आनी, निरमंड और करसोग के क्षेत्रों से सबसे ज्यादा दूध कॉलैक्ट किया जा रहा है। **श्री बी.एस. द्वारा... जारी**

10.02.2022/1525/बी.एस./डी0सी0/-1

श्री राकेश सिंघा जारी...

Inspite of, आप एक-एक पशु औषधालय देख लीजिए, मेरे पास पूरी लिस्ट है, यहां पर अगर में पढ़ने लग जाऊं तो आप शर्मिंदा हो जाओगे और मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें।

श्री राकेश सिंघा : अध्यक्ष महोदय, केवल दो मिनट और लूंगा, आदरणीय महेन्द्र सिंह जी मैं तो अनेक तरीके अख्तियार करता हूं और वे कामयाब भी हुए हैं। जब मैं विधायक नहीं था और जब भी मैंने इन्हें इस्तेमाल किया है, उसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। क्योंकि हिन्दी भाषा में कहावत है कि 'लातों के भूत बातों से नहीं मानते'। It is reality. I don't know how the Governments function नहीं तो एक मंत्री का कहना, एक विधायक का कहना वह तब तक नहीं मानते जब तक चार नारे नहीं लग जाते और धरने न दिए जाएं। मुझे तो मंत्री महोदय कहते हैं कि आप तो एकदम धरने पर बैठ जाते हो, क्यों, क्या मैं जानबूझ कर ऐसा करता हूं? मैं अंतिम विकल्प पर धरने पर बैठता हूं। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, आपने प्रश्न के उत्तर में भी सूचना पूरी नहीं दी है वह भी छुपा करके रखी है।

जल शक्ति मंत्री : आदरणीय सिंघा जी आपके क्षेत्र के लिए हमने 160 करोड़ रुपए की स्कीम दी है।

श्री राकेश सिंघा : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, मैं 160 सोते-जागते याद करता हूं और आगे भी याद करता रहूंगा। जो मेरे से पहले बहुत ही सम्मानीय विधायिका आदरणीय विद्या स्टोक्स जी थीं, मैं उन्हें भी सलाम करना चाहता हूं। वर्ष 2014 में नाबार्ड का पैसा 60-65 करोड़ था and out of that उस स्कीम के लिए 32 करोड़ रुपया दिया गया था। जब मैं आया तो मेरे पास एक नया पैसा नहीं था। Not even a single penny in NABARD.One Officer asked me, उन्होंने मेरे से पूछा कि आप बिना पैसे से कैसे काम करोगे? मैंने कहा कि मैं बिना पैसे से भी कर लेता हूं। मैं लोगों के दुःख-तकलीफ में उनके पास जाता हूं और मैं सब कर लूंगा। That was the reality. आप बताएं कि किसी भी विधायक ने नाबार्ड में

एक स्कीम नहीं डाली होगी it was only Smt. Vidya Stokes और कोई नहीं है। आप इसे चैक कर सकते हैं। आदरणीय ध्वाला जी ने जो संकल्प यहां पर लाया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और जोरदार समर्थन करता हूं। जो संकल्प यहां पर आया है, उसे ये वापिस करने के लिए नहीं लाए हैं, सरकार अवश्य इस पर कोई नीति बनाए और इसे आज सदन में परित करें। आपने मुझे बोलने मौका दिया है आपका धन्यवाद॥ *एन0 जी0 द्वारा जारी...*

10-03-2022/1530/एच.के.-एन.जी. /1

श्री राकेश सिंघा के पश्चात.....

अध्यक्ष : अब इस चर्चा में माननीय सदस्या श्रीमती कमलेश कुमारी जी भाग लेंगी।

श्रीमती कमलेश कुमारी (भोरंज) : अध्यक्ष महोदय, नियम-101 के तहत माननीय सदस्य श्री रमेश चंद ध्वाला जी व श्री बलबीर सिंह वर्मा जी संकल्प लेकर आए हैं और मैं भी इसमें बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। आपने मुझे समय दिया इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूं। हम सब कहते हैं कि 'गाय हमारी माता है'। हम सब गाय की पूजा करते हैं। जब हम लोग भागवत करते हैं तो उसमें भी कहते हैं कि 'गाय माता की जय'। आज समय ऐसा आ गया है कि उस गाय माता की बहुत दुर्दशा हो गई है। आज गाय माता को एक तरफ से डंडा मारा जा रहा है तो वह दूसरी ओर भागती है और जब दूसरी ओर से डंडा मारा जा रहा है तो वह पहली तरफ भागती है। ऐसा नहीं है कि इन बेसहारा पशुओं से केवल किसान परेशान हैं बल्की ये बेसहारा पशु स्वयं भी परेशान हैं।

अभी माननीय सदस्य श्री रमेश चंद ध्वाला जी ने कहा कि ऐसी भी गाय हैं जिनकी आंखें फूट गई थीं। मैंने भी स्वयं देखा है कि बहुत सारी गाय माताएं ऐसी हैं जिनकी डंडे से आंखें फोड़ दी गई, किसी कि टांगें तोड़ दी गई, किसी के सींग तोड़ दिए गए और किसी के कान काट दिए गए। आज हम सब के लिए यह चिंता का विषय है। मैं माननीय सदस्य श्री रमेश चंद ध्वाला जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि वे इतना महत्वपूर्ण संकल्प इस माननीय सदन में लेकर आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बेसहारा पशुओं की समस्या पिछले

10-15 सालों से बहुत अधिक हो गई है। उससे पहले इस प्रकार की समस्या न के बराबर थी। मेरा मानना है कि हमारे स्वार्थ के कारण ही आज बेसहारा पशु सड़कों पर हैं। अभी माननीय सदस्यों ने यहां पर कहा कि पशुपालकों द्वारा अधिकतर उन गायों का परित्याग कर दिया गया जिन्होंने दुग्ध देना बंद कर दिया था।

10-03-2022/1530/एच.के.-एन.जी. /2

जब तक गाय दुग्ध देती है तब तक हमारी है और जब गाय दुग्ध देना बंद कर देती है तब गाय सरकारी है। इसी प्रकार कृषि के आधुनिक यंत्र आने के कारण बैलों को बोझ समझा जाने लगा और उन्हें भी सड़कों पर छोड़ दिया गया। इन मशीनरियों के कारण बैलों की कीमत और उनका मान-सम्मान खतम हो गया है। इन्हें बेसहारा छोड़ देने के कारण किसान भी दुखी हैं।

अध्यक्ष महोदय, यदि कोई समस्या होती है तो उसका समाधान भी होता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी और इनकी सरकार का धन्यवाद करती हूं क्योंकि इन्होंने इस समस्या के समाधान पर विचार किया। इस सरकार ने बेसहारा पशुधन के संरक्षण के लिए गौसेवा आयोग का गठन किया। किसानों की फसलों को बचाने के लिए गाय व बैलों को गौसदनों व गौ-अभयारण्यों में भेजने की पहल की। कुछ क्षेत्रों से बेसहारा गाय व बैलों को गौसदनों व गौ-अभयारण्यों में भेजा गया लेकिन अभी तक अधिकतर गाय माता व बैल इनमें नहीं पहुंचें हैं। मैंने माननीय मंत्री जी से पहले बात की थी कि मेरा भोरंज विधान सभा क्षेत्र दो-तीन विधान सभा क्षेत्रों का केन्द्र है। उसमें हमारा जाहु का क्षेत्र, सुलहांग का क्षेत्र, भरेड़ी का क्षेत्र, भुक्कड़ का क्षेत्र, चंदरोई का क्षेत्र, अमरोह का क्षेत्र, पट्टा का क्षेत्र, कंज्याण का क्षेत्र, चंबोह का क्षेत्र और ऐसे बहुत सारे जितने भी खड्डें-नाले हैं, अगर मैं उनकी बात करूं

श्री जे.एस. द्वारा जारी.....

श्रीमती कमलेश कुमारीः-----जारी---

तो मुझे कहते हुए दुख होता है कि हजारों के हिसाब से अभी भी गाय और बैलों की संख्या यहां पर भारी संख्या में हैं। मैं पिछले दिनों की बात करूं तो कुछ बैल खुंखार हो गए थे और मुझे बहुत सारे गांवों से फोन आ रहे थे कि पशुपालन विभाग से बात की जाए कि उन बैलों को पकड़ा जाए। इसके लिए मैं सरकार का और विभाग का धन्यवाद करना चाहती हूं कि जो वे दो-तीन बैल खुंखार थे, उनको पकड़ा और गौ सदन या जहां पर सेंक्चुअरी थी, वहां पहुंचाया। वहां इससे एक दहशत बनी हुई थी। अगर मैं अपने भोरंज क्षेत्र की ही बात करूं तो दो सदस्य हमारे परिवार से ही थे, इन आवारा पशुओं की वज़ह से जिनकी मृत्यु हो गई। बेसहारा पशुओं की वजह से हमारी फसलें पूर्णतः समाप्त हो गई हैं। इनसे लोग बहुत ही परेशान हैं। मैं माननीय सदन में यह कहना चाहूंगी कि हमें तीन चीजों का ध्यान देना होगा, गऊ माता, धरती माता और माता। गऊ माता का अगर संरक्षण होगा तो मुझे लगता है कि हमारी धरती माता भी पोषित होगी। यहां पर हम ऑर्गेनिक खेती की बात करते हैं। मुझे सिक्किम जाने का मौका मिला। हमने वहां पर देखा कि जिस तरह से हम हार्ड प्लास्टिक की बात करते हैं वहां कहीं पर भी एक टॉफी का रैपर तक हमें दिखाई नहीं दिया। अगर हम उसके बाद ऑर्गेनिक खेती की बात करें तो वहां पर जितनी भी खाने की चीजें थीं, वे सारी-की-सारी ऑर्गेनिक थीं। अगर हम गऊ माता को बचाएंगे तो हम धरती माता को भी बचाएंगे। क्योंकि उसके गोबर से, गौंतर से और विभाग जगह-जगह प्रशिक्षण भी दे रहा है कि गाय के गौंतर से छिड़काव करके अपनी फसलों व धरती को कैसे बचाया जाना है। यदि उससे हमारी धरती माता बचेगी तो हमारी माता भी बचेगी। जो हमारी आने वाली संतानें हैं, वे स्वस्थ होंगी। आज हम कुपोषण की बात करते हैं, एनीमिया की बात करते हैं और पीलिया की बात करते हैं क्योंकि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, वह बच्चा पीलिया का शिकार हो जाता है। मैं यहां पर इतना ही कहना चाहूंगी कि हमें इन तीन चीजों के ऊपर भी ध्यान देना होगा। हमें इनको बचाना होगा। इसके ऊपर हमारी सरकार काम

10.03.2022/1535/JS/AS/2

भी कर रही है। यहां पर ऑर्गेनिक खेती की बात भी कर रही है। इसी के साथ मैं इस माननीय सदन में माननीय मंत्री महोदय से भी आग्रह करना चाहूंगी कि जो मेरे भोरंज विधान सभा क्षेत्र की समस्या है, जो बेसहारा पशुओं की समस्या है, उससे निज़ात दिलाने के लिए इन पशुओं को गऊ सेंक्चुअरी में भेजा जाए। मैंने जमीन की बात की थी कि जो जाहू में जमीन है, वह केवल 10 कनाल तक जमीन है। उससे ज्यादा हमारे पास जमीन नहीं है। उसके लिए मंत्री जी विभाग से सर्वे करवा सकते हैं, जहां-कहीं भी लगता हो कि जमीन है लेकिन हमारे पास इस वक्त इतनी ही जमीन है और कहीं पर नहीं है। जो हमारे पास जमीन है, उसको मैंने आपको दिखाया था। मैं माननीय सदन के माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। इनके रख-रखाव एवं संरक्षण के लिए बजट का भी प्रावधान किया जाए ताकि गौ सेंक्चुअरी में पर्याप्त मात्रा में घास व पानी उपलब्ध हो सके। इसी के साथ मैं सरकार का भी धन्यवाद करना चाहती हूं कि जो 500 से 700 रुपये राशि बढ़ाई गई है, यह भी सराहनीय निर्णय है और इसका भी मैं स्वागत करती हूं।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-----

10.03.2022/1540/SS-YK/1

श्रीमती कमलेश कुमारी क्रमागत :

और ये जो भोरंज की समस्या है इसके लिए मैं आपसे निवेदन करती हूं कि इसके लिए कोई नीति बनाएं।

सभापति महोदय, इसी के साथ आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जयहिन्द।

10.03.2022/1540/SS-YK/2

कर्नल इन्द्र सिंह, सभापति : अब माननीय सदस्य श्री राम लाल ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री राम लाल ठाकुर (श्री नैना देवीजी) : सभापति महोदय, जो रमेश ध्वाला जी ने यहां पर संकल्प रखा है वह महत्वपूर्ण है। इनका और बलबीर सिंह जी का अलग-अलग संकल्प था लेकिन अध्यक्ष महोदय ने उनको इकट्ठा किया। उसके ऊपर हो रही चर्चा में हिस्सा लेने के लिए मैं भी खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, ऐसा लगता है कि जो पिछला संकल्प था वह रमेश ध्वाला जी का था और अभी हमारे दोनों संकल्पों को एक बनाया गया तथा उसका हैड गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य दिवस है। यह संकल्प इतना महत्वपूर्ण है कि जो गैर-सरकारी सदस्यों को काम करना था उसको आप सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण समझकर चर्चा के लिए लाए। उसमें हम लोगों को भी हिस्सा लेने का मौका मिला।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि पीछे जो हमारे संकल्प लगे थे उसमें आशा कुमारी जी का भी संकल्प शामिल था लेकिन क्योंकि उसके लिए समय नहीं बचा था इसलिए वह नहीं लग पाया। आज नए-नए संकल्प यहां पर आए हैं। अच्छी बात यह है कि जो गैर-सरकारी सदस्यों को काम करना था वह सरकार की तरफ से विधायक लेकर आए हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए उसमें हिस्सा लेने के लिए मुझे आपने समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय, जो पशु प्लास्टिक खाते हैं उसमें ज्यादातर सड़कों के ऊपर या शहरों में बैल घूमते हैं वे ही प्लास्टिक खाते हैं। प्लास्टिक से उनके पेट में रसोली बनती है। फिर उसके बाद कई दिनों तक वे सड़कों पर घूमते हैं। रात को 12.00-12.00 बजे तक वे रोते हैं क्योंकि उनको दर्द होती है। फिर उनकी मौत हो जाती है। सभापति महोदय, मेरे बिलासपुर

में कंदरौर के पास एक लड़कों का समूह है वह कई सालों से इस काम में लगा है। अगर मान लो कहीं शहर के अंदर या और जगह पर गाय या बैल कहीं नाले में फंसे हैं और बाहर नहीं निकल सकते तो उनका

10.03.2022/1540/SS-YK/3

एक ग्रुप आता है जो उनको बाहर निकालता है। अगर किसी पशु की टांग टूटी है तो पशुपालन विभाग के डॉक्टर को बुलाकर उनका इलाज करवाते हैं। उन्होंने कंदरौर के पास एक जगह रखी है जहां पर उन पशुओं को ले जाया जाता है और वहां पर उनका इलाज करवाते हैं। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि उसी कड़ी में बिलासपुर में एक गाय थी जिसके पेट में पॉलीथीन बैग किलो के हिसाब से था। वह सड़क के किनारे पर लम्बी पड़ गई। वे उसको उठाकर ले गए और ऑपरेशन करवाया तो गाय के पेट से 20-25 किलो रसोली के तौर पर प्लास्टिक निकली। अब यह जो प्लास्टिक का धंधा है यह इतना खराब है कि उससे बहुत सारी गाय तबाह हो रही हैं। शहरों में भी कइयों ने अपनी गउएं रखी हैं। गांवों में भी गउएं रखी हैं लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर सबसे अच्छा कहीं पर काम हुआ है तो हमारी कामधेनु संस्था जो है उसने शायद सोलन जिला में और यहां तक कि मंडी जिला में तथा बिलासपुर जिला में भी ऐसा काम कर रखा है

जारी श्रीमती के0एस0

10/03/2022/1545/केएस/वाईके/1

श्री राम लाल ठाकुर जारी---

कि उन्होंने महिलाओं को उस काम में लगाया। महिलाएं अब और काम नहीं करती। मायके भी नहीं जाती। अगर मायके चली जाएगी तो गाय दूध नहीं देगी। वे रोज़ कामधेनु संस्था में जा करके, दूध की पैकिंग करवा कर, बहुत जगह जा कर, सैंटर की तरफ से जो सहायता मिलती है, उन्होंने वह भी ली है लेकिन हिमाचल प्रदेश में एक अच्छी किस्म का काम कामधेनु संस्था ने मेरी अपनी पंचायत के अंदर और बिलासपुर जिला के अंदर किया है।

हम लोगों को इस ओर भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरा पशु पालन विभाग के सचिव, डायरैक्टर और बाकी लोगों से भी निवेदन है, हम कहते तो है कि कामधेनु संस्था बड़ा अच्छा काम कर रही है लेकिन पायलट प्रोजैक्ट समझकर, महिलाओं के जो इस प्रकार के समूह हैं, जो रजिस्ट्रेशन उन्होंने करवा रखी है, जो ग्रुप्स उन्होंने बना रखे हैं, उसी तरह के ग्रुप्स हिमाचल प्रदेश में और जगह भी बने ताकि हमारी महिलाओं की उससे इन्कम बढ़े और दूध भी पैदा हो।

सभापति महोदय, हम जैविक खेती की बात करते हैं, जैविक खेती तब होगी अगर आपके घर में पशु होंगे। अगर बैल, गाय व भैंस होगी तो हमारे घरों में गोबर भी आएगा, गौमूत्र भी आएगा और खाद भी होगी तो जैविक खेती का स्वप्न तो हम तभी ले सकते हैं। महेन्द्र सिंह ठाकुर जी से भी मेरा एक निवेदन है, आप वरिष्ठ मंत्री हैं, आजकल एग्रीकल्चर विभाग के माध्यम से लोगों को पावर टिल्लर दिए जाते हैं। यह भी ठीक है क्योंकि यह कार्यक्रम सरकार ने चलाया है। जो हमारे गांव में छोटे-छोटे खेत हैं, उनको जोतने के लिए पहले हमारे पहाड़ी बैल होते थे। वह नस्ल मण्डी में भी होती थी, पालमपुर में भी होती थी। सुन्दरनगर और मण्डी में ऐसे पशुओं का काफी व्यापार होता था। मैं यह कहना चाहूंगा कि जो पावर टिल्लर दिए जा रहे हैं, बैलों को सड़क में छोड़ने का एक कारण यह भी है। आप डिज़ल डालो, पैट्रोल डालो और छोटे-छोटे खेतों में वह

10/03/2022/1545/केएस/वाईके/2

पावर टिल्लर चल पड़ता है। दो आदमी उसको उठाकर खेत में ले जा सकते हैं। उससे हमारी गऊ माता और बैलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ठाकुर महेन्द्र सिंह जी से मेरा निवेदन है कि पावर टिल्लर जब हम देते हैं तो कृषि मंत्री और कृषि विभाग के अधिकारी यह भी देखें कि जो पावर टिल्लर लेगा उसको अंडर टेकिंग देनी पड़ेगी। पहले उससे पूछा जाए कि उसके पास बैल की जोड़ी है या नहीं? अगर है तो उसको अंडरटेकिंग दे कर उसका ब्यानहल्फी लो कि मैंने जो बैल खूंटे में बांध रखे हैं, उनको मैं आवारा नहीं छोड़ूंगा, तब जा कर इसके ऊपर कुछ न कुछ रोक लग सकती है। नहीं तो लोग बोलते हैं कि पावर

टिल्लर पर 50,60 या 80 प्रतिशत सबसिडी है। बैल की कीमत से ज्यादा ये हमें सस्ते पड़ते हैं। गोबर भी नहीं उठाना पड़ता और घास भी नहीं लाना पड़ता। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यह बहुत गम्भीर मुद्दा है। जो लोग गायों और बैलों को बाहर छोड़ रहे हैं इसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि हम लोगों को पावर टिल्लर लेने से पहले उनसे बयान हल्फी लें और यह देखें कि बैल उसके पास है, टैग उसमें लगे हैं , वह बैलों को न छोड़ने की कसम खाए तब उसको पावर टिल्लर पर सबसिडी मिलनी चाहिए नहीं तो कोई भी बैल खूंटे पर नहीं बचेगा।

सभापति महोदय, पहले कहते थे कि वह किसान जिसके घर में बैल नहीं है वह किसान ही नहीं है। पहले हम बोलते थे खेत और खलिहान। खेत का मतलब यह है कि उसमें हम फसल पैदा करते थे और फसल पैदा करने के बाद खलिहान में, अब तो मशीनी युग आ गया है।

श्रीमती अ0व0द्वारा जारी---

10.3.2022/1550/av/ag/1

श्री राम लाल ठाकुर -------जारी

हम खेत-खलियान की बात करते थे। पहले हम अपने खेतों में फसल पैदा करने के बाद खलियान में ले जाते थे। लेकिन अब मशीनी युग आने से वे खलियान खत्म हो गए हैं और अब तो सारा काम घर के आंगन में हो रहा है। हम कहते हैं कि गऊ तो हमारी संस्कृति है और इसके लिए हम कई बार रामायण और महाभारत जैसे महापुराणों का सहारा ले लेते हैं। इस मुल्क के अंदर एक और बुराई चली है और वह 'ओल्ड एज होम' है। ओल्ड एज होम का मतलब यह है कि किसी भी इंसान के बुजुर्ग होने पर उसे ओल्ड एज होम में छोड़ दिया जाता है। बच्चे कहीं बड़े-बड़े शहरों या विदेशों में मजे कर रहे हैं और मां-बाप को पैसे देकर ओल्ड एज होम में छोड़ दिया जाता है। आज के समय में जब मां-बाप तक को ओल्ड एज

होम में छोड़ देते हैं तो गौमाता की वैल्यू क्या होगी, यह आप खुद समझ सकते हैं। जब बच्चे अपने ही माता-पिता को ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं तो इन गौवंश को कौन देखेगा। पहले जमाने में जब घर का कोई व्यक्ति या बुजुर्ग बीमार होता था तो पंडित का कहना होता था कि गौदान करवाओ। लेकिन उस समय ब्राह्मण की भी एक शर्त होती थी कि केवल दूध देने वाली ही गाय चाहिए। अगर कोई बिना दूध वाली गाय दान करता था तो पंडित का कहना होता था कि यह गाय उस बुजुर्ग को नहीं लगेगी। लेकिन अब जमाना बदल गया है, अब यदि गौदान करना हो तो धोती में 500 रुपये या 1100 रुपये बांधकर पंडित को पकड़ा दिए जाते हैं। आजकल इस प्रकार से गौदान किया जाता है। आज सरकार ने बहुत सारे गौसदन खोले हैं और कई जगह मंदिरों को भी कहा है कि उनके द्वारा भी गौसदन चलाए जाएं। इसके अतिरिक्त शराब की बोतल पर पहले श्री वीरभद्र सिंह जी के समय में एक रुपया लगाया गया था तथा अब आपने उसमें एक रुपया और बढ़ा दिया है यानी अब आप गौसदन के लिए दो रुपये प्रति बोतल ले रहे हैं। आप केवल सिलैक्टिव स्थानों की बात मत कीजिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप एक दिन का समय निकालकर बिलासपुर से शुरू करके गरामोड़ा तक जाइए। आप उस सड़क के ऊपर कम-स-कम 150 गायं देखेंगे। बिलासपुर शहर के अंदर आपको बहुत सारी गायं और सांड घूमते हुए

10.3.2022/1550/av/ag/2

मिलेंगे। वहां छकोह नामक स्थान पर रास्ते में चलते हुए एक बुजुर्ग को मार दिया। बिलासपुर शहर और घुमारवीं में एक-एक बुजुर्ग मार दिए, इनको पकड़ने के लिए कौन इंतजाम करेगा? आप इनको पकड़ कर कहीं एक जगह इकट्ठा कीजिए ताकि राह चलते लोगों को इनसे नुकसान न पहुंचे। आप बिलासपुर शहर जाइए, आप देखेंगे कि बिलासपुर शहर का सारा गंद अल्ली खड्ड में फेंका जा रहा है। उसके डिस्पोज ऑफ के लिए कोई भी इंतजाम नहीं किए गए हैं। ठीक है, वहां लोगों से पैसा लेकर उनके घरों से गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग कॉलैक्ट किया जाता है। लेकिन यदि आप गोबिन्द सागर के सांडू

मैदान से ऋषिकेश तक जाएं तो देखेंगे कि वहां पर हर तरफ कूड़ा और प्लास्टिक के लिफाफे फेंके होते हैं। वहां पर टूरिस्ट आता है और वह बोट लेकर ऋषिकेश तक जाता है। इस तरह से वहां चारों तरफ कूड़ा-कचरा फेंका होता है। बिलासपुर शहर से निकलने वाले गंद के डिस्पोज ऑफ के लिए आपके पास कोई तरीका नहीं है। उसको या तो अल्ली खड्ड में फेंक दिया जाता है या फिर गोबिन्द सागर झील में डाला जाता है। उसके बाद वह सारे-का-सारा कूड़ा-कचरा बहकर भाखड़ा तक जाता है।

टी सी द्वारा जारी

10/03/2022/1555/टी0सी0वी0/ए0जी0/1
श्री राम लाल ठाकुर ... जारी

हम सोच रहे थे कि इस बार मछलियां क्यों नहीं हुई? पिछले दो सालों में गोविन्द सागर में मछलियां 5-7 प्रतिशत रह गई हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार कह रही है कि फिशरीज हमारी बड़ी आगे चल रही है। यह बात ट्राउट फिशिंग और अन्य रेजरवायर्ज में हो सकती है लेकिन गोविन्द सागर में जितने हमारे मछुआरे हैं, वे भूखे मर रहे हैं। भाखड़ा से लेकर जगातखाना और बिलासपुर के दोनों तरफ की जो सोसायटीज हैं, उनकी दिन में एक रुपये की भी कमाई नहीं हो रही है। आपने कहा कि प्लास्टिक के ऊपर बैन है, उसके ऊपर बैन कहां है? दूध प्लास्टिक में आ रहा है और हम जो रेडीमेड खा रहे हैं, वह भी प्लास्टिक में आ रहा है। बच्चे जो कुरकुरे खा रहें हैं, वे सारे-के-सारे प्लास्टिक में आते हैं और उसका कचरा सड़कों के किनारों पर इकट्ठा हो जाता है। सभापति महोदय, उत्तराखण्ड या दूसरे जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं उनमें जब टूरिस्ट आते हैं तो उनको वे एक इंस्ट्रक्शन लैटर और एक थैला देंगे और उनसे पैसे ले लेंगे। टूरिस्ट जो खाएंगे उसका बचा हुआ कचरा उस थैले में डालेंगे और जब वापिस आएंगे तो कचरे का थैला वहां जमा करवाएंगे और अपने पैसे वापिस ले लें । इस प्रकार की व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में भी हो सकती है? मंत्री जी आपने और जब स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी मुख्य मंत्री थे तब भी इसके बारे में कुछ कदम उठाए गए। यह कहा गया कि सभी पशुओं की रजिस्ट्रेश होगी और उनको टैग लगाए जाएंगे।

इससे पता चलेगा कि इस नम्बर का पशु किसके पास है और इसका मालिक कौन है? यदि किसी ने पशु बेच दिया तो उसकी एंट्री पंचायत में करनी होगी। लोगों को खच्चर, गधे खरीदने के लिए सब्सिडी मिली और इसके अलावा बैल और भैंस पर भी सब्सिडी मिलती थी। इन पशुओं की इंश्योरेंस हुई होती थी और लोगों ने इनके कान काटने शुरू कर दिए और इंश्योरेंस के पैसे ले लेते थे। इसके लिए कोई सख्त कानून बनाया जाना चाहिए और जो लोग पशुओं को छोड़ रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके बारे में हाईकोर्ट ने भी आदेश दिए थे। एक पी0आई0एल0 फाइल हुई थी और उसमें सरकार

10/03/2022/1555/टी0सी0वी0/ए0जी0/2

को भी पार्टी बनाया गया। उस पी0आई0एल0 में हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि यदि किसी पंचायत में इस प्रकार से घूमता हुआ लावारिस पशु पकड़ा गया तो पंचायत प्रधान और पंच के खिलाफ एक्शन होगा। सभापति महोदय, क्या पंचायत का प्रधान या पंच रात को पहरा देगा कि कोई मेरे पंचायत में पशु न छोड़ दें। आज लोगों की सोच ही ऐसी हो गई है और वे पशुओं को सड़कों पर छोड़ देते हैं। आज हम कह रहे हैं कि गोबर और गऊ मूत्र का भी उपयोग किया जा सकता है। राम देव जी भी गऊ मूत्र के बारे में ज्यादा बात करते हैं। ये जो गाय शहर में सड़कों के किनारे में घूमती हैं, इनका गौ मूत्र, गौ मूत्र नहीं है, उनके गोबर और मूत्र में दुर्गंध है।

एन0एस0 द्वारा जारी ....

10-03-2022/1600/NS/AS/1

श्री राम लाल ठाकुर .....जारी

चौका लगाने के लिए सड़क पर घूमने वाली गाय का गोबर प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इन सारे विषयों को ध्यान में रख कर इन गायों के लिए कोई तरीका अख्तियार किया जाए। आप कर भी रहे हैं। 20,000 गायों को पकड़ने से समस्या का समाधान नहीं होगा। जब से हमने पॉवर टिल्लर देने शुरू किए तब से ये सड़कों

पर आ गईं। पहले सिर्फ़ 6000 गऊएं थीं और आज 20,000 गऊएं पकड़ने के बाद भी इतनी गऊएं सड़कों पर हैं। यह एक ऐसी बीमारी है इसकी रोकथाम करने के लिए डिपार्टमैंट, पंचायती राज संस्थाएं और शहरी विकास विभाग मिलकर काम करे तब लोगों में डर पैदा होगा कि अगर पशुओं को छोड़ेंगे तो जेल जाना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इस संकल्प में गैर-सरकारी तो लिखा है लेकिन सरकारी और गैर-सरकारी सब इकट्ठा ही हो गया है। सबकी पीढ़ा एक ही पीढ़ा हो गई और परिभाषा भी बदल गई। सभापति महोदय, इसलिए मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

10-03-2022/1600/NS/AS/2

सभापति : अब श्री जीत राम कटवाल जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री जीत राम कटवाल : सभापति महोदय, श्री रमेश चंद ध्वाला जी व श्री बलबीर सिंह वर्मा जी द्वारा लाए गए प्रस्ताव के समर्थन में और चर्चा में भाग लेने के लिए आपने समय दिया इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। यह प्रस्ताव "प्लास्टिक से बढ़ते प्रदूषण व उसके खाने से पशुओं को हो रही अकाल मृत्यु तथा बेसहारा पशुओं के लिए बनाए गौसदनों के रख-रखाव हेतु नीति बनाने पर यह सदन विचार करे।" इस विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरे से पूर्व कई सदस्यों ने विभिन्न पहलूओं पर अपने विचार व्यक्त किए और सदन को अवगत करवाया। सरकार का ध्यानाकर्षण करने पर बहुत अच्छे प्वाईंट्स रखे। Plastic waste management से प्रदूषण भी होता है और प्लास्टिक लावारिस पशुओं की मृत्यु का कारण भी बन रहा है। बुनियादी तौर पर देखा जाए तो भारत वर्ष या हिमाचल प्रदेश का Demographic profile या सिस्टम कह लें तो किसी वक्त 90 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती थी और 10 प्रतिशत आबादी शहरों में रहती थी। अब ये ट्रेंड बदल रहा है। 70 प्रतिशत आबादी गांवों में और 30 प्रतिशत आबादी शहरों में रहती है। मुख्य रूप से इसका कारण देखें science & technology, urbanization और automation developments ऐसी हुईं जिससे हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हुआ और प्रकृति के स्वरूप में भी बदलाव आया। पशु घरों में होते थे और गाय पूजनीय होती थी। आज इसकी सड़कों पर होने के लिए चर्चा हो रही है। गौ सेवा आयोग बन रहे हैं। काउ सेंक्चुअरि की बात हो रही है और इनके रख-रखाव के लिए धन की व्यवस्था करने बारे भी चर्चा हो रही है तथा सुझाव आ रहे हैं तथा

उसी अनुरूप नीतियां भी निर्धारित की जाती हैं। इसके विपरीत जो जंगली जानवर जैसे बन्दर जंगलों में होते थे तो वे शहरों व गांवों की तरफ भाग रहे हैं।

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

10.03.2022/1605/RKS/एएस-1

श्री जीत राम कटवाल... जारी

ये बंदर भी समाज में एक खतरे का रूप धारण कर चुके हैं। प्लास्टिक बेस्ड मैनेजमेंट एक तरीके से डवैलपमेंट भी है। वर्ष 1997 में इसके ऊपर कानून बनना शुरू हुआ। वर्ष 2004-05 में इसकी थीकनैस पर निर्णय लिया गया कि 70 माइक्रो से कम वाले लिफाफे नहीं बनेंगे। लेकिन जो मल्टी नेशनल कंपनियों या बड़े-बड़े औद्योगिक क्षेत्रों से कार्टन या वुड आती है उसमें प्लास्टिक कोटिंग होती है ताकि उस चीज की ड्यूरेबिलिटी बनी रहे। सोलिड प्लास्टिक बेस्ड चीजें अंतिम रिटेलर से होकर घरों व कार्यालयों में पहुंचती हैं। इस समस्या की शुरूआत बड़े-बड़े औद्योगिक क्षेत्रों से होती है। अस्पतालों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए इन्सुलेटर स्थापित किए गए हैं। पंचायतों में भी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए छोटी-छोटी योजनाएं बननी शुरू हो गई हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत मशीनरी स्थापित करने के लिए गांव में जगह नहीं मिलती। सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट स्थापित करने के लिए भी गांव में जगह नहीं मिलती। कचरा कंट्रोल मेनेजमैंट में छोटे-छोटे प्रोजैक्ट गांव में आ रहे हैं और इन्हें स्थापित करने के लिए भी समस्या आनी शुरू हो गई है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि एफ.आर.ए. केसिज में सरकार को sanctuaries शामिल करनी चाहिए ताकि इस पर भी कुछ काम हो सके। मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में एक गौ-सदन चल रहा है। उस गौ-सदन में 250-300 गौवंश हैं। जब मैंने इस गौ-सदन के विस्तारीकरण की बात की तो वन विभाग वालों ने कहा कि इसका विस्तारीकरण नहीं हो सकता। वे कहते हैं कि पहले आप FCA/FRA का केस बनाओ लेकिन वे इस केस को बनाने के लिए रिकॉमेंड भी नहीं करते। मेरा कहना का अभिप्राय यह है कि FRA और FCA में भी sanctuaries की प्राथमिकता अंकित होनी चाहिए। इस मसले को भारत सरकार को मूव किया जाना चाहिए। जैसे FRA में 12-13 आइटम्स, जैसे फेयर प्राइज शोप, होस्पिटल, कम्यूनिटी असैट के लिए महीने भर में क्लीयरेंस मिल जाती है उसी तरीके से इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए इस पर

काम होना चाहिए ताकि सोलिड बेस्ड मैनेजमेंट के अंतर्गत मशीनरी स्थापित करने के लिए जमीन की उपलब्धता हो। इसकी मशीनरी को गांव से दूर स्थान पर स्थापित करने की व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि लोगों में भ्रम है कि इससे दूषित गैस निकलती है जिससे उनके स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ेगा।

श्री बी.एस. द्वारा... जारी

10.02.2022/1610/बी.एस./डी0सी0/-1

श्री जीत राम कटवाल जारी...

मंत्री महोदय जी काफी चिंतित रहते हैं और ये हमारे साथ भी चर्चा करते हैं। मनरेगा मैं भी इसके लिए एक आवश्यक कम्पोंनेट, गौ-संरक्षण कह लो या लावारिस पशुओं का प्रबंधन कह लो, इसे मनरेगा मैं भी शामिल करना चाहिए। कुछ दिन पहले की बात है, मेरे क्षेत्र में पंचायत वालों ने पांच-छः पशु बांध लिए और मुझे टैलीफोन करना शुरू कर दिए कि यहां पशु बांधे हैं और इन्हें ले जाओ। मैंने उनसे कहा कि यदि मैंने ले जाने होते तो मैं पहले छोड़ने ही नहीं देता। मैंने उन्हें यह भी समझाया कि आप अनाधिकृत तौर पर पशुओं को यहां से वहां ले जाएंगे तो लोग आपको पत्थर मारेंगे। कुल मिला करके मैं इतना कहना चाहूंगा कि पंचायतों में उनको भी इस बारे में कार्य करना चाहिए। जो छोटे-छोटे गौ-अभयारण्य हैं, उन्हें भी विभाग द्वारा सहयोग देना चाहिए। शहरी विकास का मुद्दा ठोस कचरा प्रबन्धन है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का मुद्दा कानून बनाना है, आपने जो छोटे-छोटे गौ-सदन बनाने हैं और जो ठोस कचरा प्रबंधन की यूनिट्स पर काम होना है, उसके लिए सबसे पहले जमींन की आवश्यकता होती है। यदि जमींन उपलब्ध होने में सकारात्मक परिस्थितियां होती हैं, तो इसको विधायक क्षेत्रीय विकास निधि और एस0डी0पी0 से फंड्ज का प्रावधान होना चाहिए। विधायक क्षेत्रीय विकास निधि में गौ-सदन के लिए सहायता देना शायद शामिल नहीं है, इसमें यह भी शामिल होना चाहिए। जैसे गौ-संरक्षण आयोग काम करता है, उसके लिए 500 रुपए पहले था और इस बजट में इसे बढ़ा करके 700 रुपए किया गया है, यह बहुत अच्छी बात है। मैं इस बारे में मंत्री महोदय का ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहता हूं, कि आपके विभाग द्वारा जो पेमैंट होती है और जो गौ-सेवा आयोग इसके बारे में स्वीकृतियां देता है उसके नियम थोड़े सरल किए जाएं और जो अनुदान राशि 700 रुपया है, उसे वक्त रहते गौ-सदनों को उपलब्ध करवाया जाए। ऐसा

देखने को मिलता है कि पैसों का आबंटन काफी समय ले लेता है और कई बार तो तीन-चार महीने बाद इसका भुगतान होता है। यह एक पुण्य का काम है, इसे स्वयं सेवी संस्थाएं करती हैं। परंतु उन्हे पैसे की कमी रहे तो यह अच्छी परिस्थिति नहीं होती। पहले छः हजार पशु ही गौ-सदनों में थे, अब ये 20,000 तक हो गए हैं, जहां गौ- सदन बने हैं वहां पानी की भी व्यवस्था की जाए और मनरेगा में भी पानी के संरक्षण हेतु कार्रवाई की जाए।

10.02.2022/1610/बी.एस./डी0सी0/-2

इसमें ग्रामीण विकास विभाग अगर कुछ कर सकता है, तो उसे भी काम करना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर ऐसी जगह में पशु रखे जाते हैं या रखे गए हैं जहां पर वे पानी के बिना अपने जीवन से हाथ धो बैठे हैं। जैसे मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की बात है, यहां पर आदरणीय राम लाल ठाकुर जी ने कामधेनु का जिक्र किया, ये अच्छा काम कर रही हैं। आज भी हिमाचल प्रदेश में जितना दूध आ रहा है, वह ज्यादातर बाहर से आ रहा है। यदि गांव में महिलाओं को रोजगार के अवसर के रूप में

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

10-03-2022/1615/डी.सी.-एन.जी. /1

श्री जीत राम कटवाल .....जारी

पशुओं को पालने का काम और दुग्ध की मार्केटिंग उपलब्ध हो सके, इसके बारे में भी विभाग को सोचना चाहिए। मैंने जैसा फील्ड में सुना है कि पशुओं का artificial Insemination इसका मुख्य कारण है। जो गाय दुग्ध देना बंद कर देती है या वह गर्भधारण न कर पाए तो उसे लावारिस छोड़ दिया जाता है। विभाग इसमें कोशिश करें कि प्रशिक्षित व्यक्ति से ही artificial Insemination का काम करवाया जाए। गांवों में ऐसा कहा जाता है कि ज्यादातर पशु 2-3 बार गर्भधारण करने के बाद गर्भधारण नहीं कर पाते हैं और उसके बाद उन्हें लावारिस छोड़ दिया जाता है। विभाग को इस पर भी ध्यान देना चाहिए।

ऑटोमेशन तो स्वभाविक तौर पर होनी चाहिए। यदि बछड़ा होता है तो लोग उसे छोड़ देते हैं। ऐसे-ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि लोगों ने 10-10, 15-15 दिनों के बछड़े बोरियों में बांध कर सड़कों में छोड़ दिए हैं। समाज इसमें चिंता व चर्चा तो करता है लेकिन फिर भी हमें ऐसे दुखदायी उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। हमें इसकी यूटिलिटी बढ़ाने पर काम करना चाहिए जैसा मैंने अभी कहा कि इसे महिलाओं को रोजगार देने के रूप में भी देखा जा सकता है। पशुओं को beneficial proposition के रूप में पालने पर काम किया जाएगा तो इस स्थिति से निपटा जा सकता है। पशुपालन विभाग को इसमें सक्रियता से काम करना चाहिए। गायों के रख-रखाव में और साथ ही एफ.आर.ए./एफ.सी.ए. के केसिस में काम किया जाए। ऐसा देखने में मिलता है कि स्वयंसेवी संस्थाएं स्वयं काम करती हैं, दौड़-धूप करती हैं लेकिन उन्हें कई बातों का पता ही नहीं होता। विभाग को इसमें एक नोडल एजैंसी के रूप में काम करना चाहिए। हम सबने देखा होगा कि पुलों पर या नदियों के पास ज्यादा पशु होते हैं। इसका कारण यही है कि वहां पर ठण्डी हवा और पानी की व्यवस्था होती है। गायों के कचरा व प्लास्टिक आदि खाने के दुष्प्रभावों के बारे में मुझ से पूर्व वक्ताओं ने यहां पर चर्चा की है।

10-03-2022/1615/डी.सी.-एन.जी. /2

हमें सजगता के साथ गायों के संरक्षण को गौसेवा के रूप में लेना चाहिए। बैलों के बारे में हमारे मध्य बहुत ही गलत प्रथा आ गई है उसको दूर करने का भी प्रयास किया जाना चाहिए। लोगों का ऐसा मानना है कि उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। आज पशुओं को बिलासपुर से ट्रक में भरेंगे तो हमीरपुर छोड़ देंगे, फिर हमीरपुर से भरेंगे तो मण्डी छोड़ देंगे और हफ्तेभर में वह पशु घूम कर फिर से बिलासपुर आ जाएंगे। हमें एक दूरगामी व स्थाई तरीके से इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। प्लास्टिक वेस्ट का सेग्रीगेशन और उससे जो प्रदूषण हो रहा है उसका भी समाधान करने की आवश्यकता है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इतना जरूर कहूंगा कि इन्हें गो-अभयारण्यों में, एफ.आर.ए./एफ.सी.ए. में शामिल करवाएं और इसके साथ ही पंचायतों में जो भी पंचायत

प्रतिनिधि हैं उन्हें भी it should be incumbent on the PRIs' के वे इस पर सकारात्मक तरीके से काम करें न कि इसे किसी दूसरी दुनिया का काम मानें। इसके साथ कामधेनु जैसी संस्थाएं जिन्होंने अच्छा काम किया

श्री जे.एस. द्वारा जारी.....

10.03.2022/1620/JS/AS/1

श्री जीत राम कटवालः----जारी-----

उसके लिए हम भी उनको शाबाशी देते हैं और प्रोत्साहित करते हैं। मेरे क्षेत्र में एक साढ़े 9 करोड़ रुपये का मिल्क प्लांट लग रहा है। उसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। मैं उसके लिए माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं। मनरेगा में जो वाटर कंजर्वेशन के वर्क हैं, वे गौ सेंक्चुअरी के आस-पास बनाए जाएं और इसमें पानी की व्यवस्था जल शक्ति विभाग करें। पशु जहां भी रहें उनके लिए जो बेसिक राइट्स खाना और पानी है, वह उपलब्ध होना चाहिए। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

10.03.2022/1620/JS/AS/2

सभापतिः अब माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर): माननीय सभापति महोदय, नियम-101 के अन्तर्गत माननीय सदस्य, श्री रमेश चन्द धवाला जी और श्री बलबीर सिंह वर्मा जी द्वारा यहां पर लाया गया प्रस्ताव, जिसमें सर्वप्रथम मैं इसके पहले पार्ट के बारे में बोलना चाहूंगा "प्लास्टिक से ब़ढते प्रदूषण व उसके खाने से पशुओं की हो रही अकाल मृत्यु पर यह सदन चर्चा करे।" सभापति महोदय, इसके ऊपर कानून बना हुआ है परन्तु हमारी मंशा है नहीं क्योंकि कानून में फिर क्या कर दिया हमने उसको डाइल्यूट कर दिया। उसमें हमने क्या किया, इतने mm तक के प्लास्टिक पर चले गए। अभी मेरे से पूर्व साथियों ने यहां पर कहा कि दूध भी आज प्लास्टिक की थैलियों में और सारा खाद्य पदार्थ प्लास्टिक की

थैलियों में बिक रहा है। जितना भी बाहर से टूरिस्ट आते हैं वे हिमाचल में नहीं खरीदते, अगर उन्होंने चिप्स भी खरीदना है तो अगर वे चंडीगढ़ से आते हैं तो वहीं से खरीद कर लाते हैं। वहीं से सारे-का-सारा टेटरापैक दूध और जितने भी पेय पदार्थ हैं, वे सारे-के-सारे वहीं से ला करके हमारी सड़कों व खड्डों में फैंक देते हैं। असली मुद्दा तो यही है कि इस पॉल्यूशन को कैसे रोका जाए? हमारे सारे पानी के सोर्सिज़ इससे ब्लॉक हो रहे हैं। प्लास्टिक तो जमीन में गलता भी नहीं है। यदि आप इसे मिट्टी के अन्दर डाल दो तब भी यह कई सालों के बाद ऐसे ही मिलेगा। इस कानून को सख्ती से लागू करने की जरूरत है और तभी प्लास्टिक प्रदूषण यहां से खत्म होगा। इस प्रस्ताव की असली मंशा यह होनी चाहिए थी लेकिन इसको इन्होंने आगे डाल दिया है कि इस कचरे को पशु खा रहे हैं, उसको खा करके पशुओं की मृत्यु हो रही है। जब आपने पशु को रखने के लिए बड़े-बड़े गौ सदन बना दिये तो क्या वे पशु उन गौ सदनों में प्लास्टिक खा रहे हैं? यह जो 500 से 700 रुपये आपने पशु के लिए कर दिया तो क्या आपने गौ सदनों में प्लास्टिक खिलाना शुरू कर दिया? इन पशुओं की आपने एक बहुत बड़ी फौज तैयार कर दी है। आपने बड़ी-बड़ी जगहों में 500-500 और 1000-1000 पशु इकट्ठे कर दिए। जिस दिन वे पशु वहां से छूट कर किसी के खेत में या किसी शहर में पहुंच जाएंगे वे वहां पर तबाही मचा देंगे। वे आतंकवादियों से ज्यादा तबाही मचाएंगे। अभी यू.पी. के चुनाव में प्रधान मंत्री जी का भाषण था कि हमने इस बारे में सोचा ही नहीं है।

10.03.2022/1620/JS/AS/3

हम इस बारे में आगे बात करेंगे। अब देखते हैं इस पर अब क्या करेंगे? यू.पी. में यह हाल है कि पशुओं की जो फौज है, वह आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक हो गई है। जिस गांव की तरफ वे निकलते हैं, टिड्डी दल की तरह उस इलाके की सारी-की-सारी फसल को चट जाते हैं।

सभापतिः माननीय सदस्य, आप सिर्फ हिमाचल प्रदेश की ही बात करें।

श्री जगत सिंह नेगीः सभापति महोदय, हिमाचल की ही बात करते हैं कि उसको कैसे रोकना है? अभी तो जरुरत यह है। यह बड़ी विडम्बना है कि जिनके पेट भरे हुए हैं, वे गाय के लिए सोचते हैं। आज हिन्दुस्तान का जो इन्टरनेशनल पावर्टी इन्डैक्स है, उसमें हम 109

देशों में 66वें नम्बर पर हैं। आज बांग्लादेश हमारे से आगे है। आज हमारे 30 करोड़ से ज्यादा लोग भूखे, नंगे और प्यासे हैं। उनको एक समय की रोटी तक नहीं मिलती है। औराहमारी सोच कहां जा रही है, यह आज सोचने की जरूरत है। 20 साल बाद जब कोई इन कागजों को, जो चर्चा हमारी इस बारे में हो रही है, हमारे बाद की पीढियां पढ़ेंगी तो सोचेंगी कि कैसे लोग थे? आदमी को भूखे मार दिया और पशुओं के पीछे पड़े रहे। ये जो गौ सदन हैं, इसका क्या डैफिनेशन है? क्या इनमें दूसरे आवारा पशु भी रखे जाएंगे? क्योंकि आपने कहीं नहीं लिखा है। उसमें गधे, बैल, घोड़े व खच्चर भी हो सकते हैं। जो भी हमारे पशु आवारा हो जाएंगे, वे भी आएंगे? अगर वो नहीं आएंगे तो फिर इसमें भी पक्षपात हो रहा है। पशु तो पशु है आवारा तो आवारा है।

श्रीमती केएस द्वारा जारी---

10/03/2022/1625/केएस/एचके/1

श्री जगत सिंह नेगी जारी---

पशु तो पशु है, आवारा तो आवारा है, आप उसमें भी पक्षपात कर रहे हैं? ...व्यवधान... गधे भी आवारा आने वाले हैं क्योंकि गांव-गांव में अब सड़कें खुल रही हैं। जो काम आप गधों से लेते थे, अब वह हम अपनी गाड़ियों में कर रहे हैं। गधे भी बेचारे आवारा हो रहे हैं। तो किस तरह से हम आवारा पशुओं से बचेंगे? एक आपने बड़ा अच्छा काम किया है। आप लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि पशु छोड़ दो। आप गौ सदन खोल रहे हैं, लोगों को न्योता दे रहे हैं कि भेजो पशु हमारे पास। हिमाचल का बजट बेरोज़गार लोगों के लिए नहीं जाएगा, आने वाले समय में आवारा पशुओं पर खर्च होगा क्योंकि यह संख्या अब आपकी 20 हजार तक पहुंच चुकी है। आपने गौ वंश का बोर्ड भी बना दिया अब नीति बना रहे हैं। किस किस्म की नीति बनाएंगे आप? आपने तो गौ वंश के लिए सारा रास्ता खोल दिया। बड़ी-बड़ी सेंक्चुअरी बनाने की बात हो रही है। एफ.आर.ए. में हमारी सड़कों की डी.पी.आर. तैयार नहीं हो रही है, आप लोगों को गो सेंक्चुअरी बनाकर देंगे? कुछ प्रैक्टिकल बातें नहीं हो रही

हैं। जिसने भी गाय पाली है, उसकी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि वह उसको अंत तक पाले। उसको उसके घर में आप 700 रुपये दो। पशुपालन विभाग का जो असली काम है, इनका असली काम है कि यहां पर अच्छी नस्ल का पशु आए, नस्ल खराब कर दी और ये गौ सदन खोलने वाले बन गए हैं। आज मेरे किन्नौर में सारी की सारी वैटरिनरी डिस्पैंसरीज़ में ताले लगे हुए हैं। वहां बैठने के लिए ढंग से फर्निचर नहीं है। वहां पर जो असली काम होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। उल्टी साइड चले गए। हमने किन्नौर में कुछ पैसों का इंतज़ाम किया और पशुओं के पैदा होते ही या जिनके घर में पशु हैं, उनकी स्किन में चिप लगाया और उसको नम्बर दिया गया। हम उसकी स्कैनिंग करते थे कि अगर कोई आवारा पशु बाजार में आएगा, स्कैनिंग करो, फ्लां का नम्बर है, फ्लां गांव लिखा है, उसको पकड़ो और उसके ऊपर फाइन करो। आप फाइन कर सकते थे, वह क्यों नहीं कर रहे हैं? आजकल भी टैग लगा रहे हैं। उसका भी पैसा लग रहा है। टैग की वजह से तो आजकल लोग पशुओं के कान

10/03/2022/1625/केएस/एचके/2

ही काट देते हैं। करना है तो कुछ साइंटिफिक काम करो जिससे कुछ फायदा हो। 1970 में कांग्रेस सरकार ने श्वेत क्रांति लाई थी तभी आज हिन्दुस्तान दूध के क्षेत्र में दुनिया में काफी अच्छे स्थान पर है। अब आप कह रहे हैं कि ऐसी गाय रखो जो आधा लीटर दूध दे। आप अच्छी नस्ल की गाय के दुश्मन हो गए। अगर ऐसा करोगो तो आप हमें मार दोगे। हमारे बच्चे दूध के लिए तरस जाएंगे। क्यों इस किस्म का मंदबुद्धि वाला काम आप कर रहे हैं? कुछ अच्छा करो। वर्ष 1970 में श्वेत क्रांति लाई गई। एक वर्गीज़ कुरियन हुए थे, आज पूरे हिन्दुस्तान में अमूल मशहूर है। हम भी गुज़रात में अमूल की फैक्टरी में गए थे। 7 लाख से ज्यादा किसान सहकारी क्षेत्र में उसके साथ जुड़े हुए हैं। वहां आपको कोई आवारा गाय नहीं मिलेगी। उस किस्म की सोच चाहिए। वह सोच पैदा करो जिसका यहां पर फायदा हो। केवल वोट बटोरने के लिए, केवल मात्र धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करने की बात मत कीजिए। ...व्यवधान... बंदों की बात भी करते हैं हम। आज शिमला में लोग बेघर हैं। उनके सिर पर आज छत नहीं है। अभी मेरे साथ चलो मैं दिखाता हूं। मैं 10 बार इसके बारे में माननीय सदन में कह चुका हूं परन्तु किसी के कान में जूं नहीं रेंगती। ओल्ड बस स्टैंड के

पास बहुत से भूखे-नंगे व प्यासे लोग रहते हैं। क्या वे बेसहारा नहीं हैं? आज आपको बेसहारा लोगों की चिंता नहीं है। मैं गाय के विरोध में नहीं हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको गौ माता का ख्याल करना है तो जो गाय पाल रहा है उसी को 700 रुपये दो। आप हरेक को जिसके पास गाय है, 700 रुपये पैंशन लगाओ। बढ़िया हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में भूमि की वैसे ही कमी है। खेती के लिए जगह नहीं है हमारे पास। उसको पैंशन दो कम से कम वह पैसा तो यूज़ करेगा। अभी गाय का चारा खाने वाले पता नहीं कितने पैदा हो जाएंगे। बहुत सारे लोग खा भी रहे होंगे । अभी सर्दियों में हमारे किन्नौर में दो-दो फुट बर्फ में कहां गए गौ रक्षक? हमारे कांग्रेस पार्टी के लोगों ने वहां पर बर्फ में जा कर, घास खरीदकर गायों को भूख से बचाया।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

10.3.2022/1630/av/yk/1

श्री जगत सिंह नेगी------जारी

कुछ प्राइवेट लोगों ने भी गो रक्षा के लिए इस प्रकार के कार्य किए। उस समय गोवंश हेतु बनाया गया बोर्ड कहां था? वहां पर 40-40 लाख रुपये के दो गो सदन बनाए गए हैं। यहां पर जैसे मेरे से पूर्व सदस्यों ने भी कहा कि उन गो सदनों में पानी और घास इत्यादि कुछ भी नहीं होता। वहां पर पशु मरे होते हैं और कोई नहीं देखता। वहां से बदबू चली होती है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की बड़ी-बड़ी बातें करना छोड़िए और काम की बातें की जाएं। वैसे तो मुझे मालूम है कि इस प्रस्ताव पर कोई नीति नहीं बनेगी पर मैं यह कहना चहाता हूं कि अपने दिमाग की नीति जरूर ठीक कीजिए। धन्यवाद।

समाप्

10.3.2022/1630/av/yk/2

कर्नल इन्द्र सिंह, सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री विशाल नैहरिया हिस्सा लेंगे।

श्री विशाल नैहरिया (धर्मशाला) : सभापति महोदय, आपने मुझे माननीय सदस्य श्री रमेश चंद ध्वाला द्वारा नियम-101 के अंतर्गत लाए गए प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। यह एक महत्वपूर्ण विषय है और मेरे से पूर्व कई माननीय सदस्यों ने इस विषय के संदर्भ में अपने-अपने विचार रखे हैं। यह बिल्कुल सत्य है कि वर्तमान में पूरे देश सहित हमारे प्रदेश में भी प्लास्टिक के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि हमें इसके प्रोपर निष्पादन हेतु कोई ठोस नीति बनाने की आवश्यकता है। यह भी सत्य है कि सड़कों पर घूम रहे हमारे लावारिस गोवंश की अधिकांश मृत्यु जगह-जगह पड़े प्लास्टिक के खाने से हो रही है। सदन के अंदर इन दोनों विषयों को क्लस्टर करके चर्चा के लिए लाया गया है। वैसे तो इन दोनों विषयों पर अलग-अलग चर्चा करना जरूरी था परंतु फिर भी मैं इसमें यह कहना चाहूंगा कि आज की डेट में हमारे जीवन में प्लास्टिक का प्रयोग बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। हम इसके डिस्पोज ऑफ के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। हम अकसर देखते हैं कि जगह-जगह कूड़ा-कचरा फेंक दिया जाता है जहां पर सारे-का-सारा प्लास्टिक इकट्ठा हो जाता है। प्लास्टिक के बारे में कहा जाता है कि यह अगले सौ वर्षों तक भी नहीं गलता। वर्तमान में सभी नगर निगमों के तहत डोर-टू-डोर गारबेज कॉलैक्शन का प्रावधान कर दिया गया है। मैं धर्मशाला से संबंद्ध रखता हूं और वहां पर हमारे 17 नगर निगम वाड्र्ज हैं। वहां डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्र करके उसमें से प्लास्टिक को सेग्रीगेट करने का प्रावधान किया गया है। आने वाले समय में हमने पंचायत स्तर पर भी इसके डिस्पोज ऑफ का प्रावधान रखा है। हम वहां पर एक यूनिट लगा रहे हैं जहां पर सभी पंचायतों को क्लस्टर करके उनसे प्लास्टिक एकत्रित करेंगे। उसके बाद इकट्ठा करके उसको यूनिट में श्रैड करेंगे तथा उसके बाद उसको कैसे रीसाईकल किया जा सकता है; इस बारे में सोचेंगे। हम उसके माध्यम से टाइल्स की मैनुफैक्चरिंग भी कर सकते हैं या उसको किसी अन्य स्थान पर भेजेंगे ताकि हम धर्मशाला से प्लास्टिक के कचरे को खत्म कर सकें। यहां पर बेसहारा पशुओं के बारे में भी बात की गई है। मैं माननीय मुख्य

मंत्री और माननीय मंत्री का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने पिछले चार वर्षों में गो सदन और गो सेंक्चुअरी खोलने बारे विशेष ध्यान दिया है। सरकार द्वारा प्रदेश में गो सेंक्चुअरी के संदर्भ में जिस प्रकार से काम किए जा रहे हैं; वह सराहनीय हैं। परंतु अभी भी हम देखते हैं कि लोग अपने पशुओं को सड़कों के ऊपर बेसहारा छोड़ देते हैं। इस बारे में गंभीरता दिखाने की आवश्यकता है। यहां पर माननीय सदस्य श्री रमेश चंद ध्वाला जी सही कह रहे थे कि पंचायत स्तर पर आइडैंटिफाइड किया जा सकता है कि यह पशु किसका है। मैं माननीय सदस्य की बात से बिल्कुल सहमत हूं।

टी सी द्वारा जारी

10/03/2022/1635/टी0सी0वी0/वाई0के0/1
श्री विशाल नैहरिया ... जारी

क्योंकि वहां पर पंचायत स्तर पर आईडेंटिफाइड होता था कि किसके पशु हैं और उन पर पैनल्टी लगाई जाती थी। इस तरह के छोटे-छोटे कदम हम आज भी उठा सकते हैं। यदि इस दिशा में काम किया जाए तो मुझे लगता है कि इसका अच्छा परिणाम निकल कर आएगा।

सभापति जी, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

10/03/2022/1635/टी0सी0वी0/वाई0के0/2
सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य, श्री लखविन्द्र सिंह राणा जी भाग लेंगे। कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री लखविन्द्र सिंह राणा, नालागढ़ : सभापति महोदय, श्री रमेश चंद ध्वाला जी "प्लास्टिक से बढ़ते प्रदूषण व उसके खाने से पशुओं की हो रही अकाल मृत्यु पर यह सदन विचार करे " के बारे में इस माननीय सदन में संकल्प लाए हैं। मैं भी इसमें अपने आपको शामिल करता हूं। सभापति महोदय, प्लास्टिक बंद करने के लिए सरकारों द्वारा बड़े कानून बनाए गए लेकिन इनका कोई असर नहीं हो रहा है। यह मानव और पशुओं के लिए एक गंभीर समस्या है। इसके बारे में कई बुद्धिजीवियों द्वारा स्कूलों में सेमीनार लगाये जाते

हैं लेकिन फिर भी आज स्थिति पहले जैसी ही बनी हुई है। लोगों में ज्यादा अवेयरनैस नहीं आ रही है। लोगों को और ज्यादा अवेयर करनी की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोई दुकान पर जाता है, दूध का पैकेट, बिस्किट का पैकेट लेता है या अन्य कोई सामान लेता है, वह सारा-का-सारा प्लास्टिक में होता है। लोग इस सामान को घर में रख लेते हैं और प्लास्टिक को बाहर फेंक देते हैं।

सभापति महोदय, हमारे बी0बी0एन0 में एक क्षेत्र पड़ता है, वहां एक ठेकेदार को ठेका दिया गया था कि वह पूरे क्षेत्र में घर-घर से कूड़ा एकत्रित करके ले जाएगा। लेकिन अब पता नहीं वह ठेकेदार कहां चला गया है और उसने कूड़े के डम्पर सड़कों पर रखे हुए हैं। लोग इन डम्परों में घरों का कूड़ा डालते जा रहे है और यह कूड़ा सड़कों पर फैलता जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि उस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज सभी लोग गायों का दूध पी लेते हैं और उसके बाद उनको सड़कों या जंगलों में छोड़ देते हैं। वे पशु कई बार किसानों के खेतों में चले जाते हैं और उनकी निर्मम पिटाई की जाती है। कई पशुओं की आंख फोड़ दी जाती है, कईयों के सींग या टांग तोड़ दी जाती है। आज यह एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। किसानों को सारी रात अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ती है क्योंकि जो आवारा पशु हैं, वे किसानों के खेतों में चले जाते हैं। किसान रात-दिन खेतों में मेहनत करता है लेकिन जब एक-दो घंटे में आवारा पशु उसकी फसल को नष्ट कर देता है तो उस किसान का मन बड़ा दुःखी होता है। अगर हमें इन किसानों की फसल को बचाना है तो जो लोग इन पशुओं को आवारा छोड़ रहे हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसके लिए कानून बनना चाहिए ताकि इसकी रोकथाम हो सके।

एन0एस0 द्वारा जारी ....

10-03-2022/1640/NS/AG/1

श्री लखविन्द्र सिंह राणा .....जारी

सभापति महोदय, बी0बी0एन0 में काउ सैंक्चुअरि तेंदूवाल में है। अभी सरकार की तरफ से चारे की राशि 500 रुपये प्रति गाय से बढ़ा कर 700 रुपये कर दी गई है लेकिन इस सैंक्चुअरि का प्रबंधन कहता है कि पैसे बहुत कम हैं। वहां पर लगभग 500 के करीब आवारा पशु हैं। उनको भरपेट चारा मिलना चाहिए और इस राशि से उनको चारा पूरा नहीं होता है।

आपने भी देखा होगा कि कई समाचार पत्रों के माध्यम से वहां की खबर आती है कि इतने पशु मर गए। मैं कहना चाहता हूं कि मेरे नालागढ़ क्षेत्र की लगभग तीन पंचायतों में आवारा पशुओं की संख्या बहुत ज्यादा है और कई बार टक्कर मारने से लोगों की मृत्यु भी हुई है तथा कई लोग घायल भी हुए हैं। मेरे क्षेत्र की दो पंचायतें घोलवाल और बगेरी पंचायत ने एस0डी0एम0 के माध्यम से वेटरिनरी अधिकारियों को कहा कि आवारा पशुओं को काउ सेंक्चुअरि में लिया जाए लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये आवारा पशु लोगों की जान को खतरा बने हुए हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि जहां पर Ultratech cement Plant है अगर आप ऊना को वहां से जाएं तो आपको वहां पर लगभग 200 पशु मिलेंगे। मैं इसके लिए मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इन पशुओं को काउ सैंक्चुअरि में रखा जाए।

सभापति महोदय, गोहादेव गौशाला जोगों के नाम से है। यह गौशाला चार पंचायतों की है। जोगों, जगपुर, मलैणी और कुंडलू पंचायतों की गौशाला है। मंत्री जी स्वयं वहां पर जाकर आए हैं जब इन्होंने वहां पर लोक भवन का शिलान्यास किया था। इस गौशाला में तूड़ी का शैड बनना है और इसके लिए मंत्री जी ने भी आदेश किया था तथा पशुपालन विभाग ने लगभग 10 लाख रुपये का एस्टिमेट बना कर डी0सी0, सोलन को भेज दिया है। चार महीने हो चुके हैं लेकिन इसकी अभी तक स्वीकृति नहीं आई है। इस गौसदन के चेयरमैन वहां पर कई बार जा चुके हैं लेकिन अभी तक डी0सी0 के माध्यम से 10 लाख रुपये की ग्रांट नहीं निकली है। इसी गौशाला के साथ पशुपालन चिकित्सालय भी है। पहले इस चिकित्सालय के नाम पर जमीन नहीं थी लेकिन अब जमीन नाम हो चुकी है और अभी तक भवन का काम शुरू नहीं हुआ है। मैं मंत्री जी से

10-03-2022/1640/NS/AG/2

निवेदन करना चाहता हूं कि इसका काम शीघ्र शुरू किया जाए। इस गौशाला में अगर पशु बीमार होते हैं तो यही डॉक्टर और फार्मासिस्ट इनको देखने जाते हैं।

सभापति महोदय, मोगा से एक बहुत बड़े संत हैं जो महेश मुनि के नाम से जाने जाते हैं और आगे उनके शिष्य बाबा गुरदीप सिंह जिप्पी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने महादेव गौशाला में स्टोर बना रखा है और जो भी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में गौशाला के लिए तूड़ी लाना चाहता है तो वे सिर्फ़ गाड़ी का किराया और लोडिंग के पैसे लेते हैं तथा

तूड़ी फ्री दी जाती है। मैं मोगा के ऐसे संत पुरूष का इस सदन के माध्यम से धन्यवाद करता हूं। सभापति महोदय, कई बार ये आवारा पशु सड़कों के ऊपर आ जाते हैं और मेरे नालागढ़ क्षेत्र में कई बार दुर्घटनाएं हुईं हैं। लोग अपनी गाड़ियों और बाइक में चले होते हैं और एकदम से पशु आगे आ जाते हैं। इस तरफ ध्यान दिया जाए। जिन विधान सभा क्षेत्रों, जिन सब-डिविजनों में एस0डी0एम0 और विकास खंड अधिकारी बैठते हैं और

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

10.03.2022/1645/RKS/एजी-1

श्री लखविन्द्र सिंह राणा... जारी

जिन पंचायतों में गौ-सदन नहीं बने हैं वहां पर गौशालाएं बननी चाहिए। यहां पर माननीय उच्च न्यायालय का हवाला भी दिया लेकिन यह बात अलग है। सभी कहते हैं कि गाय गौ माता है और गाय में 33 करोड़ देवी-देवता निवास करते हैं। लेकिन आज चाइना बोर्डर तक गउएं सड़कों पर बेसहारा घूम रही हैं। सरकार गौ-सदन या cow sanctuaries खोलने के लिए प्रयास कर रही है लेकिन हमें और ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी का हमेशा यह प्रयास रहता है कि प्रदेश में ज्यादा-से-ज्यादा गौ-सदन बनें। जो गायें सड़कों में बेसहारा घूम रही है उनको गौ-सदनों में डालने का प्रयास किया जाए। जो मैंने सुझाव दिये हैं उन पर सरकार गौर करें। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

10.03.2022/1645/RKS/एजी-2

सभापति : अब माननीय सदस्य श्री सुन्दर सिंह ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री सुन्दर सिंह ठाकुर : सभापति महोदय, जो प्लास्टिक से बढ़ते प्रदूषण व उसके खाने से पशुओं की हो रही अकाल मृत्यु पर यह सदन विचार करे ।" संकल्प प्रस्तुत किया है, यह एक ज्वलंत मुद्दा है। इस मुद्दे पर काफी विस्तार से चर्चा हुई है। मैं माननीय मंत्री से अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। कुल्लू के बजौरा के पास एक गौशाला थी उस

गौशाला में बाढ़ के कारण 70-80 पशु बह गए थे। उस गौशाला में बहुत घपलेबाजी हुई थी। जब यह गौशाला बही थी तो उस वक्त माननीय जल शक्ति मंत्री जी भी वहां थे। जब वीडियो के माध्यम से यह मामला उजागर हुआ तो प्रशासन की नींद जागी। लेकिन उसके बाद भी वहां कुछ काम नहीं हुआ। मनाली में कुछ काम हुआ लेकिन मैं इस पर ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। कुल्लू में आवारा पशुओं के लिए गौशाला बनाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किए जा रहे हैं। वैष्णो माता मंदिर के सामने छरूड़ू नामक स्थान पर एक 42-44 बीघा का प्लॉट है। यह जमीन पहले होर्टिकल्चर विभाग के पास थी। वर्ष 2009 में इस जमीन को सरकार ने अपने पास ले लिया। इस जमीन को आप वैष्णो देवी वाले बाबा को देना चाहते थे।

श्री बी.एस. द्वारा... जारी

10.02.2022/1650/बी.एस./ए0जी0/-1

श्री सुन्दर सिंह ठाकुर जारी...

यह अखाड़ा गैमन पुल से आगे ग्राहण पंचायत में है। यह बात चली थी कि वैष्णों देवी वाले बाबा को यह जमीन दी जाए, वह बाबा लोगों के शक के घेरे में है, इसलिए पंचायत वालों ने इसका विरोध किया कि यह जमींन बाबा को न दी जाए। उन्हें शक था कि गौशाला के नाम पर इस 44 बीघा जमीन पर कब्जा कर लेगा। वर्ष 2009 में यह कोशिश हुई थी। अब आज की बात करता हूं, आप पिछली बातों को छोड़िए। मैंने अभी ट्रक यूनियन वालों से बात की, आधी जमींन ट्रक यूनियन के पास है और पंचायत ने भी एन0ओ0सी0 दे दी है, हमने कहा कि उस जमीन को हम एक शर्त पर ट्रक यूनियन वालों को ट्रांसफर करेंगे, यदि आप आधी जमींन पर गौशाला चलाएंगे तो आपको इस जमींन को देंगे। उनके पास फंड्स की भी कमी नहीं है। कुल्लू और लाहौल-स्पिति की इकट्ठी यूनियन है और यह बहुत बड़ी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक कोशिश करें कि कुल्लू विधान सभा क्षेत्र में गौशाला बन जाए तो यह अच्छा होगा क्योंकि मनाली में ज्यादा ठंड पड़ती है और पशुओं को दिक्कत होती है। वहां इस कार्य के लिए मंत्री जी द्वारा तुरंत संज्ञान लिया जाए। वे एक-दो दिन में मुझे

लिखकर दे देंगे। उसके साथ ही वहां पर कोई मुरली मनोहर गौशाला है। यह एक संस्था है वे भी उस जमीन को मांग रहे हैं। यानी इस नेक काम को करने के लिए और इसमें पैसा लगाने के लिए लोग तैयार हैं। मैंने भी विधायक क्षेत्र विकास निधि के 10 लाख रुपए देने की बात कही है। यह ब्यास नदी के किनारे है और आने वाले समय में वहां ब्यास नदी में बाढ़ का खतरा तो रहेगा। बरसात के दिनों में उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि क्या आप इस प्रोजैक्ट को ले करके हमारा सहयोग करेंगे? लोगों की जो बेसहारा पशुओं की समस्या है क्या उससे निजात दिलाएंगे? इतना ही मैं कहना चाहता हूं, धन्यवाद।

10.02.2022/1650/बी.एस./ए0जी0/-2

सभापति : अब माननीय सदस्य श्री हीरा लाल जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री हीरा लाल, करसोग : सभापति महोदय, आज माननीय सदस्य आदरणीय रमेश चंद ध्वाला जी और आदरणीय बलबीर सिंह वर्मा जी द्वारा लाया गया संकल्प कि "प्लास्टिक से बढ़ते प्रदूषण व उसके खाने से पशुओं की हो रही अकाल मृत्यु पर यह सदन विचार करे ।" इस माननीय सदन के अंदर सभी माननीय सदस्यों ने इस पर सार्थक चर्चा की है। हम सब का यही भाव है कि बेसहारा पशुओं में केवल गौ वंश को छोड़ा जा रहा है उसकी सही व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे प्लास्टिक के बारे में कहा गया है, आज प्लाटिक का प्रभाव बढ़ रहा है, चाहे वह दूध की थैली में हो, चाहे जंक फूड हो या रैपिंग हो सब में प्लास्टिक होता है। आज केवल गौ वंश को ही छोड़ा जा रहा है अन्य को नहीं, वे सड़कों में घूम रही हैं और खेतों में फसलों को बर्बाद कर रही हैं और किसान लोग डंडे से उन्हें मार रहे हैं, खेती-बाड़ी बर्बाद हो रही है और समाज में एक असंतोष का वातावरण फैला हुआ है। जब से हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनी है। हमारी सरकार ने गौ सदनों को बनाने के लिए अपनी योजना बनाई है।

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

10-03-2022/1655/ए.एस.-एन.जी. /1

श्री हीरा लाल.....जारी

इस सरकार से पहले 6,800 पशु गौसदनों में होते थे लेकिन आज लगभग 21,000 गौवंश गौसदनों में पल रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में 5 गौ-अभयारण्य और बनाने की बात कही है। उन्होंने प्रति गौवंश के लिए सहायता राशि को 500 रुपये से बढ़ाकर 700 रुपये कर दिया है। हमारे हिमाचल प्रदेश में कई मिल्क फैड्रेशन काम कर रही हैं और हजारों लीटर दुग्ध का उत्पादन हो रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने दुग्ध की खरीद में भी 2 रुपये बढ़ाए हैं और दुग्ध उत्पादकों को सहारा दिया है। माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा जी ने कहा कि दत्तनगर, रामपुर, गुमाशन, आनी व करसोग में दुग्ध उत्पादन किया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन आनी क्षेत्र में होता है। करसोग में भी प्रतिदिन 12,000 से 15,000 लीटर दुग्ध उत्पादन होता है और इससे हमारी आर्थिकी में बहुत बड़ा सहयोग होता है। यहां पर चर्चा की गई कि समाज में गिरावट आने से पशुओं पर अत्याचार हो रहा है। यहां पर विचारधार की बात कही गई तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी विचारधारा है या कौन सी ऐसी पृष्ठभूमि है जिसको लेकर हमारी इस समस्या का समाधान हो सकता है। यह केवल हमारे राष्ट्र की विचारधारा है और हमारी परम्परा ही है। हमारी भारतीय परम्परा में गाय को 'मां' कहा गया है। हम गाय को अपने परिवार के सदस्य के रूप में मानते हैं। वर्ष 1940-1960 के बीच में देख लीजिए कि गांवों में किस प्रकार का वातावरण होता था, वर्ष 1960-1980 के बीच में हम सब भी पैदा हुए हैं और हमने प्रैक्टिकल देखा है कि गांवों में किस प्रकार का वातावरण होता था। हमने अपने घरों में आज भी पशुधन को रखा हुआ है, हमें उनसे प्यार है और आज भी हम उनसे दुग्ध-घी आदि लेते हैं। वर्ष 1980-2000 के बीच हमारे देश में पाश्चत्य संस्कृति आ गई और हमने अपने बच्चों को गांवों से निकाल कर शहरों के एक कमरे में बंद कर दिया। अब उनके लिए न खेल है, न उनके लिए कोई रिश्तेदार है, न उनके लिए पशुधन है और न ही उनके लिए कोई खेतीबाड़ी है। यही वातावरण आज पूरे देश में बना हुआ है।

10-03-2022/1655/ए.एस.-एन.जी. /2

मैं कहना चाहता हूं कि यह हमारा वैचारिक दृष्टिकोण है कि हमें खेतीबाड़ी बचानी है और इसी कारण हमारा गौवंश भी बच सकता है। हमारे पास इसका सबसे अच्छा उदाहरण बिलासपुर व सोलन की कामधेनु संस्था है। श्री जीत राम कोंडल जी ने एक ऐसी संस्था बनाई थी जिसमें आज 38,000 लीटर दुग्ध उत्पादन होता है और इस संस्था से लगभग 5,400 परिवार जुड़े हैं। इस संस्था के माध्यम से सैकड़ों लोगों को रोजगार भी मिलता है। आज इस संस्था द्वारा 40-42 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दुग्ध खरीदा जाता है। यह केवल हमारी भारतीय संस्कृति ही है जो पूरे विश्व को बचा सकती है, विश्व को सतमार्ग दे सकती है और विश्व को शांति का रास्ता बता सकती है। मैं कहना चाहता हूं कि स्कूली पाठ्यक्रम में इसे शामिल किया जाना चाहिए ताकि बच्चों के अंदर गौवंश से प्यार हो सके। हमारे बच्चे किस प्रकार से खेतीबाड़ी की ओर जाएं, अपनी खेतीबाड़ी का ध्यान रखें और इसी तरीके से हम अपने गौवंश को बचा सकते हैं। सभापति महोदय, मेरा बोलने का तात्पर्य है कि हमारे राष्ट्र की संस्कृति ऐसी है जिसमें श्रीकृष्ण को भी गोपाल कहा गया है और उन्होंने गौमाता की सेवा की है। हमें आज फिर से उसी पृष्ठभूमि में आना पड़ेगा तभी हम पूरे विश्व को अच्छा मार्गदर्शन दे सकते हैं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति : अब एक मिनट के लिए इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री प्रकाश राणा जी भाग लेंगे।

श्री प्रकाश राणा..... श्री जे.एस. द्वारा जारी.....

10.03.2022/1700/JS/AS/1

श्री प्रकाश राणा (जोगिन्द्रनगर): सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरा नम्बर नहीं था, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। यह जो आवारा पशुओं की चर्चा है, मुझे चार साल से ज्यादा का समय इस विधानसभा में हो गया है लेकिन इसका कोई परमानेंट हल नहीं निकला। आदरणीय मंत्री जी यहां पर बैठे हैं अगर आप इसका परमानेंट

सोल्यूशन चाहते हो, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। आवारा पशुओं की वजह से काफी लोगों की सड़क में दुर्घटनाएं हुई हैं और काफी लोगों ने अपनी जान गवाईं हैं। काफी पशु भी मरे हैं। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जितने भी पशु हैं, उनकी परिवार के राशनकार्ड में एंट्री की जाए और उनका कोई लेन-देन हो तो उसको काट दिया जाए। इतनी ज्यादा बहस और चर्चा इस बारे में हो गई है लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला है। मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि अगर ऐसा हो सकता हैं तो अवश्य इस पर विचार करें। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापतिः इस संकल्प पर हो रही चर्चा का उत्तर माननीय मंत्री जी अगले सत्र के गैर सरकारी कार्य दिवस में देंगे।

समस्त माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 10 मार्च, 2022 को सांय 8.00 बजे माननीय राज्यपाल महोदय ने माननीय मंत्रीगण एवं विधान सभा के माननीय सदस्यों के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया है अतः आप सभी सादर आमंत्रित हैं।

अब इस माननीय सदन की बैठक शुक्रवार, 11 मार्च, 2022 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **यशपाल शर्मा,**
दिनांकः 10 मार्च, 2022 **सचिव।**